राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति, छत्तीसगढ़

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

पर्यावास भवन, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर (छ.ग.)

ई–मेल : seaccg@gmail.com

विषयः– **राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की दिनांक 31/08/2021 को संपन्न 385वीं बैठक का कार्यवाही विवरण**

———00———

राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 385वीं बैठक दिनांक 31/08/2021 को श्री धीरेन्द्र शर्मा, अध्यक्ष, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति की अध्यक्षता में विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से संपन्न हुई। बैठक में समिति के निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लियाः–

1. डॉ. मोहन लाल अग्रवाल, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
2. श्री अरविन्द कुमार गौरहा, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
3. श्री नीलेश्वर प्रसाद साहू, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
4. डॉ. एम.डब्ल्यु.वाय. खान, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
5. डॉ. विकास कुमार जैन, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
6. डॉ. दीपक सिन्हा, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
7. श्री कलदियुस तिर्की, सदस्य सचिव, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति

समिति द्वारा एजेण्डा में सम्मिलित विषयों पर निम्नानुसार विचार किया गयाः–

एजेन्डा आयटम क्रमांक–1ः **380वीं, 381वीं, 382वीं, 383वीं एवं 384वीं बैठक क्रमशः दिनांक 23/07/2021, 24/07/2021, 30/07/2021, 31/07/2021 एवं 02/08/2021 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।**

राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ 380वीं, 381वीं, 382वीं, 383वीं एवं 384वीं बैठक क्रमशः दिनांक 23/07/2021, 24/07/2021, 30/07/2021, 31/07/2021 एवं 02/08/2021 को संपन्न हुई थी। समिति द्वारा सर्वसम्मति से उक्त बैठकों के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।

एजेन्डा आयटम क्रमांक–2: गौण/मुख्य खनिजों एवं औद्योगिक परियोजना संबंधी प्रकरणों के प्रस्तुतीकरण उपरांत पर्यावरणीय स्वीकृति / टीओआर हेतु निर्णय लिया जाना।

1. मेसर्स खरसूरा ब्रिक अर्थक्ले क्वारी माईन एण्ड फिक्स चिमनी प्लांट (प्रो.– श्री रविन्द्र कुमार जायसवाल), ग्राम–खरसूरा, तहसील व जिला–सूरजपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1648)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 211810/2021, दिनांक 11/05/2021।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान एवं फिक्स चिमनी ईंट उत्पादन इकाई है। खदान ग्राम–खरसूरा, तहसील व जिला–सूरजपुर स्थित खसरा क्रमांक 1558, 1564, 1559, 1572 एवं 1565, कुल क्षेत्रफल–2.18 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 3,030.04 घनमीटर (ईंट उत्पादन इकाई 15,45,976 नग) प्रतिवर्ष है।

परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 21/05/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 374वीं बैठक दिनांक 01/06/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के ई–मेल दिनांक 01/06/2021 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में प्रेषित पत्र दिनांक 21/05/2021 के परिपेक्ष्य की वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई–मेल दिनांक 11/06/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 375वीं बैठक दिनांक 15/06/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के ई–मेल पत्र दिनांक 15/06/2021 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है। समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को मान्य किया गया।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई–मेल दिनांक 20/07/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 380वीं बैठक दिनांक 23/07/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा कोई अनुरोध पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा नोट किया गया कि पूर्व में समिति की दिनांक 01/06/2021 एवं 15/06/2021 के बैठकों में प्रस्तुतीकरण हेतु अवसर प्रदान किया गया था। परंतु परियोजना प्रस्तावक की ओर से कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हो रहे है। अतः परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर प्रदान किया जाए।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए। आगामी बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित नहीं होने पर प्रकरण नस्तीबद्ध किया जाएगा।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई–मेल दिनांक 23/08/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(द) समिति की 385वीं बैठक दिनांक 31/08/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री आदर्श जायसवाल, अधिकृत प्रतिनिधि विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**

   i. पूर्व में मिट्टी खदान खसरा क्रमांक 1558, 1564, 1559, 1572 एवं 1565, कुल क्षेत्रफल – 2.18 हेक्टेयर, क्षमता – 3,030.04 घनमीटर (ईंट उत्पादन 15,46,129 नग) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–सूरजपुर द्वारा दिनांक 20/02/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति 3 वर्ष तक की अवधि हेतु जारी की गई थी।

   ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तो के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।

   iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

   iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 627/खनिज/2021 सूरजपुर, दिनांक 18/02/2021 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	मिट्टी उत्पादन (घनमीटर)
2017	निरंक
2018	
2019	900
2020 (माह सितम्बर तक)	निरंक

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत खरसूरा का दिनांक 23/09/2012 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – रिवाईज्ड क्वारी प्लान, इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–कोरिया के ज्ञापन क्रमांक/1084/खनिज/खलि.2/2016 कोरिया, दिनांक 15/09/2016 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 626/खनिज/2021 सूरजपुर, दिनांक 18/02/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 1 खदान, क्षेत्रफल 2 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 626/खनिज/2021 सूरजपुर, दिनांक 18/02/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **लीज का विवरण** – लीज श्री रविन्द्र कुमार जायसवाल के नाम पर है। लीज डीड 03 वर्षों अर्थात् दिनांक 08/10/2013 से 07/10/2016 तक की अवधि हेतु वैध थी। तत्पश्चात् लीज डीड में 27 वर्षों की, दिनांक 08/10/2016 से 07/10/2043 तक की अवधि वृद्धि की गई है।

7. **भू–स्वामित्व** – भूमि खसरा क्रमांक 1558, 1564 श्री अजय जायसवाल एवं खसरा क्रमांक 1559, 1572 श्री संजय जायसवाल तथा खसरा क्रमांक 1565 श्री गणेश जायसवाल के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामियों का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, दक्षिण सरगुजा वनमण्डल, अम्बिकापुर के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./2002/3572 अम्बिकापुर, दिनांक 13/11/2002 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–खरसूरा 0.35 कि.मी., स्कूल ग्राम–खरसूरा 1.2 कि.मी. एवं अस्पताल सूरजपुर 9 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 6.5 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 16.9 कि.मी. दूर है। मौसमी नाला 0.1 कि.मी., तालाब 0.52 कि.मी. एवं रेहर नदी 4 कि.मी. दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार जियोलॉजिकल रिजर्व 40,032 घनमीटर, माईनेबल रिजर्व 33,667 घनमीटर एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 30,300 घनमीटर है। वर्तमान में जियोलॉजिकल रिजर्व 39,075 घनमीटर, माईनेबल रिजर्व 32,709 घनमीटर एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 29,438 घनमीटर शेष है। लीज की 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 0.079 हेक्टेयर है। ओपन कास्ट मैन्युअल विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 2 मीटर है। वर्तमान में उत्खनन की अधिकतम गहराई 1 मीटर एवं 4,525 वर्गमीटर क्षेत्र उत्खनित है। बेंच की ऊंचाई 1 मीटर एवं चौड़ाई 1 मीटर है। लीज क्षेत्र के भीतर 0.2 हेक्टेयर में क्षेत्र ईंट निर्माण हेतु भठ्ठा स्थापित है, जिसकी फिक्स चिमनी की ऊंचाई 33 मीटर है। ईंट निर्माण हेतु मिट्टी के साथ 25 प्रतिशत फ्लाई ऐश का उपयोग किया जाता है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। एक लाख ईंट निर्माण हेतु 12 टन कोयला की आवश्यकता होती है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार प्रस्तावित वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित मिट्टी उत्खनन (घनमीटर)	ईंट उत्पादन (नग)
2021	3,030	15,45,976
2022	3,030	15,45,976
2023	3,030	15,45,976
2024	3,030	15,45,976
2025	3,030	15,45,976
2026	3,030	15,45,976

नोटः तालिका में दशमलव के बाद के अंकों को राउण्डऑफ किया गया है।

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5.7 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति टैंकर द्वारा ग्राम पंचायत के माध्यम से किया जाएगा। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 1 मीटर की पट्टी में 395 नग वृक्षारोपण किया जाएगा, जिसमें से 200 नग वृक्षारोपण किया गया है। शेष 195 नग पौधों का रोपण किया जाएगा।

15. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि 1 वर्ष में लगभग 195.28 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष कोयला उपयोग किया जाएगा, जिससे लगभग 62.49 टन प्रतिवर्ष ऐश जनित होगा, जिसका उपयोग ईंट निर्माण में किया जाएगा। साथ ही रिजेक्ट ब्रिक्स (Reject bricks)/ब्रोकन ब्रिक्स (Broken bricks) का उपयोग बण्ड, हॉल रोड के निर्माण एवं वृक्षारोपण के फेंसिंग हेतु किया जाएगा।

16. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई. आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु स्थल निरीक्षण उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund

		(in Lakh Rupees)		Allocation (in Lakh Rupees)
30	2%	0.60	Following activities at Government Primary School Kataipara, **Village- Kharsura**	
			Rain Water Harvesting System	0.43
			Running Water Facility for Toilets	0.15
			Plantation	0.05
			Total	**0.63**

17. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 626/खनिज/2021 सूरजपुर, दिनांक 18/02/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 1 खदान, क्षेत्रफल 2 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–खरसूरा) का रकबा 2.18 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–खरसूरा) को मिलाकर कुल रकबा 4.18 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स खरसूरा ब्रिक अर्थक्ले क्वारी माईन एण्ड फिक्स चिमनी प्लांट (प्रो.– श्री रविन्द्र कुमार जायसवाल) की ग्राम–खरसूरा, तहसील व जिला–सूरजपुर के खसरा क्रमांक 1558, 1564, 1559, 1572 एवं 1565 में स्थित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान एवं फिक्स चिमनी ईंट उत्पादन इकाई, कुल क्षेत्रफल–2.18 हेक्टेयर, क्षमता – 3,030 घनमीटर (ईंट उत्पादन इकाई 15,45,976 नग) प्रतिवर्ष हेतु **परिशिष्ट–01** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

2. मेसर्स श्री विपुल अग्रवाल (राजपुर डोलोमाईट क्वारी), ग्राम–राजपुर, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1701)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 214525/2021, दिनांक 10/06/2021।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित डोलोमाईट (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–राजपुर, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग स्थित खसरा क्रमांक 178/2, 178/3 एवं 179, कुल क्षेत्रफल–1.36 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 4,200 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई–मेल दिनांक 20/07/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 381वीं बैठक दिनांक 24/07/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री विपुल अग्रवाल, प्रोपराईटर विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत राजपुर का दिनांक 04/11/2017 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त संचालक (ख.प्र.), संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक 2089/खनि02/मा.प्ल.अनुमोदन/न.क्र.06/2020(2) नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 03/04/2021 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 278/खनि.लि.02/खनिज/2021 दुर्ग, दिनांक 02/06/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 278/खनि.लि. 02/खनिज/2021 दुर्ग, दिनांक 02/06/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, बांध एवं एनीकट आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. **एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 3788/खनिज/उ.प./2021 दुर्ग, दिनांक 16/02/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है।

7. **भू–स्वामित्व** – भूमि खसरा क्रमांक 178/2 श्री नारायण एवं श्री रोशन, खसरा क्रमांक 178/3 श्री जागेश्वर एवं खसरा क्रमांक 179 आवेदक के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामियों के सहमति पत्र की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, दुर्ग वनमंडल, जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक/तक.अधि./2020/4877 दुर्ग, दिनांक 11/12/2020 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र की सीमा वन भूमि से 25 कि.मी. की दूरी पर है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–राजपुर 1.2 कि.मी., स्कूल एवं अस्पताल ग्राम–राजपुर 1.2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 36 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 8 कि.मी. दूर है। तालाब 1.3 कि.मी. दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 5,28,275 टन, माईनेबल रिजर्व लगभग 1,02,300 टन एवं रिकव्हरेबल 92,070 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 4,420 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 18.5 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 2 मीटर है तथा कुल मात्रा 12,878.4 घनमीटर है। इस मिट्टी को सीमा पट्टी (7.5 मीटर) में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 24.35 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	4,200
द्वितीय	4,200
तृतीय	4,200
चतुर्थ	4,200
पंचम	4,200

आगामी वर्षों का उत्पादन योजना

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
षष्टम	4,200
सप्तम	4,200

अष्टम	4,200
नवम	4,200
दशम	4,200

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 3 घनमीटर प्रतिदिन होगी। खदान में विभिन्न क्रियाकलापों (जल छिड़काव, वृक्षारोपण) हेतु जल की आपूर्ति आसपास स्थित निष्क्रिय खदानों में एकत्रित जल एवं पेयजल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से की जाएगी। भू–जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति लिया जाना प्रस्तावित है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,500 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 4,420 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें से 2,320 वर्गमीटर क्षेत्र 5 मीटर की गहराई एवं 596 वर्गमीटर क्षेत्र 2.5 मीटर की गहराई तक उत्खनित है। उपरोक्त पूर्व से उत्खनित क्षेत्र को पुनःभराव कर संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

16. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्त कमांक VIII (i) के अनुसारः–

    "The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years startlng from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

    उक्त मानक शर्त के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

17. **गैर माईनिंग क्षेत्र** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि दक्षिण–पूर्व दिशा में लीज क्षेत्र की चौड़ाई कम होने के कारण 3,812 वर्गमीटर क्षेत्र को गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है। इसका उल्लेख माईनिंग प्लान में किया गया है। समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि प्रस्तुत माईनिंग प्लान के लेण्ड यूज पैटर्न में खनन हेतु माईनिंग क्षेत्र 7,200 वर्गमीटर का उल्लेख है। जबकि कुल लीज क्षेत्र 1.36 हेक्टेयर में से 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी का क्षेत्रफल 4,420 वर्गमीटर एवं गैर माईनिंग क्षेत्र 3,812 वर्गमीटर को कम किये जाने पर माईनिंग क्षेत्र 5,368 वर्गमीटर शेष होगा। अतः उपरोक्तानुसार संशोधन कर संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

18. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई. आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया हैः–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
40	2%	0.80	Following activities at Nearby Government Primary, Middle & Higher Secondary schools, **Village-Rajpur**	
			Rain Water Harvesting System & Plantation with fencing	0.80
			Total	**0.80**

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. उपरोक्त में दिये गये विवरण अनुसार पूर्व से उत्खनित क्षेत्र का पुनःभराव कर एवं लेण्ड यूज पैटर्न में संशोधन कर, संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाए।
2. उत्खनन हेतु भूमि स्वामियों का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाए।
3. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई–मेल दिनांक 27/08/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 385वीं बैठक दिनांक 31/08/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री विपुल अग्रवाल, प्रोपराईटर विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वर्तमान में प्रस्तावित माईनिंग क्षेत्र 0.54 हेक्टेयर है तथा पूर्व उत्खनित क्षेत्र में से 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का भराव करने के उपरांत शेष माईनेबल क्षेत्र 0.18 हेक्टेयर है, जो वर्तमान में गैर माईनिंग क्षेत्र में आता है। इस प्रकार कुल पिट क्षेत्र 0.72 हेक्टेयर होगा। अतः पूर्व से उत्खनित क्षेत्र का पुनःभराव कर एवं लेण्ड यूज पैटर्न में संशोधन कर, संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान की आवश्यकता प्रतिपादित नहीं हो रहीं है।
2. भूमि खसरा क्रमांक 178/2 श्री नारायण एवं श्री रोशन, खसरा क्रमांक 178/3 श्री जागेश्वर साहू एवं खसरा क्रमांक 179 श्री गीता प्रसाद के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामियों के सहमति पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है।
3. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

   a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by

SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 278/खनि.लि. 02/खनिज/2021 दुर्ग, दिनांक 02/06/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है। आवेदित खदान (ग्राम–राजपुर) का रकबा 1.36 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।
2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स श्री विपुल अग्रवाल (राजपुर डोलोमाईट क्वारी) की ग्राम–राजपुर, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग के खसरा क्रमांक 178/2, 178/3 एवं 179 में स्थित डोलोमाईट (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–1.36 हेक्टेयर, क्षमता – 4,200 टन प्रतिवर्ष हेतु **परिशिष्ट–02** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

3. मेसर्स गोजी लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री रेवेन्द्र चंद्राकर), ग्राम–गोजी, तहसील–कुरूद, जिला–धमतरी (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1711)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 215700/2021, दिनांक 18/06/2021।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–गोजी, तहसील–कुरूद, जिला–धमतरी स्थित खसरा क्रमांक 1033/1, 1035, 1043, 1053/1, 1054/1,2, 1055, 1056/1, 2, 1057, 1058, 1091, 1092/1, 2, 3, 1093, 1094, 1095, 1096, 1070, 1076, 1077, 1078 एवं 1087, कुल क्षेत्रफल– 4.98 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–58,871.66 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई–मेल दिनांक 26/07/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 382वीं बैठक दिनांक 30/07/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के ई–मेल दिनांक 30/07/2021 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है। समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को मान्य किया गया।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित आगामी माह के आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई–मेल दिनांक 25/08/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 385वीं बैठक दिनांक 31/08/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री रेवेन्द्र चंद्राकर, प्रोपराईटर विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गईः–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरणः–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र –** उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत गोजी का दिनांक 03/12/2020 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान एलॉग विथ क्वारी क्लोजर प्लान विथ इन्व्हायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–उत्तर बस्तर कांकेर के ज्ञापन क्रमांक क./162/ खनिज/ उत्ख. यो. अनु./उ.प./ 2021–22 कांकेर, दिनांक 10/06/2021 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–धमतरी के ज्ञापन क्रमांक/735/खनिज/ख.लि./2021 धमतरी, दिनांक 11/06/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर 4 खदानें, क्षेत्रफल 7.51 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा, जिला–धमतरी के ज्ञापन क्रमांक/733/खनिज/उ.प. /2021 धमतरी, दिनांक 10/06/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है। बरसाती नाला 50 मीटर दूर स्थित है।

6. **एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–धमतरी के ज्ञापन क्रमांक 560/खनिज/पत्थर/उत्ख. पट्टा/2020–21 धमतरी, दिनांक 25/05/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है।

7. **भू–स्वामित्व** – भूमि खसरा क्रमांक 1053/1 श्री लीलाराम साहू, खसरा क्रमांक 1035, 1033/1 श्री खुमेंद्र चन्द्राकर, खसरा क्रमांक 1043, 1058, 1070, श्री कुंजलाल, खसरा क्रमांक 1054/1,2, 1055, 1056/1, 1057, 1078, 1087, 1091, 1092/1, 2, 3, 1093, 1094, 1095, 1077 आवेदक, खसरा क्रमांक 1056/2 श्री ओकार सिंह, खसरा क्रमांक 1076 गिरजाबाई एवं खसरा क्रमांक 1096 श्री जुनैद सोलंकी के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामियों का सहमति पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, धमतरी वनमण्डल, धमतरी के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./जी./1115 धमतरी, दिनांक 27/02/2021 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र की सीमा निकटतम वन क्षेत्र से 30 कि.मी की दूरी पर है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–गोजी 1 कि.मी., स्कूल ग्राम–गोजी 1.2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 11 कि.मी. दूर है। महानदी 2 कि.मी. दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 22,41,000 टन, माईनेबल रिजर्व 13,34,109 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 12,67,403 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 13,014.55 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 18 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1.5 मीटर है तथा कुल मात्रा 28,107 घनमीटर है। इस मिट्टी को सीमा पट्टी (7.5 मीटर) में एवं गैर माईनिंग क्षेत्र में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 20 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं किया जाएगा। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार हैः–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	41,505
द्वितीय	52,747
तृतीय	54,758
चर्तुथ	55,435
पंचम	55,999

आगामी वर्षों का उत्पादन योजना

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
षष्टम	55,720
सप्तम	58,871
अष्ठम	53,596
नवम	48,547
दशम	55,774

नोटः तालिका में दशमलव के बाद के अंकों को राउण्डऑफ किया गया है।

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 10 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से की जाएगी। भू–जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति लिया जाना प्रस्तावित है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में एवं गैर माईनिंग क्षेत्र में कुल 3,300 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

16. **गैर माईनिंग क्षेत्र** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र के कुछ भाग में चौड़ाई कम होने के कारण 243.59 वर्गमीटर क्षेत्र को गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है। इसका उल्लेख माईनिंग प्लान में किया गया है।

17. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

    a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

    b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–धमतरी के ज्ञापन क्रमांक/735/खनिज/ख.लि./2021 धमतरी, दिनांक 11/06/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर 4 खदानें, क्षेत्रफल 7.51 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–गोजी) का रकबा 4.98 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–गोजी) को मिलाकर कुल रकबा 12.49 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

    i. Project proponent shall inform S.E.A.C. Chhatisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

ii. Project proponent shall submit the Common Environment Management Plan.

iii. Project proponent shall submit top soil managment & incorporate the details in the EIA report.

iv. Project proponent shall submit blasting permission from DGMS.

v. Project proponent shall submit NOC from CGWA for usage of water.

vi. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring stations.

vii. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection, in which minimum 5 to 6 stations should be within 5 km and 2 to 3 stations in between 5 to 10 km radius following the pre-dominant wind direction.

viii. Project proponent shall submit revised certificate regarding cluster of mines as defined in EIA notification from mining department and accordingly EIA study shall be carried out incorporating all the mines included in cluster.

ix. Project proponent shall complete the fencing all along the boundary and submit photographs in the EIA report.

x. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost.

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

4. मेसर्स मोहनपुर आर्डिनरी स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री रामप्रदेश वर्मा), ग्राम–मोहनपुर, तहसील–डोंगरगढ़, जिला–राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1124)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 131694 / 2019, दिनांक 11 / 01 / 2020। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 30 / 01 / 2021 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 25 / 06 / 2021 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–मोहनपुर, तहसील–डोंगरगढ़, जिला–राजनांदगांव स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 616, कुल क्षेत्रफल–1.36 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–10,000 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई–मेल दिनांक 26 / 07 / 2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 382वीं बैठक दिनांक 30 / 07 / 2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के ई–मेल दिनांक 30 / 07 / 2021 द्वारा सूचना दी गयी है कि वांछित जानकारी अपूर्ण होने के कारण से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण

हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है। समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को मान्य किया गया।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित आगामी माह के आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई–मेल दिनांक 27/08/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 385वीं बैठक दिनांक 31/08/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 30/08/2021 द्वारा सूचना दी गयी है कि वांछित जानकारी अपूर्ण होने के कारण से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

5. मेसर्स श्री बालाजी स्टोन इण्डस्ट्रीज (पार्टनर– श्री राणा अरुण कुमार सिंह), ग्राम–खैरवारी, तहसील–सिमगा, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1718)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 216941/2021, दिनांक 29/06/2021।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–खैरवारी, तहसील–सिमगा, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा स्थित खसरा क्रमांक 391, 392 एवं 393(पार्ट), कुल क्षेत्रफल–1.788 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–35,132 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई–मेल दिनांक 26/07/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 382वीं बैठक दिनांक 30/07/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री निकुंज पटेल, पार्टनर विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। उनके द्वारा समिति के समक्ष अनुरोध किया गया कि तकनीकी समस्या होने एवं वांछित जानकारी अपूर्ण होने के कारण से आज बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है। समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को मान्य किया गया।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित आगामी माह के आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई–मेल दिनांक 25/08/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 385वीं बैठक दिनांक 31/08/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा कोई अनुरोध पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी एवं अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

6. मेसर्स मौरीकला लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री नीरज गंगवाल), ग्राम–मौरीकला, तहसील–कुरूद, जिला–धमतरी (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1719)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 216669/2021, दिनांक 01/07/2021।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–मौरीकला, तहसील–कुरूद, जिला–धमतरी स्थित खसरा क्रमांक 673/3, 674, 710, 712, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 726, 727, 728 एवं 733, कुल क्षेत्रफल– 1.65 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता– 20,371.69 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई–मेल दिनांक 26/07/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 382वीं बैठक दिनांक 30/07/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के ई–मेल दिनांक 30/07/2021 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है। समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को मान्य किया गया।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित आगामी माह के आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई–मेल दिनांक 25/08/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 385वीं बैठक दिनांक 31/08/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री नीरज गंगवाल, प्रोपराईटर विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र –** उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत मौरीकला का दिनांक 24/08/2020 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना –** क्वारी प्लान एलांग विथ क्वारी क्लोजर प्लान विथ इन्व्हारोमेंट मेनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–उत्तर बस्तर कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 161/खनिज/उत्ख.यो.अनु./उ.प./2021–22 कांकेर, दिनांक 10/06/2021 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान –** कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–धमतरी के ज्ञापन क्रमांक 726/खनिज/उ.प./2021 धमतरी, दिनांक 10/06/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए –** कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–धमतरी के ज्ञापन क्रमांक 727/खनिज/उ.प./2021 धमतरी, दिनांक 10/06/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे धार्मिक स्थल, मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है। दक्षिण दिशा में 150 मीटर एवं पूर्व दिशा में 50 मीटर में बरसाती नाला है।

6. **एल.ओ.आई. का विवरण –** एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–धमतरी के ज्ञापन क्रमांक 559/खनिज/पत्थर/उत्ख.पट्टा/2020–21 धमतरी, दिनांक 25/05/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 1 वर्ष हेतु वैध है। तत्पश्चात् कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–धमतरी के ज्ञापन क्रमांक 729/खनिज/पत्थर/उत्ख.पट्टा/2020–21 धमतरी, दिनांक 10/06/2021 द्वारा संशोधित एल.ओ.आई. जारी की गई, जिसमें टंकन त्रुटिवश खसरा क्रमांक 673/3 के स्थान पर खसरा क्रमांक 673 अंकित हो गया है। अतः खसरा क्रमांक 673 को खसरा क्रमांक 673/3 पढ़े जाने का उल्लेख किया गया है।

7. **भू–स्वामित्व –** भूमि खसरा क्रमांक 673/3, 674, 710, 712, 715, 717, 718, 719, 720, 726, 727, 728, 733 श्री योगेन्द्र कंसारी एवं खसरा क्रमांक 716 श्री जितेन्द्र कुमार के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामियों का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट –** वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र –** कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, धमतरी वनमण्डल, जिला–धमतरी के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./जी./3199 धमतरी, दिनांक

30/06/2021 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र की सीमा वन भूमि से 14.3 कि.मी. की दूरी पर है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–मौरीकला 0.2 कि.मी. एवं स्कूल ग्राम–मौरीकला 0.25 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 12 कि.मी. दूर है। महानदी 0.7 कि.मी. दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 7,42,500 टन, माईनेबल रिजर्व लगभग 1,25,052 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व लगभग 1,18,800 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 8,400 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 19.5 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1.5 मीटर है तथा कुल मात्रा 10,842 घनमीटर है। इस मिट्टी को सीमा पट्टी (7.5 मीटर) में एवं गैर माईनिंग क्षेत्र 831.54 वर्गमीटर में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	18,185
द्वितीय	19,043
तृतीय	20,371
चतुर्थ	17,907
पंचम	15,839

आगामी वर्षो की उत्पादन योजना

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
षष्टम	12,260
सप्तम	10,884
अष्ठम	3,645
नवम	3,769
दशम	1,073

नोटः तालिका में दशमलव के बाद के अंकों को राउण्डऑफ किया गया है।

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 10 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति टैंकर द्वारा ग्राम पंचायत के माध्यम से किया जाएगा। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में एवं गैर माईनिंग क्षेत्र में कुल 1,687 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

16. **गैर माईनिंग क्षेत्र** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र के कुछ भाग में चौड़ाई कम होने के कारण 831.54 वर्गमीटर क्षेत्र को गैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है। इसका उल्लेख माईनिंग प्लान में किया गया है।

17. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई. आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	**CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)**
42	2%	0.84	Following activities at Government Middle School, **Village- Morikala**	
			Rain Water Harvesting System	0.45
			Potable Drinking water Facility	0.24
			Running Water Facility for Toilets	0.17
			Plantation in school / community health center	0.14
			Total	**1.00**

18. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–धमतरी के ज्ञापन क्रमांक 726/खनिज/उ.प./2021 धमतरी, दिनांक 10/06/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है। आवेदित खदान (ग्राम–मौरीकला) का रकबा 1.65 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स मौरीकला लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री नीरज गंगवाल) की ग्राम–मौरीकला, तहसील–कुरूद, जिला–धमतरी के खसरा क्रमांक 673/3, 674, 710, 712, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 726, 727, 728 एवं 733 में स्थित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–1.65 हेक्टेयर, क्षमता – 20,371 टन प्रतिवर्ष हेतु **परिशिष्ट–03** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

7. मेसर्स सन्नी स्टोन क्रशर (प्रो.– श्रीमती सतिन्दर कौर, टिकनपाल लाईम स्टोन माईन), ग्राम–टिकनपाल, तहसील व जिला–बस्तर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1722)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 216927/2021, दिनांक 02/07/2021।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–टिकनपाल, तहसील व जिला–बस्तर स्थित खसरा क्रमांक 418/2, कुल क्षेत्रफल–1.5 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–45,000 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई–मेल दिनांक 26/07/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 382वीं बैठक दिनांक 30/07/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के ई–मेल दिनांक 30/07/2021 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः उक्त आवेदन समिति की दिनांक 31/07/2021 को आयोजित बैठक में विचार किये जाने का अनुरोध किया गया। समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को अमान्य किया गया।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित आगामी माह के आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई–मेल दिनांक 25/08/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 385वीं बैठक दिनांक 31/08/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री सतविर सिंह अधिकृत प्रतिनिधि विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:**– इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत उसरी का दिनांक 26/06/2018 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा के ज्ञापन क्रमांक 172/खनिज/उत्ख.यो./2021–22 दन्तेवाड़ा, दिनांक 09/06/2021 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जगदलपुर, जिला–बस्तर के पृ. ज्ञापन क्रमांक 1830–ए/खनिज/ख.लि. 4/21/2020–21/उ.प./2021 जगदलपुर, दिनांक 02/08/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 3 खदानें, क्षेत्रफल 3.69 हेक्टेयर है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जगदलपुर, जिला–बस्तर के ज्ञापन क्रमांक 1787/खनिज/ ख.लि.4/21/2020–21/उ.प./2021 जगदलपुर, दिनांक 30/07/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे धार्मिक स्थल, मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **एल.ओ.आई. का विवरण** – एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जगदलपुर, जिला–बस्तर के ज्ञापन क्रमांक 843/खनिज/ख.लि. 4/21/2020–21/खनिज/उ.प./2021 जगदलपुर, दिनांक 25/03/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 1 वर्ष हेतु वैध है।

7. **भू–स्वामित्व** – भूमि श्री गुरजिंदर सिंह के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वन मण्डलाधिकारी, वनमण्डल बस्तर, जगदलपुर के ज्ञापन क्रमांक/क.त.अ./2694 जगदलपुर, दिनांक 30/07/2021 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र की सीमा संरक्षित वन क्षेत्र से 295 मीटर की दूरी पर है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–टिकनपाल 1 कि.मी., स्कूल एवं अस्पताल ग्राम–टिकनपाल 1 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2.8 कि.मी. दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 6,37,500 टन, माईनेबल रिजर्व लगभग टन 2,91,255 एवं रिकव्हरेबल रिजर्व लगभग 2,62,130 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 3,956 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 18 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है तथा कुल मात्रा 12,151 घनमीटर है। आवश्यकतानुसार ऊपरी मिट्टी को 7.5 मीटर (माईन बाउण्ड्री) क्षेत्र में वृक्षारोपण के लिए उपयोग तथा शेष ऊपरी मिट्टी को सहमति प्राप्त भूमि पर संरक्षित रखने हेतु सक्षम प्राधिकारी से अनुमति उपरांत भंडारित किया जायेगा। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	27,750
द्वितीय	27,750
तृतीय	45,000
चतुर्थ	27,750
पंचम	27,750

आगामी वर्षो की उत्पादन योजना

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
षष्टम	27,750
सप्तम	27,750
अष्ठम	27,750
नवम	27,750
दशम	24,068

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 3 घनमीटर प्रतिदिन होगी। खदान में विभिन्न क्रियाकलापों (जल छिड़काव, वृक्षारोपण) हेतु जल की आपूर्ति आसपास स्थित निष्क्रिय खदानों में एकत्रित जल एवं पेयजल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से की जाएगी। भू–जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति लिया जाना प्रस्तावित है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,200 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

16. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र के दक्षिण–पूर्व दिशा में चौड़ाई कम होने के कारण 816 वर्गमीटर क्षेत्र में केवल 9 मीटर की गहराई तक उत्खनन किया जाना प्रस्तावित है। इसका उल्लेख माईनिंग प्लान में किया गया है।

17. समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि समिति की 382वीं बैठक दिनांक 30/07/2021 में मेसर्स टिकनपाल लाईम स्टोन माईन (प्रो.– श्री संजय मथरानी), ग्राम–टिकनपाल, तहसील व जिला–बस्तर द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रस्तुत कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जगदलपुर, जिला–बस्तर के पृ. ज्ञापन क्रमांक 1077/खनिज/ख.लि.4/05/2020–21/उ.प./2021 जगदलपुर, दिनांक 19/05/2021 द्वारा जारी 500 मीटर के प्रमाण पत्र अनुसार 3 खदानें, क्षेत्रफल 3.25 हेक्टेयर एवं 383वीं बैठक दिनांक 31/07/2021 में मेसर्स टिकनपाल नागो लाईम स्टोन माईन (प्रो.– श्री नागो), ग्राम–टिकनपाल, तहसील व जिला–बस्तर द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रस्तुत कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जगदलपुर, जिला–बस्तर के पृ. ज्ञापन क्रमांक/1791/खनिज/ख.लि. 4/22 /2020–21/उ.प./2021 जगदलपुर, दिनांक 30/07/2021 द्वारा जारी अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 6 खदानें, क्षेत्रफल 3. 74 हेक्टेयर होना बताया गया है।

आवेदित खदान के लिए परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा जारी 500 मीटर के प्रमाण पत्र अनुसार 3 खदानें, क्षेत्रफल 3.69 होना बताया गया है।

उपरोक्त 500 मीटर के प्रमाण पत्रों में ग्राम–टिकनपाल खसरा क्रमांक 277, 278, रकबा 0.85 हेक्टेयर श्री गणेश राम, निवासी–चमिया टिकनपाल एवं खसरा क्रमांक 280/2, 280/3, रकबा 0.9 हेक्टेयर श्री प्रताप भानुशाली, निवासी–सोमरपाल के खदानों का नाम कॉमन (Common) है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत 500 मीटर की जानकारी में त्रुटि है। अतः आवेदित खदान के लिए परियोजना प्रस्तावक को लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए प्रमाण पत्र मंगाया जाना आवश्यक है। साथ ही संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को भी उक्त के संबंध में पत्र प्रेषित करते हुए तथ्यों से अवगत कराया जाए।

18. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जगदलपुर, जिला–बस्तर के पृ. ज्ञापन क्रमांक 1830–ए/खनिज/ख.लि.4/21/2020–21/उ.प./2021 जगदलपुर, दिनांक 02/08/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 3 खदानें, क्षेत्रफल 3.69 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–टिकनपाल) का रकबा 1.5 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–टिकनपाल) को मिलाकर कुल रकबा 5.19 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए. /ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गईः–

   i. Project proponent shall inform S.E.A.C. Chhatisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

   ii. Project proponent shall submit the Common Environment Management Plan.

   iii. Project proponent shall submit top soil managment & incorporate the details in the EIA report.

   iv. Project proponent shall submit blasting permission from DGMS.

   v. Project proponent shall submit NOC from CGWA for usage of water.

   vi. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection, in which minimum 5 to 6 stations should be within 5 km and 2 to 3 stations in between 5 to 10 km radius following the pre-dominant wind direction.

   vii. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring stations.

   viii. Project proponent shall submit revised certificate regarding cluster of mines as defined in EIA notification from mining department and accordingly EIA study shall be carried out incorporating all the mines included in cluster (If any).

   ix. Project proponent shall complete the fencing all along the boundary and submit photographs in the EIA report.

   x. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost.

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

8. मेसर्स पुटीडीह बिक्स अर्थ क्ले क्वारी एण्ड फिक्स चिमनी ब्रिक प्लांट (प्रो.– श्रीमती सुमन बैरागी), ग्राम–पुटीडीह, तहसील–डभरा, जिला–जांजगीर–चांपा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1736)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 220640/ 2021, दिनांक 18/07/2021।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान एवं फिक्स चिमनी ईंट उत्पादन इकाई है। खदान ग्राम–पुटीडीह, तहसील–डभरा, जिला–जांजगीर–चांपा स्थित खसरा क्रमांक 529, 531, 533, 545/4 एवं 545/5, कुल क्षेत्रफल–1.149 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 900 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई–मेल दिनांक 26/07/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 384वीं बैठक दिनांक 02/08/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के ई–मेल दिनांक 02/08/2021 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है। समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को मान्य किया गया।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित आगामी माह के आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई–मेल दिनांक 27/08/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 385वीं बैठक दिनांक 31/08/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री रामेश्वर प्रसाद बैरागी, अधिकृत प्रतिनिधि विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण**:– इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत पुटीडीह का दिनांक 06/04/2018 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान एलांग विथ क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि.प्रशा.), जिला–कोरबा के ज्ञापन क्रमांक 2495/खलि/उ.यो.अ./2017 कोरबा, दिनांक 23/06/2021 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जांजगीर–चांपा के ज्ञापन क्रमांक 504/ख.लि./न.क्र./2021 जांजगीर, दिनांक 25/04/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जांजगीर–चांपा के ज्ञापन क्रमांक 503/ख.लि./न.क्र./2021 जांजगीर, दिनांक 25/06/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **एल.ओ.आई. का विवरण** – एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जांजगीर–चांपा के ज्ञापन क्रमांक 3877/गौण खनिज/न.क्र./2020–21 जांजगीर, दिनांक 11/11/2020 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 1 वर्ष हेतु वैध है।

7. **भू–स्वामित्व** – भूमि खसरा क्रमांक 529, 531, 533, 545/4 एवं 545/5 श्री रामेश्वर बैरागी एवं आवेदक के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, जांजगीर–चांपा वनमण्डल, चांपा के ज्ञापन क्रमांक/तक.अधि./2898 चांपा, दिनांक 04/06/2020 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–पुटीडीह 1.5 कि.मी. एवं स्कूल ग्राम–पुटीडीह 1.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 17 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 0.7 कि.मी. दूर है। महानदी 4 कि.मी. दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 22,980 घनमीटर, माईनेबल रिजर्व 17,188 घनमीटर एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 16,328 घनमीटर है। लीज की 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 0.064 हेक्टेयर है। ओपन कास्ट मैन्युअल विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 2 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1 मीटर एवं चौड़ाई 1 मीटर है। लीज क्षेत्र के भीतर 1,500 वर्गमीटर में क्षेत्र ईंट निर्माण हेतु भट्ठा स्थापित है, जिसकी फिक्स चिमनी की ऊंचाई 33 मीटर है। ईंट निर्माण हेतु मिट्टी के साथ 50 प्रतिशत फ्लाई ऐश का उपयोग किया जाएगा। खदान की संभावित आयु 20 वर्ष है। एक लाख ईंट निर्माण हेतु 10 टन कोयला की आवश्यकता होगी। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल

का छिड़काव किया जाएगा। अनुमोदित क्वारी प्लान अनुसार प्रस्तावित वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)	उत्पादन (नग)
प्रथम	900	9,00,000
द्वितीय	900	9,00,000
तृतीय	900	9,00,000
चतुर्थ	900	9,00,000
पंचम	900	9,00,000

आगामी वर्षों का उत्पादन योजना

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)	उत्पादन (नग)
षष्टम	900	9,00,000
सप्तम	900	9,00,000
अष्टम	900	9,00,000
नवम	900	9,00,000
दशम	900	9,00,000

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर के माध्यम से किया जाएगा। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 1 मीटर की पट्टी में 379 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

15. **गैर माईनिंग क्षेत्र** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र में साईट सर्विस हेतु 100 वर्गमीटर क्षेत्र को गैर माईनिंग क्षेत्र रखा जाएगा। इसका उल्लेख माईनिंग प्लान में किया गया है।

16. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई. आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु स्थल निरीक्षण उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

<table>
<tr><th rowspan="2">Capital Investment (in Lakh Rupees)</th><th rowspan="2">Percentage of Capital Investment to be Spent</th><th rowspan="2">Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)</th><th colspan="2">Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)</th></tr>
<tr><th>Particulars</th><th>CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)</th></tr>
<tr><td rowspan="4">36</td><td rowspan="4">2%</td><td rowspan="4">0.72</td><td colspan="2">Following activities at Government Janpad Primary School, Village- Putidih</td></tr>
<tr><td>Rain Water Harvesting System</td><td>0.60</td></tr>
<tr><td>Protable Drinking Water facility</td><td>0.20</td></tr>
<tr><td>Total</td><td>0.80</td></tr>
</table>

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

1. ईंट निर्माण हेतु उपयोग में लाए गए कोयले से जनित ऐश की मात्रा एवं रिजेक्ट ब्रिक्स (Reject bricks)/ब्रोकन ब्रिक्स (Broken bricks) के उपयोग की जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
2. लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी, वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की अद्यतन प्रति प्रस्तुत की जाए।
3. उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

9. मेसर्स मुरा "ब" सेण्ड माईन (प्रो.– श्री दीपक कुमार अग्रवाल), ग्राम–मुरा, तहसील–खरसिया, जिला–रायगढ़ (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1739)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / एमआईएन / 220876/2021, दिनांक 20/07/2021।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रेत (गौण खनिज) खदान है। यह खदान ग्राम–मुरा, तहसील–खरसिया, जिला–रायगढ़ स्थित खसरा क्रमांक 241, कुल क्षेत्रफल–4.5 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन माण्ड नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 90,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई–मेल दिनांक 29/07/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 384वीं बैठक दिनांक 02/08/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के ई–मेल दिनांक 02/08/2021 द्वारा सूचना दी गयी है कि जानकारी अपूर्ण होने के कारण से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है। समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को मान्य किया गया।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित आगामी माह के आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई–मेल दिनांक 27/08/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 385वीं बैठक दिनांक 31/08/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 31/08/2021 द्वारा सूचना दी गयी है कि वांछित जानकारी अपूर्ण होने के कारण से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु

उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

10. मेसर्स रक्शापाली सेण्ड माईन (प्रो.– श्री प्रभात लाट), ग्राम–रक्शापाली, तहसील–खरसिया, जिला–रायगढ़ (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1741)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / एमआईएन / 220874/2021, दिनांक 20/07/2021।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रेत (गौण खनिज) खदान है। यह खदान ग्राम–रक्शापाली, तहसील–खरसिया, जिला–रायगढ़ स्थित खसरा क्रमांक 323, कुल क्षेत्रफल–2.045 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन माण्ड नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 31,560 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई–मेल दिनांक 29/07/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 384वीं बैठक दिनांक 02/08/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के ई–मेल दिनांक 02/08/2021 द्वारा सूचना दी गयी है कि जानकारी अपूर्ण होने के कारण से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है। समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को मान्य किया गया।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित आगामी माह के आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई–मेल दिनांक 27/08/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 385वीं बैठक दिनांक 31/08/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 31/08/2021 द्वारा सूचना दी गयी है कि वांछित जानकारी अपूर्ण होने के कारण से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

11. मेसर्स बेलबहरा आर्डिनरी स्टोन क्वारी (प्रो.– श्रीमति रश्मि खन्ना) ग्राम–बेलबहरा, तहसील–मनेन्द्रगढ़, जिला–कोरिया (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1689)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 212789/2021, दिनांक 01/06/2021। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 04/06/2021 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 22/07/2021 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम--खरसूरा, तहसील व जिला–सूरजपुर स्थित खसरा क्रमांक 130 एवं 132(पार्ट), कुल क्षेत्रफल–1 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 7,531.34 टन (2,689.8 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई–मेल दिनांक 27/08/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 385वीं बैठक दिनांक 31/08/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री रिंकेश खन्ना, अधिकृत प्रतिनिधि विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–**
   i. पूर्व में साधारण पत्थर खदान खसरा क्रमांक 130, 132, कुल क्षेत्रफल – 1 हेक्टेयर, क्षमता – 2,689.64 घनमीटर (7,531 टन) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–कोरिया द्वारा दिनांक 10/01/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति 5 वर्ष की अवधि हेतु जारी की गई।
   ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तो के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।
   iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।
   iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला– कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 1043/खनिज/उ.प./2021 कोरिया, बैकुण्ठपुर दिनांक 13/07/2021 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
2016	निरंक
2017	430
2018	132
2019	2,689
2020	2,686

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत बेलबेहरा का दिनांक 11/06/2012 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान, इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–कोरिया के ज्ञापन क्रमांक/2503/खनिज/खलि.2/2016/कोरिया, बैकुण्ठपुर, दिनांक 31/03/2016 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 1045/खनिज/उ.प./2021/कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 13/07/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 1044/खनिज/उ.प./2021/कोरिया बैकुण्ठपुर,, दिनांक 13/07/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **लीज का विवरण** – लीज श्रीमती रश्मि खन्ना के नाम पर है। लीज डीड 10 वर्षों अर्थात् दिनांक 07/10/2014 से 06/10/2024 तक की अवधि हेतु वैध है।

7. **भू–स्वामित्व** – भू–स्वामित्व दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है जो कि अपठनीय है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी (सा.) वनमण्डल मनेन्द्रगढ के ज्ञापन क्रमांक/मा. चि./2012/1916 मनेन्द्रगढ़, दिनांक 22/11/2012 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र की सीमा वन क्षेत्र से 1.5 कि.मी. की दूरी पर है। लीज क्षेत्र में 3 नग पलास के वृक्ष स्थित है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–बेलबेहरा 0.6 कि.मी., स्कूल ग्राम–बेलबेहरा 7 कि.मी. एवं अस्पताल 10 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1.2 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 0.23 कि.मी. दूर है। बांध 0.2 कि.मी. दूर है। हसदो नदी 3.3 कि.मी दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 1,37,571 टन, माईनेबल रिजर्व 70,806 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 63,725 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 3,301.79 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 6 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है तथा कुल मात्रा 6,073 घनमीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5

मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 9 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित है, जिसका क्षेत्रफल 202.02 वर्गमीटर है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम वर्ष	4,213
द्वितीय वर्ष	6,805
तृतीय वर्ष	7,497
चतुर्थ वर्ष	7,531
पंचम वर्ष	7,531

आगामी वर्षों का उत्पादन योजना

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
षष्टम	7,531
सप्तम	7,531
अष्टम	7,531
नवम	7,531

नोटः तालिका में दशमलव के बाद के अंकों को राउण्डऑफ किया गया है।

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर के माध्यम से किया जाएगा। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 520 नग वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में 120 नग वृक्षारोपण किया गया है। शेष 400 नग पौधे रोपित किया जाएगा।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

16. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई. आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

<table>
<tr><th rowspan="2">Capital Investment (in Lakh Rupees)</th><th rowspan="2">Percentage of Capital Investment to be Spent</th><th rowspan="2">Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)</th><th colspan="2">Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)</th></tr>
<tr><th>Particulars</th><th>CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)</th></tr>
<tr><td rowspan="2">30</td><td rowspan="2">2%</td><td rowspan="2">0.60</td><td colspan="2">Following activities at Government Primary School, Village – Kolpara</td></tr>
<tr><td>Rain Water Harvesting System</td><td>0.60</td></tr>
</table>

			Plantation	0.20
			Total	**0.80**

17. समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि माईनिग प्लान में रिजर्व की गणना के दौरान लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी का क्षेत्रफल 3,301.79 वर्गमीटर एवं लेण्ड यूज पैटर्न में 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी का क्षेत्रफल 0.198 हेक्टेयर का उल्लेख है। उक्त विसंगतियों के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए, संशोधित अनुमोदित माईनिग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही क्रशर लीज क्षेत्र के किस भाग में अवस्थित है यह स्पष्ट किया जाना है। यदि क्रशर 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी के भीतर स्थित है, तो उसे मान्य नहीं किया जाएगा।

18. माईनिग प्लान अनुसार लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मात्रा 6,073 घनमीटर है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि उक्त ऊपरी मिट्टी को 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में 2 मीटर की ऊंचाई तक भंडारित कर वृक्षारोपण किया जाएगा। समिति का मत है कि सुरक्षा के कारणों से ऊपरी मिट्टी को 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में 1 मीटर की ऊंचाई से अधिक रखा जाना संभव नहीं है। अतः उपरोक्त के आधार पर संशोधित अनुमोदित माईनिग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. भूमि स्वामित्व संबंधी जानकारी/दस्तावेज की पठनीय प्रति एवं उत्खनन हेतु भूमि स्वामियों का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाए।
2. उपरोक्त दिये गये विवरण अनुसार क्रशर एवं लेण्ड यूज पैटर्न में संशोधन तथा ऊपरी मिट्टी (Top Soil) के भंडारण की उपयुक्त व्यवस्था का समावेश करते हुए संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाए।
3. जल की आपूर्ति हेतु ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
4. लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में किये गए वृक्षारोपण की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत किया जाए। साथ ही प्रस्तावित वृक्षारोपण की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
5. उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

12. मेसर्स खुमरी लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री प्रवीण कुमार अग्रवाल), ग्राम–खुमरी, तहसील–राजपुर, जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1746)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन /221093 /2021, दिनांक 22/07/2021।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–खुमरी, तहसील–राजपुर, जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज स्थित खसरा क्रमांक

138, 139/13 एवं 139/25, कुल क्षेत्रफल–1.368 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–13,440 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई–मेल दिनांक 27/08/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 385वीं बैठक दिनांक 31/08/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री प्रवीण कुमार अग्रवाल, प्रोपराईटर विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:**– इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत डिगनगर का दिनांक 20/08/2020 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान, एलॉग विथ क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 1022/खनिज/खलि.2/2021 कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 09/07/2021 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज के ज्ञापन क्रमांक/ 340/ खनिज/ उत्खनिपट्टा/ 2021 बलरामपुर, दिनांक 16/06/2021 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज के ज्ञापन क्रमांक/339/खनिज/उत्खनिपट्टा/2021 बलरामपुर, दिनांक 16/06/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे एनीकट, मंदिर, नहर, भवन, मस्जिद, मरघट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. **एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – एल.ओ.आई. कार्यलय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज के ज्ञापन क्रमांक/158/गौण खनिज/उत्खननपट्टा/2021 बलरामपुर, दिनांक 16/02/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक हैं।
7. **भू–स्वामित्व** – भूमि खसरा क्रमांक 138 एवं 139/13 श्रीमती शिवबतिया तथा खसरा क्रमांक 139/25 रीझु, बनवारी, हरिचरण के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामियों का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, बलरामपुर वनमण्डल, बलरामपुर के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि.

/2018/4963/बलरामपुर, दिनांक 27/08/2018 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र की सीमा वन क्षेत्र से 0.4–0.6 कि.मी. की दूरी पर है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–खुमरी 0.5 कि.मी., स्कूल मनेन्द्रगढ़ 1 कि.मी. एवं अस्पताल मनेन्द्रगढ़ 1 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 5 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 3.5 कि.मी. दूर है। गागर नदी 1.2 कि.मी दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 2,05,200 टन, माईनेबल रिजर्व 1,34,400 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 1,27,680 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 3,600 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 6 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है तथा कुल मात्रा 9,978 घनमीटर है, जिसमें से 3,600 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को 7.5 मीटर (माईन बाउण्ड्री) क्षेत्र में वृक्षारोपण के लिए उपयोग तथा शेष ऊपरी मिट्टी को सहमति प्राप्त भूमि पर संरक्षित रखने हेतु सक्षम प्राधिकारी से अनुमति उपरांत भंडारित किया जायेगा। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	13,440	छष्टम	13,440
द्वितीय	13,440	सप्तम	13,440
तृतीय	13,440	अष्टम	13,440
चर्तुथ	13,440	नवम	13,440
पंचम	13,440	दशम	13,440

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर के माध्यम से किया जाएगा। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में कुल 785 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

16. **गैर माईनिंग क्षेत्र** – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र में साईट सर्विस हेतु 100 वर्गमीटर क्षेत्र को गैर माईनिंग क्षेत्र रखा जाएगा। इसका उल्लेख माईनिंग प्लान में किया गया है।

17. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई. आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
30	2%	0.60	Following activities at Government Primary School, **Village – Khumri**	
			Rain Water Harvesting System	0.60
			Potable Drinking water Facility	0.30
			Total	**0.90**

18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र में वृक्ष स्थित है। आवश्यकता अनुसार उक्त वृक्षों की कटाई सक्षम प्राधिकारी से अनुमति उपरांत ही की जाएगी।

19. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज के ज्ञापन क्रमांक/ 340/ खनिज/ उत्खनिपट्टा/ 2021 बलरामपुर, दिनांक 16/06/2021 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है। आवेदित खदान (ग्राम–खुमरी) का रकबा 1.368 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स खुमरी लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री प्रवीण कुमार अग्रवाल) की ग्राम–खुमरी, तहसील–राजपुर, जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज के खसरा क्रमांक 138, 139/13 एवं 139/25 में

स्थित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–1.368 हेक्टेयर, क्षमता – 13,440 टन प्रतिवर्ष हेतु **परिशिष्ट–04** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

3. प्रस्तावित लीज क्षेत्र में आने वाले वृक्षों की कटाई न की जाए। सक्षम प्राधिकारी के अनुमति उपरांत आवश्यकता पड़ने पर ही उक्त वृक्षों की कटाई की जाएगी। वृक्षों को काटे जाने की स्थिति में, काटे गये वृक्षों के 10 गुणा आम एवं अन्य फलदार पौधे स्थानीय ग्राम पंचायत द्वारा निर्धारित स्थान पर रोपित किये जायें तथा इनकी 3 वर्ष तक रख–रखाव की व्यवस्था कर ग्राम पंचायत को सौंपा जाएगा।

4. उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व आवेदक, क्षेत्र में उपलब्ध मिट्टी 9,978 घनमीटर को सीमा पट्टी 3,600 वर्गमीटर में आवश्यकतानुसार भण्डारण करने के उपरांत अवशेष मिट्टी लगभग 6,378 घनमीटर के भण्डारण हेतु सक्षम प्राधिकारी से विधिवत् अनुमति प्राप्त की जाए तथा अनुमति की प्रति एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित की जाए।

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

13. मेसर्स कृष्णा आयरन स्ट्रीप्स एण्ड ट्यूब्स प्राईवेट लिमिटेड, उरला इण्डस्ट्रियल एरिया, ग्राम–सरोरा, तहसील व जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 622)

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/ 29609/2017, दिनांक 20/10/2018 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/ 221170/2021, दिनांक 22/07/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्षमता विस्तार के तहत् ग्राम–सरोरा, उरला औद्योगिक क्षेत्र, जिला–रायपुर स्थित प्लाट क्रमांक 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821A, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835A, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848A, कुल क्षेत्रफल – 2.667 हेक्टेयर (6.59 एकड़) के अंतर्गत निम्नानुसार कार्यकलाप हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन बाबत् आवेदन किया गया है:–

कार्यकलाप	ई.सी. आदेश अनुसार स्थापित क्षमता (टन प्रतिवर्ष)	ई.सी. में वांछित संशोधन (टन प्रतिवर्ष)	ई.सी. में वांछित संशोधन उपरांत प्रस्तावित क्षमता (टन प्रतिवर्ष)
बिलेट्स/इंगाट	1,20,000	–	1,20,000
सी.सी.एम. एवं हॉट चार्ज आधारित रोलिंग मिल	1,08,000	प्रतिस्थापित (Replaced)	प्रतिस्थापित (Replaced)

कार्यकलाप	ई.सी. आदेश अनुसार स्थापित क्षमता (टन प्रतिवर्ष)	ई.सी. में वांछित संशोधन (टन प्रतिवर्ष)	ई.सी. में वांछित संशोधन उपरांत प्रस्तावित क्षमता (टन प्रतिवर्ष)
रि–हीटिंग फर्नेस आधारित रोलिंग मिल	12,000	1,08,000	1,20,000
एम.एस. पाईप एण्ड ट्यूब्स	34,600	–	34,600
गैल्वेनाइजिंग ऑफ पाईप एण्ड ट्यूब एण्ड फेब्रिकेटेड आईटम्स	34,600	–	34,600
फेब्रिकेशन युनिट	34,600	–	34,600

एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/02/2019 द्वारा क्षमता विस्तार के तहत् ग्राम–सरोरा, उरला औद्योगिक क्षेत्र, जिला–रायपुर स्थित प्लाट क्रमांक 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821A, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835A, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848A, कुल क्षेत्रफल – 2.667 हेक्टेयर (6.59 एकड़) के अंतर्गत निम्नानुसार कार्यकलाप हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया गया है:–

कार्यकलाप	स्थापित क्षमता	क्षमता विस्तार उपरांत प्रस्तावित क्षमता
इण्डक्शन फर्नेस यूनिट विथ सी.सी.एम. से बिलेट्स/इंगाट उत्पादन हेतु	34,600 टन प्रतिवर्ष	1,20,000 टन प्रतिवर्ष
रोलिंग मिल से री–रोल्ड प्रोडक्ट्स उत्पादन हेतु	34,600 टन प्रतिवर्ष	1,20,000 टन प्रतिवर्ष (1)
एम.एस. पाईप एण्ड ट्यूब	34,600 टन प्रतिवर्ष	1,20,000 टन प्रतिवर्ष
गैल्वेनाइजिंग ऑफ पाईप एण्ड ट्यूब एण्ड फेब्रिकेटेड आईटम्स	34,600 टन प्रतिवर्ष	34,600 टन प्रतिवर्ष
फेब्रिकेशन युनिट	34,600 टन प्रतिवर्ष	34,600 टन प्रतिवर्ष

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई–मेल दिनांक 25/08/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 385वीं बैठक दिनांक 31/08/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री प्रभाकर लाल दास, प्लांट मैनेजर विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रस्तुत जानकारी में विषमता होने के कारण दिनांक 31/08/2021 को उनके द्वारा जानकारियों का पुनःपरीक्षण कर समिति के समक्ष आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

14. मेसर्स नवकी आर्डिनरी स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री मनोज कुमार अग्रवाल), ग्राम–नवकी, तहसील–राजपुर, जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1747)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 221714/2021, दिनांक 26/07/2021।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–नवकी, तहसील–राजपुर, जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज स्थित खसरा क्रमांक 394/32, कुल क्षेत्रफल–1.215 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–12,246 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई–मेल दिनांक 27/08/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 385वीं बैठक दिनांक 31/08/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री मनोज कुमार अग्रवाल, प्रोपराईटर विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गईः–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरणः–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत नवकी का दिनांक 22/08/2020 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान एलॉग विथ क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 1020/खनिज/खलि.2/2021 कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 09/07/2021 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज के ज्ञापन क्रमांक 344/ खनिज/उत्खनिपट्टा /2021 बलरामपुर, दिनांक 16/06/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज के ज्ञापन क्रमांक 343/खनिज/उत्खनिपट्टा/2021 बलरामपुर, दिनांक 16/06/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. **एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज के ज्ञापन क्रमांक 642/गौण खनिज/उत्खननपट्टा/2020 बलरामपुर, दिनांक 23/09/2020 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि उक्त आशय पत्र में गौण खनिज निम्न श्रेणी चूना

पत्थर का उल्लेख किया गया था। किन्तु खनि निरीक्षक द्वारा स्थल निरीक्षण एवं आवेदित स्थल का बोर (Hole) कराये जाने पर गौण खनिज साधारण पत्थर पाया गया। उपरोक्त के आधार पर कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज के ज्ञापन क्रमांक 189/ खनिज/ उत्खनिपट्टा/ 2021 बलरामपुर, दिनांक 23/02/ 2021 द्वारा "गौण खनिज निम्न श्रेणी चूना पत्थर के स्थान पर गौण खनिज साधारण पत्थर पढ़ा जावे" संशोधित एल.ओ.आई. जारी की गई है।

7. **भू–स्वामित्व** – भूमि खसरा क्रमांक 394/32 श्रीमती लक्ष्मी देवी के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, बलरामपुर वनमण्डल, बलरामपुर के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./2018/7949 बलरामपुर, दिनांक 24/10/2018 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र की सीमा वन भूमि से 500 मीटर की दूरी पर है।

10. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–नवकी 0.257 कि.मी., स्कूल एवं अस्पताल ग्राम–नवकी 0.3 कि.मी. दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 0.86 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 2 कि.मी. दूर है। गेऊर नदी 1.2 कि.मी. दूर है।

11. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 1,89,540 टन, माईनेबल रिजर्व 1,22,109 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 1,16,003 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 3,405 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 6 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है तथा कुल मात्रा 8,745 घनमीटर है, जिसमें से 3,404 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को 7.5 मीटर (माईन बाउण्ड्री) क्षेत्र में वृक्षारोपण के लिए उपयोग तथा शेष ऊपरी मिट्टी को सहमति प्राप्त भूमि पर संरक्षित रखने हेतु सक्षम प्राधिकारी से अनुमति उपरांत भंडारित किया जायेगा। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	12,246
द्वितीय	12,246
तृतीय	12,246

चर्तुथ	12,246
पंचम	12,246

आगामी वर्षों का उत्पादन योजना

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
षष्टम	12,246
सप्तम	12,246
अष्टम	12,246
नवम	12,129
दशम	12,012

13. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैंकर के माध्यम से की जाएगी। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

14. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 729 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

16. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई. आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	**CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)**
36	2%	0.72	Following activities at Government Aanganbadi kendra, **Village – Nawki**	
			Rain Water Harvesting System	0.60
			Plantation with fencing	0.20
			Total	**0.80**

17. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज के ज्ञापन क्रमांक 344/ खनिज/उत्खनिपट्टा /2021 बलरामपुर, दिनांक 16/06/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है। आवेदित खदान (ग्राम–नवकी) का रकबा 1.215 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।
2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स नवकी आर्डिनरी स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री मनोज कुमार अग्रवाल) की ग्राम–नवकी, तहसील–राजपुर, जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज के खसरा क्रमांक 394/32 में स्थित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल–1.215 हेक्टेयर, क्षमता – 12,246 टन प्रतिवर्ष हेतु **परिशिष्ट–05** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।
3. उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व आवेदक, क्षेत्र में उपलब्ध मिट्टी 8,745 घनमीटर को सीमा पट्टी 3,405 वर्गमीटर में आवश्यकतानुसार भण्डारण करने के उपरांत अवशेष मिट्टी लगभग 5,341 घनमीटर के भण्डारण हेतु सक्षम प्राधिकारी से विधिवत् अनुमति प्राप्त की जाए तथा अनुमति की प्रति एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित की जाए।

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

एजेन्डा आयटम क्रमांक–3: परियोजना प्रस्तावकों से वांछित जानकारी / दस्तावेज प्राप्त प्रकरणों पर विचार कर पर्यावरणीय स्वीकृति / टीओआर हेतु निर्णय लिया जाना।

1. क्लस्टर स्कीम के अतंर्गत गौण खनिज प्रकरणों में दिनांक 09/09/2013 के पूर्व अनुदत्त उत्खनन पट्टों को क्लस्टर में शामिल करने अथवा नहीं करने तथा ऐसे पट्टों हेतु क्लस्टर के लिए निर्धारित प्रक्रिया / प्रावधान लागू होने के संबंध में।

- सदस्य सचिव, राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ को भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक 22-9/2020-IA.III(E. 135149) दिनांक 26/07/2021 के माध्यम से श्री शिवलाल चक्रधारी, जोरातराई / मुढीपार माईनिंग ऐसोसिएशन, दुर्ग को उनके ज्ञापन क्रमांक 22-9/2020-IA.III दिनांक 08/10/2020 द्वारा गौण खनिज

खदानों के क्लस्टर स्कीम के अंतर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति लागू होने बाबत् निम्नानुसार स्पष्ट किया गया है:–

"I am directed to refer to your letter dated 10th January, 2020 regarding the above mentioned subject. The definition of cluster in the context of mining was defined vide notification S.O. 2269 (E) dated 01/07/2016.

2. In this regard, it is informed that the applicability of provisions of above said Notification is applicable prospectively i.e. after 01/07/2016."

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 385वीं बैठक दिनांक 31/08/2021:

समिति द्वारा प्राप्त पत्र का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्नानुसार स्थिति पाई गई:–

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा का.आ. 2269(अ), दिनांक 01 जुलाई, 2016 के माध्यम से ई.आई.ए. अधिसूचना में किये गये संशोधन अनुसार **"कोई कलस्टर उस समय बनाया जाएगा जब एक लीज के परिसरों के बीच दूरी उस सदृश खनिज क्षेत्र में अन्य पट्टे के परिसर से 500 मीटर से कम है, जो 9 सितंबर, 2013 को और उसके पश्चात् अनुदत्त खान पट्टों या खदान अनुज्ञप्तियों को लागू होगी"** का प्रावधान है।

2. तदोपरांत माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा ओरिजनल एप्लीकेशन नं. 186/2016 (एम.ए.नं. 350/2016) एवं अन्य में दिनांक 13/09/2018 को दिये आदेश अनुसार सभी 5 से 25 हेक्टेयर क्षेत्र एवं समूह (क्लस्टर) स्थिति हेतु इन्वायरोंमेंट इम्पेक्ट असेसमेंट (ई.आई.ए.), इन्वायरोंमेंट मेनेजमेंट प्लान (ई.एम.पी.) तथा जन सुनवाई आवश्यक है। साथ ही यह भी आदेशित किया गया है कि 5 हेक्टेयर से अधिक व्यष्टिक खनन पट्टे (इण्डिविजुअल) एवं समूह (कलस्टर) स्थिति हेतु इन्वायरोंमेंट इम्पेक्ट असेसमेंट (ई.आई.ए.)/इन्वायरोंमेंट मेनेजमेंट प्लान (ई.एम.पी.) बनाना आवश्यक है। इस आदेश में क्लस्टर के अंतर्गत किसी दिनांक विशेष को तथा इसके पूर्व अनुदत्त खान पट्टों (लीज) या खदान अनुज्ञप्तियों (लाईसेंस) को शामिल किया जाना है अथवा नहीं? इस विषय में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 12/12/2018 द्वारा माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा ओरिजनल एप्लीकेशन नं. 186/2016 (एम.ए.नं. 350/2016) एवं अन्य में दिनांक 13/09/2018 द्वारा जारी आदेश को लागू करने हेतु निर्देशित किया गया है। इस निर्देश पत्र में क्लस्टर के अंतर्गत किसी दिनांक विशेष को तथा इसके पूर्व अनुदत्त खान पट्टों (लीज) या खदान अनुज्ञप्तियों (लाईसेंस) को शामिल किया जाना है अथवा नहीं? इस विषय में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

4. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक 22-9/2020-IA.III(E. 135149) दिनांक 26/07/2021 के माध्यम से श्री शिवलाल चकधारी, जोरातराई / मुढीपार माईनिंग ऐसोसिएशन, दुर्ग को उनके ज्ञापन क्रमांक 22-9/2020-IA.III दिनांक 08/10/2020 द्वारा गौण खनिज

खदानों के क्लस्टर स्कीम के अंतर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति लागू होने बाबत् स्पष्टीकरण में संशोधन नोटिफिकेशन दिनांक 01/07/2016 भविष्यलक्षी प्रभाव से लागू होने का उल्लेख किया गया है।

5. राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ /राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ द्वारा माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशानुसार सभी 5 से 25 हेक्टेयर क्षेत्र एवं समूह (क्लस्टर) स्थिति हेतु खदानों को टी.ओ.आर. (लोक सुनवाई सहित) जारी कर आगामी कार्यवाही की जाती / जा रही है। वर्तमान में दिनांक 26/07/2021 को भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली से उपरोक्त वर्णित पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि:–

   i. माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा दिये गये आदेश दिनांक 13/09/2018 के परिपालन हेतु 5 से 25 हेक्टेयर क्षेत्र एवं समूह (क्लस्टर) स्थिति में क्या 9 सितंबर, 2013 के पूर्व अनुदत्त खान पट्टों को छुट दी जानी है?

   ii. क्या 9 सितंबर, 2013 के पूर्व अनुदत्त खान पट्टों या खदान अनुज्ञप्तियों (लाईसेंस) को क्लस्टर की गणना में शामिल करना है अथवा नहीं? तथा उनके लिए इन्वायरोंमेंट इम्पेक्ट असेसमेंट (ई.आई.ए.), इन्वायरोंमेंट मेनेजमेंट प्लान (ई.एम.पी.) तथा जन सुनवाई आवश्यक है अथवा नहीं?

   iii. क्या 9 सितंबर, 2013 के पूर्व अनुदत्त खान पट्टों (लीज) या खदान अनुज्ञप्तियों (लाईसेंस) को कॉमन इन्वायरोंमेंट मेनेजमेंट प्लान (सी.ई.एम.पी.) में शामिल करना है अथवा नहीं?

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से उपरोक्त तथ्यों के संबंध में भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली को पत्र भेजकर उपरोक्त बिन्दुओं पर स्पष्ट मार्गदर्शन प्राप्त करने हेतु अनुरोध करने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

2. मेसर्स आर.आर. इस्पात (ए युनिट ऑफ गोदावरी पॉवर एण्ड इस्पात लिमिटेड), ग्राम–उरला, तहसील व जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 732)

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/ 28324/ 2018, दिनांक 19/07/2018 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /आईएनडी/28324/2018, दिनांक 16/06/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई. आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् ग्राम–उरला, तहसील व जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 490/1, 237/3, 237/6, 476/2, 483, 484, 485,(पार्ट), 486, 490/2, (पार्ट), 487, (पार्ट), 488, 489/2, (पार्ट), 474(पार्ट), 489, 490/2 489/1, 488, 497, 485, 486, 490/2,

(पार्ट), 496 (पार्ट), 239/1, 239/2, 240, 241, 236/1, 236/2, 327/1, 327/2, 327/2, 327/3, 328/1, 328/2, 330/1, 330/2, 271/6, 324/1 एवं 271/5, कुल क्षेत्रफल – 5.348 हेक्टेयर में रोलिंग मिल क्षमता–2,14,000 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 3,00,000 टन प्रतिवर्ष (हॉट चार्जिंग आधारित 1,00,000 टन प्रतिवर्ष एवं री–हीटिंग आधारित 2,00,000 टन प्रतिवर्ष) करने एवं backward integration के तहत् स्टील मेल्टिंग शॉप विथ एल.आर.एफ. क्षमता–2,45,000 टन प्रतिवर्ष (15 टन गुणा 06 नग) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। क्षमता विस्तार एवं backward integration के पश्चात् परियोजना का विनियोग रुपए 48.5 करोड़ होगी।

पूर्व में एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 25/02/2019 द्वारा प्रकरण बी–1 केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ईआईए/ईएमपी रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ईआईए नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 3(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) मेटालर्जिकल इण्डस्ट्रीज (फेरस एण्ड नॉन–फेरस) हेतु जारी किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 381वीं बैठक दिनांक 24/07/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री दिनेश अग्रवाल, डॉयरेक्टर एवं पर्यावरण सलाहकार मेसर्स पाल्युशन एण्ड इकोलॉजी कंट्रोल सर्विसेस, नागपुर की ओर से डॉ. शिल्पा अलग विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **जारी पर्यावरणीय स्वीकृति –**

   - पूर्व में राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 834, दिनांक 19/01/2018 द्वारा रोलिंग मिल क्षमता–1,00,000 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 2,14,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई।
   - जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में त्रुटिवश 5.348 हेक्टेयर के स्थान पर 7.899 हेक्टेयर का उल्लेख हो गया था। वर्तमान में स्थापित इकाई का क्षेत्र 5.348 हेक्टेयर है।

3. **जल एवं वायु सम्मति –**

   - छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा रोलिंग मिल 2,14,000 टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण दिनांक 11/06/2018 को जारी की गई है।

- वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत की गई है।

4. **निकटतम स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी –**

- निकटतम आबादी ग्राम–उरला 1 कि.मी. एवं रायपुर 5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। स्कूल ग्राम–उरला 0.5 कि.मी. एवं रेलवे स्टेशन रायपुर 10 कि.मी. एवं पाठक अस्पताल 6 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। स्वामी विवेकानंद विमानपत्तन, माना, रायपुर 20 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। खारुन नदी 3 कि.मी. एवं छोकरा नाला 3.5 कि.मी. की दूरी पर है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2.5 कि. मी. है।

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

5. **लेण्ड एरिया स्टेटमेंट** – कुल क्षेत्रफल 5.348 हेक्टेयर है, जिसमें से स्थापित रोलिंग मिल का क्षेत्रफल 0.831 हेक्टेयर, प्रस्तावित स्टील मेल्टिंग शॉप का क्षेत्रफल 0.647 हेक्टेयर, कुलिंग एवं स्टॉक यार्ड क्षेत्रफल 1.416 हेक्टेयर, रोड/पेव्ड का क्षेत्रफल 0.826 हेक्टेयर तथा हरित पट्टिका हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल 1.628 हेक्टेयर (लगभग 30 प्रतिशत) होगा। इस प्रकार क्षमता विस्तार/ बेकवर्ड इंटीग्रेशन हेतु अतिरिक्त भूमि अधिग्रहित किया जाना प्रस्तावित नहीं है।

6. **भू–स्वामित्व** – प्लॉट नं. 490/1, क्षेत्रफल 0.83 हेक्टेयर सी.एस.आई.डी.सी. द्वारा अधिग्रहित किया गया है एवं शेष भूमि मेसर्स आर.आर. इस्पात के नाम पर है।

7. **रॉ–मटेरियल –**

Raw Material & finished products of the Rolling mill and SMS		
Name of Raw Material	**Quantity (TPA)**	**Mode Transport**
Sponge Iron	2,68,000	By Road
Scrap	31,850	
Flux	2,450	
Silico Manganese (Ferro)	2,450	
Billets	3,19,050 (for cold rolled 2,12,700 and for hot rolled 1,06,350)	
Coal for Gasifier	15,558 (cold rolled)	

8. **स्थापित एवं प्रस्तावित इकाईयों संबंधी जानकारी –**

- वर्तमान में स्थापित कोल गैसीफॉयर आधारित रोलिंग मिल द्वारा कुल क्षमता 2,14,000 टन प्रतिवर्ष से री–रोल्ड प्रोडक्ट्स का उत्पादन किया जाता है। क्षमता विस्तार उपरांत कोल गैसीफॉयर आधारित रोलिंग मिल की क्षमता 2,00,000 टन प्रतिवर्ष एवं 1,00,000 टन प्रतिवर्ष क्षमता की रोलिंग मिल को

हॉट चार्ज्ड सिस्टम से री–रोल्ड प्रोडक्ट्स का उत्पादन किया जाना प्रस्तावित है। री–रोल्ड प्रोडक्ट्स का उत्पादन वर्तमान में स्थापित रोलिंग मिल की स्पीड 50 मीटर/सेकण्ड से 75 मीटर/सेकण्ड में वृद्धि कर किया जाना प्रस्तावित है।

- प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु स्टील मेल्टिंग शॉप के तहत् इंडक्शन फर्नेसेस (6 गुणा 15 टन) विथ एल.आर.एफ. (30 टन) क्षमता–2,45,000 टन प्रतिवर्ष स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। इंडक्शन फर्नेसेस से प्राप्त हॉट मेटल को हॉट चार्जिंग रोलिंग मिल में उपयोग कर 1,00,000 टन प्रतिवर्ष री–रोल्ड प्रोडक्ट्स एवं शेष से बिलेट्/इंगाट्स का उत्पादन किया जाना प्रस्तावित है।

9. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – वर्तमान में स्थापित रोलिंग मिल में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु हीट रिकुपरेटर एवं साइक्लोन वॉटर स्क्रबर तथा 44 मीटर ऊंची चिमनी स्थापित है। क्षमता विस्तार के तहत् चिमनी की ऊंचाई में वृद्धि नहीं किया जाना प्रस्तावित है। स्टील मेल्टिंग शॉप में वायु प्रदुषण नियंत्रण हेतु फ्यूम स्ट्रेक्शन सिस्टम के साथ बेग फिल्टर (पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 30 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर से कम) एवं 30 मीटर ऊंची चिमनी स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। फ्युजिटीव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था है। यही व्यवस्था क्षमता विस्तार/ बेकवर्ड इंटीग्रेशन हेतु भी अपनाई जाएगी।

10. **ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था** – वर्तमान में रोलिंग मिल से मिल स्केल/एण्ड कटिंग – 4,365 टन प्रतिवर्ष, कोल गैसीफायर से ऐश – 6,848 टन प्रतिवर्ष एवं टार – 736 किलोग्राम प्रतिमाह ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होता है। क्षमता विस्तार उपरांत बेकवर्ड इंटीग्रेशन के तहत् रोलिंग मिल से मिल स्केल/एण्ड कटिंग – 6,350 टन प्रतिवर्ष, कोल गैसीफायर से ऐश–6,400 टन प्रतिवर्ष एवं टार – 736 किलोग्राम प्रतिमाह तथा इण्डक्शन फर्नेस से स्लेग – 56,350 टन प्रतिवर्ष ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होगा। मिल स्केल को प्रस्तावित स्टील मेल्टिंग शॉप में उपयोग किया जाएगा। ऐश को समीपस्थ ब्रिक्स प्लांट्स को विक्रय किया जाएगा। टॉर को अधिकृत विक्रेता को विक्रय किया जाएगा। स्लेग से मेटल रिकव्हर कर स्टील मेल्टिंग शॉप में एवं शेष को लैण्ड फिलिंग हेतु उपयोग किया जाएगा।

11. **जल प्रबंधन व्यवस्था –**

- **जल खपत एवं स्त्रोत** – वर्तमान में रोलिंग मिल परियोजना हेतु कुल 50 घनमीटर प्रतिदिन जल का उपयोग किया जाता है। क्षमता विस्तार उपरांत परियोजना हेतु कुल 650 घनमीटर प्रतिदिन जल का उपयोग किया जाएगा। औद्योगिक प्रक्रिया हेतु रोलिंग मिल में कुल 70 घनमीटर प्रतिदिन एवं स्टील मेल्टिंग शॉप में 576 घनमीटर प्रतिदिन तथा घरेलू हेतु 4 घनमीटर का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। आवश्यक जल की आपूर्ति छत्तीसगढ़ इस्पात भूमि लिमिटेड से की जाती है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत आवश्यक जल की आपूर्ति हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति लिया जाना प्रस्तावित है।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – औद्योगिक प्रक्रिया से दूषित जल उत्पन्न होता है। रोलिंग मिल से कुलिंग उपरांत प्राप्त दूषित जल को ठंडा कर पुनः कूलिंग हेतु उपयोग में लाया जाता है। प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु औद्योगिक प्रक्रिया से उत्पन्न दूषित जल औद्योगिक दूषित जल को ठंडा कर पुनः कूलिंग हेतु उपयोग किया जाएगा। साथ ही ई.टी.पी.(न्यूट्रिलाईजेशन सिस्टम) की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। ई.टी.पी. से उपचारित जल को डस्ट सप्रेशन में उपयोग किया जाएगा। वर्तमान में 1 घनमीटर प्रतिदिन घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सेप्टिक टैंक एवं सोकपिट निर्माण किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत घरेलू दूषित जल की मात्रा 3 घनमीटर प्रतिदिन होगी, जिसके उपचार हेतु सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना प्रस्तावित है। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाती है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का विस्तृत विवरण फ्लोचार्ट सहित प्रस्तुत नहीं की गई है।

- **भू–जल उपयोग प्रबंधन** – उद्योग स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार सेमी क्रिटिकल जोन में आता है। जिसके अनुसारः–

  (अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 50 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।

  (ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / ऑर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू–जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिए जाने का प्रावधान है। अतः उद्योग को रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

  (स) उद्योग द्वारा 40 घनमीटर/दिन ग्राउण्ड वॉटर उपयोग करने हेतु सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी की अनुमति दिनांक 26/04/2018 द्वारा प्राप्त किया गया है।

- **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – उद्योग परिसर में वर्षा के पानी का कुल रनऑफ 37,915 घनमीटर प्रतिवर्ष है। रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 12 नग रिचार्ज वेल का निर्माण किया जाएगा। रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था की विस्तृत विवरण/जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।

12. **विद्युत खपत एवं स्त्रोत** – क्षमता विस्तार के तहत् रोलिंग मिल परियोजना हेतु 4.5 मेगॉवाट एवं स्टील मेल्टिंग शॉप परियोजना हेतु 36.5 मेगॉवाट विद्युत की आवश्यकता है, जिसकी आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी से की जाएगी।

13. **वृक्षारोपण संबंधी जानकारी** – हरित पट्टिका के विकास हेतु कुल क्षेत्रफल का 1.628 हेक्टेयर (लगभग 30 प्रतिशत) में वृक्षारोपण 2,500 नग वृक्षारोपण किया गया है। वृक्षारोपण का कार्य मानसून तक पूर्ण कर लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त सी.एस.आई.डी.सी. द्वारा दिये गये चयनित भूमि में वृक्षारोपण का कार्य किया जाएगा। समिति का मत है कि कम से कम 40 प्रतिशत क्षेत्र (जिसमें से उद्योग परिसर के भीतर कम से कम 33 प्रतिशत क्षेत्र) में सघन वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

14. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषणः–**

i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य दिनांक 02/01/2019 से 26/03/2019 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 8 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर भू–जल गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 3 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 4 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

ii. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पी.एम.$_{2.5}$ 18 से 38.3 माईक्रोग्राम/घनमीटर, पी.एम.$_{10}$ 55.8 से 79.3 माईक्रोग्राम/घनमीटर, एसओ$_2$ 5.4 से 9 माईक्रोग्राम/घनमीटर तथा एनओ$_{एक्स}$ 14.8 से 24.9 माईक्रोग्राम/घनमीटर पाई गई है। जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक के अनुरूप है।

iii. परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ता भारतीय मानक के अनुसार है।

iv. परिवेशीय ध्वनि स्तर (Day time) 54.5 डीबीए से 63.1 डीबीए एवं ध्वनि स्तर (Night time) 52.5 डीबीए से 62.2 डीबीए पाया गया। जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक के अनुरूप है।

15. लोक सुनवाई दिनांक 05/03/2020 प्रातः 11:00 बजे स्थान परियोजना स्थल उरला इण्डस्ट्रीयल एसोसिऐशन के सभाकक्ष, उरला इण्डस्ट्रीयल कॉम्पलेक्स, जिला–रायपुर में संपन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के पत्र दिनांक 19/06/2020 द्वारा प्रेषित किया गया है।

16. **जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैंः–**

i. सी.एस.आर. के तहत् नगर निगम क्षेत्र, बीरगांव में विकास कार्य नहीं किया गया है। साथ ही वृक्षारोपण कार्य, प्रदूषित जल के उपचार हेतु उचित व्यवस्था, वायु प्रदूषण नियंत्रण आदि की व्यवस्था नहीं है।

ii. प्रदूषण के कारण लोग गंभीर बीमारियों से ग्रसित हो रहे है। तालाब प्रदूषित हो रहे है। नगर निगम क्षेत्र का पानी प्रदूषित हो रही है। फिल्टर प्लांट में भी पानी की सफाई नहीं हो रही है।

iii. ई.एस.पी. दिन में कार्यरत एवं रात में बंद रहता है।

iv. प्राथमिकता के आधार पर संबंधित ग्रामों के लोगों को ही रोजगार दिया जाना चाहिए।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसलटेंट का कथन निम्नानुसार हैः–

i. सी.एस.आर. मद के अंतर्गत उद्योग द्वारा जल प्रबंधन के संबंध में तालाब एवं वॉटर शेड बनाकर जल की व्यवस्था की जाएगी। उद्योग द्वारा स्वास्थ्य, शिक्षा, आधारभूत संरचना एवं मानवीय मूल्यों का ध्यान रखा जाएगा।

ii. गांव के विकास के लिए कमिटी बनाई जाएगी, जिसमें स्थानीय जन प्रतिनिधियों तथा पर्यावरण विभाग के अधिकारी को सदस्य बनाया जाएगा। प्रत्येक माह बैठक आयोजित की जाएगी।

iii. प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाये जायेगे।

iv. शिक्षित बेरोजगारों को योग्यता के आधार पर स्थानीय लोगों को आवश्यकतानुसार रोजगार हेतु प्राथमिकता दी जायेगी।

17. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई. आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव उपयुक्त नहीं है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. संशोधित ले–आउट में प्रस्तावित वृक्षारोपण को दर्शाते हुये (सेक्शन में विभाजित कर) वृक्षारोपण की संख्या तथा क्षेत्रफल (उपरोक्त विवरण अनुसार) प्रस्तुत किया जाए। सी.एस.आई.डी.सी. द्वारा दी गई भूमि में प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु कार्ययोजना प्रस्तुत की जाए।
2. सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एवं ई.टी.पी. की विस्तृत जानकारी प्रोसेस फ्लोचार्ट सहित प्रस्तुत की जाए।
3. जारी किये गये टर्म्स ऑफ रेफरेन्स का पालन प्रतिवेदन एवं लोक सुनवाई में उठाये गये मुद्दों के निराकरण की दिशा में प्रस्तावित कार्यवाही (In hindi tabular form) की जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
4. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नवा रायपुर से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
5. जल की आपूर्ति हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
6. वर्तमान में स्थापित इकाई एवं प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत उत्पादन की दशा में कुल प्रदूषण भार की गणना कर प्रदूषको (पार्टिकुलेट मेटर एवं एसओ$_2$) के उत्सर्जन की मात्रा का विवरण प्रस्तुत किया जाए।
7. स्थापित एवं प्रस्तावित रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्थाओं का विस्तृत विवरण (नंबर एवं साईज सहित) प्रोसेस फ्लो चार्ट सहित प्रस्तुत की जाए।
8. भारी वाहनों / मल्टीएक्शल हैवी वाहनों को समाहित करते हुये ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाए।
9. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव (कुल लागत का 2 प्रतिशत) पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।

10. उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 381वीं बैठक दिनांक 24/07/2021 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 10/08/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 385वीं बैठक दिनांक 31/08/2021:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा backward integration के तहत् स्टील मेल्टिंग शॉप विथ एल.आर.एफ. क्षमता–2,45,000 टन प्रतिवर्ष (15 टन गुणा 06 नग) हेतु वर्तमान में स्थापित इकाई से प्रदूषण भार में में वृद्धि होने के कारण प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव में backward integration के तहत् स्टील मेल्टिंग शॉप विथ एल.आर. एफ. क्षमता–2,45,000 टन प्रतिवर्ष (15 टन गुणा 06 नग) के प्रस्ताव को वापस लिये जाने का अनुरोध किया गया है। जिसे समिति द्वारा मान्य किया गया।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रोलिंग मिल क्षमता–2,14,000 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 3,00,000 टन प्रतिवर्ष (री–हीटिंग फर्नेस आधारित) हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने का अनुरोध किया गया।
3. संशोधित ले–आउट में प्रस्तावित वृक्षारोपण को दर्शाते हुये (सेक्शन में विभाजित कर) प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार वर्तमान में हरित पट्टिका के विकास हेतु कुल क्षेत्रफल 1.628 हेक्टेयर (30 प्रतिशत) क्षेत्र में 2,500 नग पौधे रोपित किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् 0.132 हेक्टेयर (33 प्रतिशत) क्षेत्र में 330 नग अतिरिक्त पौधे रोपित किया जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त औद्योगिक क्षेत्र उरला बिरगांव के मुख्य मार्ग के दोनों तरफ 12,500 नग वृक्षारोपण किया गया है। साथ ही सी.एस.आई.डी.सी. द्वारा आबंटित भूमि 4 एकड़ में 3,200 नग पौधे रोपित किया जाना प्रस्तावित है। इस प्रकार 40 प्रतिशत क्षेत्र में सघन वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है।
4. रोलिंग मिल से उत्पन्न दूषित जल को कुलिंग उपरांत ठंडा कर पुनः कूलिंग हेतु उपयोग में लाया जाएगा। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाएगी। घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु 60 घनमीटर प्रतिदिन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना प्रस्तावित है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंतर्गत बार स्क्रीन चेम्बर, पम्पिंग स्टेशन, होल्डिंग टैंक, वेटलेण्ड सेल, कलेक्शन टैंक, फिल्टर एवं डिसइंफेक्शन (सोडियम हाईपोक्लोराईट) आदि स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।
5. जारी किये गये टर्म्स ऑफ रेफरेन्स का पालन प्रतिवेदन एवं लोक सुनवाई में उठाये गये मुद्दों के निराकरण की दिशा में प्रस्तावित कार्यवाही (In hindi tabular form) की जानकारी प्रस्तुत की गई है।
6. क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नागपुर के ज्ञापन दिनांक 12/02/2019 द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत की गई है।
7. वर्तमान में जल आपूर्ति हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी के पत्र दिनांक 26/04/2018 द्वारा अनुमति प्राप्त की गई है। प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु जल

आपूर्ति के लिए सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी में दिनांक 10/01/2020 को आवेदन किया गया है।

8. वर्तमान में स्थापित इकाई एवं प्रस्तावित कार्यकलाप (रोलिंग मिल क्षमता–3,00,000 टन प्रतिवर्ष (री–हीटिंग फर्नेस आधारित) उपरांत उत्पादन की दशा में कुल प्रदूषण भार की गणना कर प्रदूषको (पार्टिकुलेट मेटर एवं एसओ$_2$) के उत्सर्जन की मात्रा का विवरण प्रस्तुत किया गया है। जिसके अनुसार वर्तमान में स्थापित इकाई से पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन 40 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर के अनुसार कुल उत्सर्जन मात्रा 17,680 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष एवं एस.ओ.$_2$ उत्सर्जन की मात्रा 1,71,360 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष है। प्रस्तावित रोलिंग मिल से बेग फिल्टर एवं चिमनी से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 25 मिलीग्राम/सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किये जाने से पार्टिकुलेट मेटर की मात्रा 15,504 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष एवं डि–सल्फराईजेशन उपरांत एस.ओ.$_2$ उत्सर्जन की मात्रा 1,56,060 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष होना संभावित है। इस प्रकार पार्टिकुलेट मेटर की मात्रा में 2,176 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष एवं एस.ओ.$_2$ उत्सर्जन की मात्रा में 15,300 कि.ग्रा. प्रतिवर्ष की कमी होना संभावित है।

9. उद्योग परिसर में वर्षा जल का कुल रनऑफ 38,892 घनमीटर है। रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 14 नग रिचार्ज पिट (क्षमता 1 नग 1.53 घनमीटर, 8 नग 2.35 घनमीटर, 3 नग 2.19 घनमीटर, 1 नग 2.02 घनमीटर एवं 1 नग 2.1 घनमीटर) निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था पश्चात् परिसर के पूर्ण रनऑफ को रिचार्ज किया जा सकेगा। सभी रिचार्ज स्ट्रक्चर्स इस प्रकार निर्मित किए जाएगें कि इनमें समान मात्रा में वर्षा जल का बहाव हो सके। समिति का मत है कि यह कार्य आगामी 1 माह में पूर्ण किया जाए।

10. भारी वाहनों / मल्टीएक्शल हैवी वाहनों को समाहित करते हुये ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार वर्तमान में 1,024 पी.सी.यू. प्रतिघंटा है। प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत 1,026 पी.सी.यू. प्रतिघंटा होगी। विस्तार के उपरांत भी रॉ–मटेरियल / प्रोडक्ट्स के परिवहन हेतु सड़क मार्ग की लोड कैरिंग क्षमता निर्धारित मानक के भीतर है।

11. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Additional Capital Investment (in Lakh Rupees)	**Percentage of Capital Investment to be Spent**	**Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)**	**Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)**	
			Particulars	**CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)**
700	2%	14	Following activities at 2 Nearby Government Schools, Municipal corporation Birgaon & Urla	

			Police Station	
			Rain Water Harvesting System	3.50
			Pond Digging	1.50
			Potable Drinking Water Facility	0.50
			Plantation with Fencing	15.50
			Total	**21.00**

प्रस्तावित कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) का कार्य (1) शासकीय प्राथमिक शाला ग्राम–अछोली, (2) शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला ग्राम–बीरगांव, (3) उरला पोलिस स्टेशन, (4) नगर निगम बीरगांव द्वारा ग्राम–उरला में 4 एकड़ क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्य एवं (5) ग्राम–उरला के 4 एकड़ क्षेत्र में तालाब (Pond Digging) निर्माण किया जाएगा।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर **समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् मेसर्स आर.आर. इस्पात (ए युनिट ऑफ गोदावरी पॉवर एण्ड इस्पात लिमिटेड), ग्राम–उरला, तहसील व जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 490/1, 237/3, 237/6, 476/2, 483, 484, 485,(पार्ट), 486, 490/2, (पार्ट), 487, (पार्ट), 488, 489/2, (पार्ट), 474(पार्ट), 489, 490/2 489/1, 488, 497, 485, 486, 490/2, (पार्ट), 496 (पार्ट), 239/1, 239/2, 240, 241, 236/1, 236/2, 327/1, 327/2, 327/2, 327/3, 328/1, 328/2, 330/1, 330/2, 271/6, 324/1 एवं 271/5, कुल क्षेत्रफल – 5.348 हेक्टेयर में रोलिंग मिल क्षमता–2,14,000 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 3,00,000 टन प्रतिवर्ष (री–हीटिंग फर्नेस आधारित) करने हेतु **परिशिष्ट–06** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

3. मेसर्स एच.के.एस. कंस्ट्रक्शन कंपनी (पार्टनर–श्री रजनीकांत सिंह), पोस्ट–छाताबलिया, उत्तरप्रदेश

प्रस्ताव का विवरण –

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति मेसर्स श्री अमर प्रसाद (ग्राम–जोकारी, तहसील–कुनकुरी, जिला–जशपुर), ग्राम–चराईडांड, तहसील–दुलदुला, जिला–जशपुर को मेसर्स एच.के.एस. कंस्ट्रक्शन कंपनी (पार्टनर– श्री रजनीकांत सिंह) के नाम पर नामांतरित किये जाने तथा विभिन्न दस्तावेजों में त्रुटिवश खसरा क्रमांक 407/1 के उल्लेख में संशोधन करते हुये खसरा क्रमांक 401/1 किये जाने हेतु दिनांक 24/06/2020 को पत्र प्रेषित किया गया है।

2. यह खदान ग्राम–जोकारी, तहसील–कुनकुरी, जिला–जशपुर के खसरा क्रमांक 407/1, कुल लीज क्षेत्र 1.319 हेक्टेयर, साधारण पत्थर खदान (गौण खनिज) क्षमता–20,000 टन प्रतिवर्ष की है।

3. पूर्व में जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–जशपुर के ज्ञापन दिनांक 28/01/2017 द्वारा उक्त क्षमता हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की जानकारी दी गई है।

4. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जशपुर के आदेश दिनांक 22/06/2020 द्वारा उक्त उत्खनन पट्टा का अंतरण मेसर्स एच.के.एस. कंस्ट्रक्शन कंपनी (पार्टनर– श्री रजनीकांत सिंह) के नाम पर करने संबंधी संशोधित आदेश जारी किया गया है।

5. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जशपुर के ज्ञापन क्रमांक /33ए/ख. लि./2020 जशपुर, दिनांक 20/05/2020 द्वारा पट्टा को मेसर्स एच.के.एस. कंस्ट्रक्शन कंपनी (पार्टनर– श्री रजनीकांत सिंह) के नाम पर अंतरित किये जाने बाबत् आदेश जारी किया गया है। इस आदेश पत्र में खसरा क्रमांक 407/1 रकबा 1.319 हेक्टेयर उल्लेख है। तत्पश्चात् कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जशपुर के ज्ञापन क्रमांक 115/ए/ख.लि./2020 जशपुर, दिनांक 22/06/2020 द्वारा मेसर्स एच.के.एस. कंस्ट्रक्शन कंपनी (पार्टनर– श्री रजनीकांत सिंह) के नाम पर अंतरित आदेश दिनांक 20/05/2020 में त्रुटि सुधार उपरांत खसरा क्रमांक 407/1 के स्थान पर खसरा क्रमांक 401/1 किये जाने हेतु संशोधित आदेश जारी किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 29/08/2020 को संपन्न 100वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/पत्र का अवलोकन किया गया। यह पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जशपुर के संशोधित आदेश दिनांक 22/06/2020 में बताया गया है कि:–

"ग्राम–जोकारी, तहसील–कुनकुरी, जिला–जशपुर के खसरा क्रमांक 401/1, रकबा 1.319 हेक्टेयर, क्षेत्र में गौण खनिज साधारण पत्थर उत्खनिपट्टा (अवधि दिनांक 14/10/2020 से 13/10/2030) श्री अमर प्रसाद के नाम पर स्वीकृत था, जिसका अंतरण अब मेसर्स एच.के.एस. कंस्ट्रक्शन कंपनी (पार्टनर– श्री रजनीकांत सिंह) को नामांतरित कर दिया गया है।"

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर **प्राधिकरण द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) से निम्नानुसार जानकारी/दस्तावेज मंगाये जाने का निर्णय लिया गया था:–**

1. जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की पुष्टि करते हुये सत्यापित प्रति प्रस्तुत की जाए।

2. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी प्रस्तुत की जाए।

3. मेसर्स एच.के.एस. कंस्ट्रक्शन कंपनी (पार्टनर– श्री रजनीकांत सिंह) के नाम पर हस्तांतरित किये गये अंतरण नामांतरित (Lease Transfer) की प्रति प्रस्तुत की जाए।

4. जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में उल्लेखित लीज एवं क्षमता में परिवर्तन होने अथवा नहीं होने के संबंध में प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए।

तदानुसार कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) को एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 01/09/2020 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी / दस्तावेज दिनांक 20/10/2020 को प्रस्तुत किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 17/12/2020 को संपन्न 103वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/पत्र का अवलोकन किया गया। यह पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जशपुर के ज्ञापन क्रमांक 244/ख.शा./2020 जशपुर, दिनांक 20/10/2020 के अनुसार प्रस्तुत जानकारी निम्नानुसार है:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:**– पूर्व में श्री अमर प्रसाद को साधारण पत्थर खदान खसरा क्रमांक 407/1, कुल क्षेत्रफल – 1.319 हेक्टेयर, क्षमता – 20,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–जशपुर द्वारा दिनांक 28/01/2017 को जारी की गई।
2. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी निम्नानुसार है:–

वर्ष	खनिज उत्पादन मात्रा (घनमीटर)	वर्ष	खनिज उत्पादन मात्रा (घनमीटर)
2002	1,031	2012	120
2003	286	2013	187
2004	निरंक	2014	186
2005	146	2015	245
2006	20	2016	2,812.89
2007	308	2017	निरंक
2008	283	2018	31.3
2009	375	2019	3.81
2010	375	09/2020	100
2011	66		

3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जशपुर के ज्ञापन क्रमांक 33/ख.लि./2020 जशपुर, दिनांक 20/05/2020 द्वारा मेसर्स एच.के.एस. कंस्ट्रक्शन कंपनी (पार्टनर– श्री रजनीकांत सिंह) के नाम पर हस्तांतरित किये गये अंतरण नामांतरित (Lease Transfer) की आदेश प्रति प्रस्तुत की गई है। प्रस्तुत आदेश में उल्लेख किया गया है कि "जिस पर कार्यालय के पत्र क्रमांक 33 दिनांक 20/05/2020 को अन्तरण स्वीकृति हेतु आदेशित किया गया है, जिसमें त्रुटिवश ख.न. 401/1 रकबा 1.319 हे. के स्थान पर ख.न. 407/1 रकबा 1.319 हे. दर्ज हो गया था। उक्त त्रुटि सुधार उपरान्त ख.न. 401/1 रकबा 1.319 हे. क्षेत्र पर छ.ग. गौण खनिज नियमावली 2015 के नियम 56 के अनुसार उपरोक्त पट्टे को शेष अवधि के लिए मेसर्स एच.के.एस. कन्ट्रक्सन कंपनी चराईडॉड़ तहसील दुलदुला साझेदार श्री साझेदार श्री रजनी कांत सिंह आ. स्व. शिवाजी

सिंह पोस्ट बलिया उत्तरप्रदेश के पक्ष में निम्न शर्तों के साथ संशोधित अन्तरण /स्वीकृत किया जाता है।"

4. जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में उल्लेखित लीज एवं क्षमता में परिवर्तन नहीं होने के संबंध में प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है।

उपरोक्त के परिपेक्ष्य में प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव से यह प्रतीत होता है कि पूर्व में खसरा क्रमांक 407/1 में उत्खनन होने की संभावना है। अतः इसकी विवेचना के लिए प्रकरण का परीक्षण कर, उपयुक्त अनुशंसा किये जाने हेतु एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 352वीं बैठक दिनांक 06/01/2021:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा **तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जशपुर को प्रकरण की मूल नस्ती प्रेषित किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया जाए।
2. परियोजना प्रस्तावक को प्रकरण से संबंधी समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/01/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 355वीं बैठक दिनांक 27/01/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री अभिषेक सिंह, अधिकृत प्रतिनिधि एवं श्री विवेक साहू, खनि निरीक्षक उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. खनि निरीक्षक द्वारा प्रकरण की मूल नस्ती का अवलोकन कराया गया।
2. प्रस्तुतीकरण के दौरान खनि निरीक्षक द्वारा बताया गया कि:–
   i. पूर्व में खसरा क्रमांक 401/1, क्षेत्रफल 1.319 हेक्टेयर में दिनांक 14/10/2000 से 13/10/2005 तक की अवधि हेतु लीज निष्पादन किया गया था। तत्पश्चात् लीज अवधि 5 वर्षों के लिए (दिनांक 22/08/2006 से 21/08/2011 तक) विस्तारित की गई। तदोपरांत लीज का 5 वर्षों की अवधि हेतु दिनांक 22/08/2011 से 21/08/2016 तक नवीनीकरण किया गया था।
   ii. छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 के अनुसार मूल लीज को आगामी 14 वर्षों दिनांक 22/08/2016 से 13/10/2030 तक विस्तारित की गई है, जिसमें टंकन त्रुटिवश खसरा क्रमांक "401/1" के स्थान पर "407/1" का उल्लेख हुआ है।

iii. विस्तारित लीज में हुये टंकन त्रुटि के परिणाम स्वरूप जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–जशपुर द्वारा दिनांक 28/01/2017 को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में खसरा क्रमांक 407/1 का उल्लेख है।

iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जशपुर के ज्ञापन क्रमांक /33ए/ख.लि./2020 जशपुर, दिनांक 20/05/2020 द्वारा पट्टा को मेसर्स एच.के.एस. कंस्ट्रक्शन कंपनी (पार्टनर– श्री रजनीकांत सिंह) के नाम पर अंतरित किया गया है। लीज निष्पादन में उक्त टंकन त्रुटि के कारण लीज अंतरित बाबत् आदेश में खसरा क्रमांक "401/1" के स्थान पर "407/1" का उल्लेख होने पर कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जशपुर के ज्ञापन क्रमांक 33/ख.लि./2020 जशपुर, दिनांक 20/05/2020 द्वारा संशोधित आदेश जारी किया गया है।

v. खसरा क्रमांक 407/1 अन्य लीज धारक को स्वीकृत है। श्री अमर प्रसाद को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में उल्लेखित खसरा क्रमांक 407/1 में उनके द्वारा कोई उत्खनन नहीं किया गया है।

3. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। जिसके अनुसार पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है। साथ ही जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की अर्द्धवार्षिक पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के संबंध में दस्तावेज सहित जानकारी प्रस्तुत नहीं गई है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर **समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण कर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. पर्यावरणीय स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की अर्द्धवार्षिक पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के संबंध में दस्तावेज सहित जानकारी प्रस्तुत की जाए।
3. परियोजना प्रस्तावक से उपरोक्त वांछित जानकारी प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 24/02/2021 के परिपेक्ष्य में परियोजाना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 12/08/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 385वीं बैठक दिनांक 31/08/2021:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा निर्धारित शर्तानुसार पौधों का रोपण पूर्ण कर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी प्रस्तुत की गई है।
2. पर्यावरणीय स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की अर्द्धवार्षिक पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि मेसर्स श्री अमर प्रसाद (ग्राम–जोकारी, तहसील–कुनकुरी, जिला–जशपुर), ग्राम–चराईडांड,

तहसील–दुलदुला, जिला–जशपुर को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को **"मेसर्स एच.के. एस. कंस्ट्रक्शन कंपनी (पार्टनर– श्री रजनीकांत सिंह)"** के नाम पर हस्तांतरित (Transfer) किये जाने एवं विभिन्न दस्तावेजों में "खसरा क्रमांक 407/1" के स्थान पर **"खसरा क्रमांक 401/1"** पढ़े जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

4. मेसर्स एस.के.एस. इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड, ग्राम–सिलतरा, तहसील व जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 703)

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ सीएमआईएन/ 25179/ 2018, दिनांक 13/04/2018 द्वारा टीओआर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ सीएमआईएन/ 25179/ 2018, दिनांक 17/02/2021 द्वारा फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत कर पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए आवेदन किया गया।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा उल्लंघन की श्रेणी के अंतर्गत ग्राम–सिलतरा, तहसील व जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 16/1, 29/1, 29/2 एवं 28/1, कुल एरिया 121.40 हेक्टेयर (300 एकड़) में से 2.529 हेक्टेयर में कोल वॉशरी क्षमता–0.72 मिलियन टन प्रतिवर्ष के पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना का कुल विनियोग रुपये 1450 लाख प्रस्तावित है।

पूर्व में एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 13/04/2018 द्वारा प्रकरण बी–1 केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ईआईए/ईएमपी रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ईआईए नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 2(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) कोल वॉशरी क्षमता–0.72 मिलियन टन/वर्ष वेट टाईप हेतु जारी किया गया।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट दिनांक 17/02/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 363वीं बैठक दिनांक 24/03/2021:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा **तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. जारी टी.ओ.आर. एवं अतिरिक्त टी.ओ.आर. के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
3. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के पत्र एवं ई–मेल क्रमशः दिनांक 09/04/2021 एवं 27/04/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 367वीं बैठक दिनांक 04/05/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री दीपक कुमार गुप्ता, मेनेजिंग डॉयरेक्टर एवं मेसर्स एनाकॉन लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड की ओर से श्रीकांत बी. व्यावेयर, वरिष्ठ पर्यावरण वैज्ञानिक विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गईः–

1. **जल एवं वायु सम्मति** – वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के ज्ञापन दिनांक 16/03/2018 द्वारा जारी जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण की जानकारी निम्नानुसार हैः–

S.No.	Name of Product	Production Capacity
1.	Sponge Iron	2,70,000 Tonnes per Annum (Two Lakh Seventy Thousand Tonnes per Annum)
2.	Steel Division	3,31,500 Tonnes per Annum (Three Lakh Thirty one Thousand Five Hundred Tonnes per Annum)
3.	Rolling Mill (3+one additional)	3,84,000 Tonnes per Annum (Three Lakh Eighty Four Thousand Tonnes per Annum)
4.	Waste Heat Recovery Based Power Plant	25 MW (Twenty Five Megawatt)
5.	Coal Based Power Plant	2x30 MW (Two into Thirty Megawatt)
6.	Ferro Alloys Plant	29,400 Tonnes per Annum (Twenty Nine Thousand Four Hundred Tonnes per Annum)
7.	Coal Gasifier Plant	5x8,000 Nm^3 / hr (Five into Eight Thousand Nm^3 / hr)
8.	Oxygen / Nitrogen Gas Plant (One No.)	170 Nm^3 / hr (One Hundred Seventy Nm^3 / hr)

2. **निकटतम स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी** –

- निकटतम आबादी ग्राम–मांढर 8 कि.मी. एवं शहर रायपुर 12 कि.मी. की दूरी पर है। निकटम रेल्वे स्टेशन मांढर 8 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। खारुन नदी 0.88 कि.मी. एवं छोकरा नाला 1.03 कि.मी. दूर है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1.89 कि.मी. दूर है।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
- ग्राम पंचायत सिलतरा का दिनांक 25/08/2005 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **लेण्ड एरिया स्टेटमेंट** – कुल क्षेत्रफल 2.529 हेक्टेयर है, जिसमें से खसरा क्रमांक 16/1 के अंतर्गत 0.534 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 29/1 के अंतर्गत 0.352 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 29/2 के अंतर्गत 0.809 हेक्टेयर एवं खसरा क्रमांक 28/1 के अंतर्गत 0.834 हेक्टेयर है।

4. **भू–स्वामित्व** – भूमि मेसर्स एस.के.एस. इस्पात प्राईवेट लिमिटेड के नाम पर है।

5. **रॉ–मटेरियल** – रॉ–कोल 0.72 मिलियन टन प्रतिवर्ष से वाश्ड कोल – 0.54 मिलियन टन प्रतिवर्ष तथा कोल रिजेक्ट्स – 0.18 मिलियन टन प्रतिवर्ष है। रॉ–कोल एस.ई.सी.एल. / ओपन मार्केट के खदानों से आपूर्ति किया जाना है। खदान से वॉशरी तक रॉ–कोल का परिवहन रेल एवं सड़क मार्ग से ढंके हुये वाहनों द्वारा किया जाएगा। वाश्ड कोल का उपयोग स्वयं के इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट में किया जाएगा।

6. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – कोल क्रशर इकाई, रोटरी ब्रेकर एवं स्क्रीन हाऊस में डस्ट एक्सट्रेक्शन सिस्टम के साथ बेग फिल्टर की स्थापना की जाएगी। सभी कोल कन्व्हेयर बेल्ट्स को ढ़का जाकर बेग फिल्टर से संलग्न कर 30 मीटर चिमनी से जोड़ा जाना प्रस्तावित है। साथ ही डस्ट सप्रेशन / फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित है। सभी कन्व्हेयर सिस्टम को ढंका जायेगा।

7. **ठोस अपशिष्ट की मात्रा** – रिजेक्ट कोल 0.18 मिलियन टन प्रतिवर्ष उत्पन्न होगा। रिजेक्ट्स का उपयोग स्वयं के पावर प्लांट में ईंधन के रूप में उपयोग किया जावेगा।

8. **जल प्रबंधन व्यवस्था –**

   - **जल खपत एवं स्त्रोत संबंधी जानकारी** – कोल वॉशरी में प्रोसेस हेतु लगभग 72 घनमीटर प्रतिदिन, घरेलू उपयोग हेतु 2 घनमीटर प्रतिदिन एवं इण्डस्ट्रीयल उपयोग हेतु 16 घनमीटर प्रतिदिन जल की खपत होगी। इस प्रकार कुल 90 घनमीटर प्रतिदिन जल खपत होगी। इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट में जल की आपूर्ति खारून नदी से की जाती है, इस हेतु 4,800 घनमीटर प्रतिदिन जल दोहन हेतु अनुमति जल संसाधन विभाग से प्राप्त किया गया है। यही व्यवस्था कोल वॉशरी भी अपनाई जावेगी। वॉटर बैलस चार्ट प्रस्तुत नहीं किया गया है।

   - **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – उद्योग द्वारा वेट प्रोसेस पर आधारित (क्लोज्ड लूप वॉटर सिस्टम व्यवस्था) कोल वॉशरी स्थापित किया गया है। प्रकिया से उत्पन्न दूषित जल के उपचार हेतु थिकनर एवं सेटलिंग पॉण्ड की स्थापना किया जावेगा। कोल स्लज के डिवॉटरिंग हेतु व्यवस्था की जाएगी। औद्योगिक प्रकिया से उत्पन्न दूषित जल को उपरोक्तानुसार उपचार उपरांत पुनः प्रकिया में तथा परिसर के अंदर वृक्षारोपण में उपयोग किया जाएगा। घरेलू दूषित जल की मात्रा 1.5 घनमीटर/दिन होगी। घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सेप्टिक टैंक की व्यवस्था की जायेगी। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जायेगी।

- **भू–जल उपयोग प्रबंधन** – परियोजना स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार सेमी क्रिटिकल जोन में आता है। जिसके अनुसार–

  (अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 50 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।

  (ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / ऑर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू–जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान था। केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण के अनुसार उद्योग स्थल सेमीक्रिटिकल जोन के अंतर्गत आता है। उद्योग को रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

- **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – प्रस्तावित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था की जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।

9. **विद्युत खपत एवं स्त्रोत** – परियोजना हेतु 85 मेगॉवाट विद्युत की आवश्यकता है, जिसकी आपूर्ति स्वयं के केप्टीव पावर प्लांट से की जाएगी।

10. **वृक्षारोपण संबंधी जानकारी** – इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट परिसर के कुल क्षेत्रफल के लगभग 33 प्रतिशत क्षेत्र में ग्रीन बेल्ट का विकास किया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में 700 से 800 नग वृक्षारोपण किया गया था। कोल वॉशरी के चारों तरफ 1,500 नग वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है।

11. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषणः–**

    i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य 15 मार्च 2019 से 15 जून 2019 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 8 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर भू–जल गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 4 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 8 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

    ii. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पी.एम.$_{2.5}$ 15 से 39.1 माईक्रोग्राम/घनमीटर, पी.एम.$_{10}$ 42 से 112.6 माईक्रोग्राम/घनमीटर, एसओ$_2$ 8 से 23.1 माईक्रोग्राम/घनमीटर तथा एनओ$_{एक्स}$ 10 से 28.1 माईक्रोग्राम/घनमीटर पाई गई है। परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ता भारतीय मानक के अनुसार है। परिवेशीय ध्वनि स्तर (Day time) 51.5 डीबीए से 73.6 डीबीए एवं ध्वनि स्तर (Night time) 41.3 डीबीए से 61.4 डीबीए पाया गया। जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक के अनुरूप है।

12. लोक सुनवाई दिनांक 25/11/2020 प्रातः 03:00 बजे स्थान सी.एस.आई.डी.सी. भवन, औद्योगिक क्षेत्र, फेज–2, ग्राम–सिलतरा, तहसील व जिला–रायपुर में संपन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के पत्र दिनांक 05/01/2021 द्वारा प्रेषित किया गया है।

13. **जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:–**

i. चिमनियों से निकलने वाले धुएं के कारण प्रदूषण अत्यधिक हो रहा है। साथ ही काले धुएं के कारण तालाब का पानी भी प्रदूषित होता है।

ii. प्राथमिकता के आधार पर संबंधित ग्रामों के लोगों को ही रोजगार दिया जाना चाहिए।

iii. जनसुनवाई रखे जाने की सूचना हेतु ग्राम पंचायतों में मुनादी नहीं कराये जाने के कारण जनता अपनी समस्या रख नहीं पाए।

जनसुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसलटेंट का कथन निम्नानुसार है:–

i. कोल क्रशर इकाई, रोटरी ब्रेकर एवं स्क्रीन हाऊस में डस्ट एक्सट्रेक्शन सिस्टम के साथ बेग फिल्टर की स्थापना की जाएगी। डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था की जाएगी। ई.आई.ए. रिपोर्ट में 10 कि.मी. की परिधि में आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ता का अध्ययन किया गया है।

ii. शिक्षित बेरोजगारों को योग्यता के आधार पर स्थानीय लोगों को आवश्यकतानुसार रोजगार हेतु प्राथमिकता दी जायेगी।

iii. जनसुनवाई के संदर्भ में जानकारी दी गई थी एवं स्थानीय समाचार पत्रों में भी इसकी सूचना दी गई थी।

14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा Environmental Compensation हेतु 57.116 लाख रूपये की क्षतिपूर्ति राशि (Damage Cost) की गणना की गई है। उक्त गणना का आधार एवं रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किया गया है।
15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा माननीय न्यायलय में कोई वाद दायर नहीं होना बताया गया है, जबकि यह उल्लंघन का प्रकरण है। अतः इस संबंध में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल से जानकारी प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
16. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु उपयुक्त विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. कोल वॉशरी एवं इन्टीग्रेटेड स्टील प्लांट के विभिन्न इकाईयों तथा वृक्षारोपण को दर्षाते हुए ले--आउट प्लान प्रस्तुत की जाए।
3. ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज व्यवस्थाओं एवं रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्थाओं का विवरण (नंबर एवं साईज सहित) प्रस्तुत की जाए।
4. Environmental Compensation हेतु की गई की गणना का आधार एवं रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। तदनुसार अध्ययन कर संशोधित रेमेडियल प्लान तथा नेचुरल एण्ड कम्युनिटी आगुमेंटेशन प्लान, इन्व्हॉयरोमेंट इम्पेक्ट असेसमेंट रिपोर्ट, इन्व्हॉयरोमेंट मेनेजमेंट प्लान प्रस्तुत की जाए।

5. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 17/12/2018 के परिपेक्ष्य में की गई कार्यवाही के संबंध में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल से जानकारी प्राप्त किया जाए।

6. स्थल निरीक्षण के उपरांत सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

7. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 367वीं बैठक दिनांक 04/05/2021 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 29/05/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 374वीं बैठक दिनांक 01/06/2021:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गईः–

1. वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत की गई है।

2. कोल वॉशरी एवं इन्टीग्रेटेड स्टील प्लांट के विभिन्न इकाईयों तथा कम से कम 10–15 मीटर की चौड़ाई में वृक्षारोपण को दर्शाते हुए ले–आउट प्लान प्रस्तुत नहीं किया गया है।

3. ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज व्यवस्थाओं एवं रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्थाओं का गणना सहित विवरण (नंबर एवं साईज सहित) प्रस्तुत नहीं किया गया है।

4. स्थल निरीक्षण के उपरांत सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है।

5. Environmental Compensation हेतु की गई की गणना का आधार एवं रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किया गया है। साथ ही संशोधित रेमेडियल प्लान तथा नेचुरल एण्ड कम्युनिटी आगुमेंटेशन प्लान, इन्व्हॉयरोमेंट इम्पेक्ट असेसमेंट रिपोर्ट, इन्व्हॉयरोमेंट मेनेजमेंट प्लान प्रस्तुत नहीं किया गया है।

6. वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिसर के चारों तरफ एवं स्टॉक यार्ड में रेन गन की स्थापना का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है।

7. कोल वॉशरी क्षमता–0.72 मिलियन टन प्रतिवर्ष हेतु प्रोसेस में लगभग 90 घनमीटर प्रतिदिन जल खपत होना बताया गया है। जल की मात्रा वॉशरी की क्षमता के संदर्भ में कम प्रतीत् हो रही है। गणना सहित विस्तृत वॉटर बेलेंस चार्ट प्रस्तुत नहीं किया गया है।

8. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 17/12/2018 के परिपेक्ष्य में की गई कार्यवाही के संबंध में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल से जानकारी अप्राप्त है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया थाः–

1. कोल वॉशरी एवं इन्टीग्रेटेड स्टील प्लांट के विभिन्न इकाईयों तथा वृक्षारोपण को दर्शाते हुए ले–आउट प्लान प्रस्तुत की जाए।

2. ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज व्यवस्थाओं एवं रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्थाओं का गणना सहित विवरण (नंबर एवं साईज सहित) प्रस्तुत की जाए।

3. Environmental Compensation हेतु की गई गणना का आधार एवं रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। तदनुसार अध्ययन कर संशोधित रेमेडियल प्लान तथा नेचुरल एण्ड कम्युनिटी आगुमेंटेशन प्लान, इन्व्हॉयरोमेंट इम्पेक्ट असेसमेंट रिपोर्ट, इन्व्हॉयरोमेंट मेनेजमेंट प्लान प्रस्तुत की जाए।

4. वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिसर के चारों तरफ एवं स्टॉक यार्ड में रेन गन की स्थापना का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

5. कोल वॉशरी क्षमता–0.72 मिलियन टन प्रतिवर्ष के अनुसार आवश्यक जल की मात्रा की गणना सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए। साथ ही वॉटर बेलेंस चार्ट प्रस्तुत किया जाए।

6. स्थल निरीक्षण के उपरांत सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

7. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 17/12/2018 के परिपेक्ष्य में की गई कार्यवाही के संबंध में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल से जानकारी प्राप्त किया जाए।

8. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई–मेल दिनांक 11/06/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(द) समिति की 379वीं बैठक दिनांक 19/06/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री दीपक गुप्ता, प्रबंध संचालक एवं पर्यावरणीय सलाहकार के रूप में मेसर्स इण्डियन माईन प्लानर्स एण्ड कन्सलटेन्ट की ओर से श्री जगमोहन कुमार चंद्रा विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गईः–

1. कोल वॉशरी एवं इन्टीग्रेटेड स्टील प्लांट के विभिन्न इकाईयों तथा वृक्षारोपण को दर्शाते हुए ले–आउट प्लान प्रस्तुत किया गया है।

2. **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – उद्योग परिसर में वर्षा के पानी का कुल रनऑफ 4,19,568 घनमीटर है। वर्तमान में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 2 नग रिचार्ज पिट (व्यास 4 मीटर, गहराई 4 मीटर) एवं 4 नग रिजर्वायर (पौण्ड) क्षमता 4,94,500 घनमीटर स्थापित है। प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु अतिरिक्त 4 नग रिचार्ज पिट (व्यास 4 मीटर, गहराई 4 मीटर) निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। स्थापित एवं प्रस्तावित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था तथा स्थापित रिजर्वायर से परिसर के पूर्ण रनऑफ को रिचार्ज किया जा सकेगा। सभी रिचार्ज स्ट्रक्चर्स इस प्रकार निर्मित किए जाएगें कि इनमें समान मात्रा में वर्षा जल का बहाव हो सके।

3. **पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु कार्ययोजना–**

   I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि उनके द्वारा Environmental Compensation की गणना हेतु निर्माण के दौरान जल

का उपयोग, उत्सर्जित होने वाले वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, इकोलॉजिकल इन्वायरन्मेंट, सोसियो–इकोनॉमिक इन्वायरन्मेंट का समावेश करते हुए रेमेडियल प्लान एवं क्षतिपूर्ति राशि (Damage Cost) रुपये 24,23,000, प्राकृतिक संसाधन संवर्धन प्लान रुपये 23,10,000 एवं सामुदायिक संसाधन संवर्धन प्लान रुपये 4,35,000 (कुल–रूपये 51,68,000/–) की गणना कर प्रस्तुत किया गया है। Environmental Compensation की गणना का आधार स्पष्ट नहीं किया गया है।

II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्राकृतिक संसाधन संवर्धन प्लान रुपये 23,10,000 एवं सामुदायिक संसाधन संवर्धन प्लान रुपये 4,35,000 (कुल–रूपये 27,45,000/–) को आस–पास के क्षेत्रों में सोलर पावर की व्यवस्था, पीने योग्य पानी की व्यवस्था, हैण्ड पम्प के निर्माण, पहुच मार्गों में वृक्षारोपण, टॉयलेट्स के निर्माण, हेल्थ चेकअप किए जाने हेतु कार्ययोजना प्रस्तुत की गई है, जिसे समिति द्वारा अमान्य किया गया।

4. वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिसर के चारों तरफ एवं स्टॉक यार्ड में स्थापित रेन–गन का फोटोग्राफ्स सहित प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

5. कोल वॉशरी क्षमता–0.72 मिलियन टन प्रतिवर्ष के अनुसार आवश्यक जल की मात्रा की गणना वॉटर बेलेंस चार्ट सहित प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार परियोजना हेतु कुल 254 घनमीटर प्रतिदिन जिसमें से मेकअप वॉटर हेतु 90 घनमीटर प्रतिदन (प्रोसेस हेतु 72 घनमीटर प्रतिदिन, डस्ट सप्रेशन एवं वृक्षारोपण हेतु 16 घनमीटर प्रतिदिन, घरेलू उपयोग हेतु 2 घनमीटर प्रतिदिन) एवं रिसाईकल वॉटर 158 घनमीटर होगी।

6. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
1450	1%	14.5	Following activities at 10 Nearby Government Schools	
			Rain Water Harvesting System	8.23
			Potable Drinking Water Facility	5.15
			Running Water Facility	5.00
			Plantation	1.65
			Total	**20.03**

प्रस्तावित कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) कार्य शासकीय प्राथमिक शाला ग्राम–चरौदा, ग्राम–कपसदा, ग्राम–धरसिवां, ग्राम–टांडा एवं नवीन प्राथमिक शाला

चरौदा, शासकीय कन्या पूर्व माध्यमिक शाला ग्राम–चरौदा, शासकीय माध्यमिक शाला ग्राम–तिवरइया, दाउ पोषणलाल उच्चत माध्यमिक शाला ग्राम–पारसतराई, शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला ग्राम–चरौदा, ग्राम–तिवरइया में किया जाएगा। समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि सी.ई.आर. की गणना 2 प्रतिशत की दर से कर कुल राशि 29,00,000/– का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए। प्रस्ताव में तालाब के गहरीकरण का प्रस्ताव शामिल किया जाए।

7. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 17/12/2018 के परिपेक्ष्य में की गई कार्यवाही के संबंध में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल से जानकारी प्राप्त नहीं की गई है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया थाः–

1. Environmental Compensation की गणना का आधार स्पष्ट किया जाए। इससे संबंधित अभिलेख प्रस्तुत किये जाए।
2. समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा किए गए उल्लंघन के लिए Environment Compensation की राशि का उपयोग आस–पास के शासकीय स्कूल/महाविद्यालय/संस्थान में रेनवॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था, तालाब गहरीकरण, पीने योग्य पानी की व्यवस्था एवं वृक्षारोपण किए जाने हेतु विस्तृत कार्ययोजना (प्रस्तावित स्कूल/ महाविद्यालय/ संस्थान का नाम, पता एवं कार्यवार खर्च का विवरण) प्रस्तुत किए जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया जाए।
3. सी.ई.आर. राशि की गणना 2 प्रतिशत के दर से कर कुल राशि रूपये 29,00,000/– का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
4. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 17/12/2018 के परिपेक्ष्य में की गई कार्यवाही के संबंध में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल से जानकारी प्राप्त किया जाए।
5. उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 28/06/2021 के परिपेक्ष्य में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 18/06/2021 एवं परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 12/08/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

(इ) समिति की 385वीं बैठक दिनांक 31/08/2021:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गईः–

1. मेसर्स Challa Chlorides Pvt. Ltd., district- Solapur, Maharastra एवं मेसर्स Sree Kartikeya Kameshwari Industries. द्वारा एस.ई.आई.ए.ए./एस.ई.ए.सी., महाराष्ट्र को प्रस्तुत Remediation, Community and Rosource Augmentation Plan अनुसार गणना की गई है। जिसके अनुसार Environmental Compensation की गणना हेतु निर्माण के दौरान जल का उपयोग, उत्सर्जित होने वाले वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, इकोलॉजिकल इन्वायरन्मेंट, सोसियो–इकोनॉमिक इन्वायरन्मेंट का समावेश करते हुए रेमेडियल प्लान एवं क्षतिपूर्ति राशि (Damage Cost) रुपये 28,25,000, प्राकृतिक संसाधन संवर्धन

प्लान रुपये 23,10,000 एवं सामुदायिक संसाधन संवर्धन प्लान रुपये 4,35,000 (कुल–रूपये 51,68,000/–) की गणना कर प्रस्तुत किया गया है। समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि Environmental Compensation की गणना हेतु (1) कोल वॉशरी की स्थापना के उपरांत कभी भी उत्पादन कार्य किया गया, (2) संचालन प्रारंभ उपरांत कितनी अवधि के लिए कब–कब संचालित किया गया, (3) कोल वॉशरी के विद्युत विच्छेदन की कार्यवाही छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल की गई है अथवा नहीं? आदि की जानकारी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल से मंगाया जाना आवश्यक है, जिसके आधार पर Environmental Compensation की गणना की पुष्टि की जाकर Remediation, Community and Rosource Augmentation Plan पर उपयुक्त निर्णय लिया जा सके।

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. हेतु निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	**Percentage of Capital Investment to be Spent**	**Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)**	**Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)**	
			Particulars	**CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)**
1450	2%	29	Following activities at 10 Nearby Government Schools and Deepening of Pond	
			Rain Water Harvesting System	8.23
			Potable Drinking Water Facility	5.15
			Running Water Facility for Toilets	5.00
			Plantation with Fencing	1.65
			Deepening of Pond	9.00
			Total	**29.03**

प्रस्तावित कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) कार्य (1) नवीन शासकीय प्राथमिक शाला ग्राम–चरौदा, (2) शासकीय प्राथमिक शाला ग्राम–चरौदा, (3) शासकीय कन्या पूर्व माध्यमिक शाला ग्राम–चरौदा, (4) शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला ग्राम–चरौदा, (5) डॉ. पोषणलाल उत्तर उच्चतर माध्यमिक शाला ग्राम–पारसतराई, (6) शासकीय माध्यमिक शाला ग्राम–तिवरइया, (7) शासकीय प्राथमिक शाला ग्राम–कपसदा, (8) शासकीय प्राथमिक शाला ग्राम–धरसीवां, (9) शासकीय प्राथमिक शाला ग्राम–टांडा में किया जाएगा। (10) तालाब के गहरीकरण का प्रस्ताव अंतर्गत ग्राम–चरौदा, ग्राम–सिलतरा, ग्राम–परसरी एवं ग्राम–धरसीवां को शामिल किया गया है।

3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्थल निरीक्षण के उपरांत सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के प्रस्ताव का प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का अवलोकन/परीक्षण किया गया, जिसमें प्रस्तावित कार्यों में

अनुमानित खर्च अत्याधिक बताया गया है। अतः उक्त प्रस्ताव को समिति द्वारा अमान्य किया गया। समिति का मत है कि प्रस्तावित कार्यों में अतिरिक्त स्कूलों को शामिल करते हुये सी.ई.आर. का विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के माध्यम से निम्न जानकारी ली जाए:–
   i. क्या कोल वॉशरी की स्थापना के उपरांत कभी भी उत्पादन कार्य किया गया है?
   ii. कोल वॉशरी को कब–कब कितनी अवधि के लिए संचालित किया गया?
   iii. कोल वॉशरी का संचालन बन्द करने के लिए क्या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा कोई निर्देश जारी किये गये हैं? साथ ही क्या कोल वॉशरी के विद्युत विच्छेदन की कार्यवाही छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल / विद्युत विभाग द्वारा की गई है?
   iv. कोल वॉशरी वर्तमान में संचालित है अथवा नहीं? स्पष्ट किया जाए। साथ ही वर्तमान में विद्युत विच्छेदित है अथवा नहीं? बताया जाए।
2. उपरोक्त निर्णय अनुसार सी.ई.आर. के अंतर्गत प्रस्तावित कार्यों में अतिरिक्त स्कूलों को शामिल करते हुये इसकी उपयुक्त गणना कर विवरण सहित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
3. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज सहित एवं Environmental Compensation की उपयुक्त गणना उपरांत Remediation, Community and Rosource Augmentation Plan पर प्रस्तुतीकरण हेतु आगामी बैठक में ऑनलाईन उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

5. मेसर्स भितघरा आर्डिनरी स्टोन माईन फॉर मेकिंग गिट्टी (प्रो.– श्री गजेन्द्र जैन), ग्राम–भितघरा, तहसील–बगीचा, जिला–जशपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1715)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन / 217297/2021, दिनांक 29/06/2021।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–भितघरा, तहसील–बगीचा, जिला–जशपुर स्थित खसरा क्रमांक 907/1, कुल क्षेत्रफल–0.75 हेक्टेयर है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–34,468.2 टन (13,257 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई–मेल दिनांक 26/07/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 382वीं बैठक दिनांक 30/07/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री ब्रहमानन्द शर्मा, अधिकृत प्रतिनिधि विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गईः–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरणः**– इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

2. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत भितघरा का दिनांक 18/06/2020 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (ख.प्र.), जिला–रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक क./975/ख.लि.–2/2021 रायगढ़, दिनांक 03/06/2021 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जशपुर के ज्ञापन क्रमांक/57/ख.शा./2021 जशपुर, दिनांक 14/06/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर 3 खदानें, क्षेत्रफल 4 हेक्टेयर होना बताया गया है, जिसमें केवल विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के परिधि में अवस्थित खदानों का विवरण दिया गया है। उक्त प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त खदानों के 500 मीटर के भीतर अन्य खदान है अथवा नहीं? ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) में परिभाषित क्लस्टर अनुसार "कोई क्लस्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक लीज के परिसरों के बीच दूरी उस सदृश खनिज क्षेत्र में अन्य पट्टे के परिसर से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् क्लस्टर हेतु होमोजिनियस मिनरल क्षेत्र में विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों के लीज सीमा के 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को (क्लस्टर में खदानों को वहॉ तक शामिल किया जाए, जहॉ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हों) शामिल किया जाना चाहिए।

5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए** – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला–जशपुर के ज्ञापन क्रमांक/58/ख.शा./2021 जशपुर, दिनांक 14/06/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **भूमि एवं एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** – यह शासकीय भूमि है। एल.ओ.आई. कलेक्टर, जिला–जशपुर के ज्ञापन क्रमांक 435/ख.शा./2021 जशपुर, दिनांक 10/02/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 2 वर्ष की अवधि तक है।

7. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, जशपुर वनमण्डल, जिला–जशपुर के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./2021/269 जशपुर, दिनांक 23/01/2021 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम–भितघरा 1 कि.मी., स्कूल ग्राम–भितघरा 1 कि.मी. एवं अस्पताल बगीचा 9 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 25.5 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 32.5 कि.मी. दूर है। डोरकी नदी 1.25 कि.मी. दूर है।

10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 2,04,750 टन, माईनेबल रिजर्व 68,936 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 62,042 टन है। लीज की 7. 5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 2,625 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 10.5 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है। इस मिट्टी को सीमा पट्टी (7.5 मीटर) में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 2 मीटर है। खदान की संभावित आयु 2 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	34,468
द्वितीय	34,468

नोटः तालिका में दशमलव के बाद के अंकों को राउण्डऑफ किया गया है।

12. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 2.5 घनमीटर प्रतिदिन होगी। खदान में विभिन्न क्रियाकलापों (जल छिड़काव, वृक्षारोपण) हेतु जल की आपूर्ति आसपास स्थित निष्क्रिय खदानों में एकत्रित जल एवं पेयजल की आपूर्ति टैंकर द्वारा ग्राम पंचायत के माध्यम से की जाएगी। इस बाबत् ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी एवं पहुंच मार्ग में 600 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई. आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh

				Rupees)
40	2%	0.80	Following activities at Government Middle School, **Village - Bhitghara**	
			Rain Water Harvesting System	0.60
			Running water facility for flushing and washing Toilets	0.20
			Total	**0.80**

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. माईनिंग विभाग से क्लस्टर क्षेत्र में 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की जानकारी उपरोक्त विवरण अनुसार प्रस्तुत किये जाने के लिए निर्देशित किया जाए।
2. लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र एवं बादलखोल अभयारण्य की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी हेतु वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की अद्यतन प्रति प्रस्तुत किया जाए।
3. ऊपरी मिट्टी (Top Soil) की मात्रा एवं उसके भंडारण की उपयुक्त व्यवस्था को समाहित करते हुए संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया जाए।
4. जल आपूर्ति हेतु ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
5. उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 382वीं बैठक दिनांक 30/07/2021 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 16/08/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 385वीं बैठक दिनांक 31/08/2021:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–जशपुर के ज्ञापन क्रमांक 171/ख.शा./2021 जशपुर, दिनांक 02/08/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 3 खदानें, क्षेत्रफल 4 हेक्टेयर है।
2. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, जशपुर वनमंडल, जिला–जशपुर के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./2021/3173 जशपुर, दिनांक 10/08/2021 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र की सीमा वन भूमि से 1 कि.मी. एवं बादलखोल अभ्यारण्य से 5 कि.मी. दूर है।
3. लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी (Top Soil) की मात्रा 2,437.5 घनमीटर है। ऊपरी मिट्टी (Top Soil) के उपयोग एवं भंडारण की उपयुक्त व्यवस्था को समाहित करते हुए संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत नहीं किया गया है।

4. परियोजना हेतु खदान में विभिन्न क्रियाकलापों (जल छिड़काव, वृक्षारोपण) हेतु जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से की जाएगी। भू–जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति लिया जाना प्रस्तावित है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को ऊपरी मिट्टी (Top Soil) के उपयोग एवं भंडारण की उपयुक्त व्यवस्था को समाहित करते हुए संशोधित अनुमोदित माईनिंग प्लान प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

6. कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग, ग्राम–कोलबिर्रा, तहसील–मरवाही, जिला–बिलासपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1159)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /आरआईवी /139729/2020, दिनांक 04/02/2020।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रिव्हर वेली परियोजना है। परियोजना ग्राम–कोलबिर्रा, तहसील–मरवाही, जिला–बिलासपुर स्थित खसरा क्रमांक 345/2, 357/1, 358/1(पार्ट), 358/2(पार्ट), 358/3 एवं 361(पार्ट), कुल कल्चरेबल कमाण्ड एरिया (Culturable Command Area) – 5,005 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। परियोजना की प्रस्तावित जल क्षमता – 9.23 मिलियन लीटर प्रतिदिन है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 309वीं बैठक दिनांक 04/02/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. प्रस्तावित क्रियाकलाप से जलप्रवाह में किसी प्रकार की आपदा की घटना (जिसमें उस जल क्षेत्र की टोपोग्राफी या उस क्षेत्र की भूमि शामिल हो) जैसे:– मृदा अपरदन आदि के उचित रोकथाम की व्यवस्था तथा क्षेत्र के जीव एवं वनस्पतियो पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने के लिए अपनाये जाने वाले उचित उपायों संबंधी हेतु जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. प्रभावित स्थान की विशिष्ट स्थलाकृति पर पड़ने वाले/आने वाले परिवर्तन एवं उसके रोकथाम के उपायों संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।
3. उक्त क्षेत्र में मृदा की जल ग्रहण क्षमता में होने वाले परिवर्तन के बारे में एवं इसके प्रभाव को कम करने संबंधित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।
4. प्रस्तावित परियोजना में यदि किसी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक धरोहर में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाना प्रस्तावित हो तो उस संबंध में जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।
5. प्रस्तावित परियोजना में उपयोग होने वाले भूमि (वन, राजस्व, निजी स्वामित्व, बंजर आदि) संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।
6. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ. एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

7. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/02/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 317वीं बैठक दिनांक 29/02/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री एस.पी. सिंह, कार्यपालन अभियंता उपस्थित हुए। उनके द्वारा बताया गया कि प्रस्तुतीकरण हेतु वांछित जानकारी अपूर्ण होने के कारण से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी माह की आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 06/05/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 320वीं बैठक दिनांक 14/05/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री एस. पी. सिंह, कार्यपालन अभियंता एवं श्री बी.पी. जादौन, एस. डी.ओ. उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. यह परियोजना विवरण निम्नानुसार है:-

No.	Description	Details
1	Site	Latitude - $22^0$52'16" Longtitude – $82^0$03'33"
2	Type of Project	Earthen Dam Irrigation Project
3	Supply Source	Son River, Tributary of Ganga River
4	Catchment Area	189.30 Km^2
5	Gross Storage Capacity	9.639 Million Cum
6	Live Storage Capacity	7.58 Million Cum
7	Dead Storage Capacity	2.121 Million Cum
8	Tank % in Relation to Yield	12.49 %
9	Gross Command Area	5,645 Ha.
10	Cultivable Command Area	5,005 Ha.
11	Area Proposed under Irrigation	3,730 Ha. (Kharif 3500 Ha. & Rabi 230 Ha.)
12	Head Discharged L.B.C.	6.60 Cumecs
13	Length of Canal	46,860 meter
14	Length of Minors	13,260 meter
15	Total Length of Canal / Distributary	60,120 meter
16	Bed Width	3.20 meter
17	Full Supply Depth	1.65 meter
18	Free Board	0.60 meter
19	Side Slope	2:1
20	Bed Grade	1 in 5000
21	Length of Dam	1,010 meter

22	Maximum Height of Dam	12.04 meter
23	Top Width of Dam	4.50 meter
24	Top of Bund Level	562.50 meter
25	Maximum Water Level	560.5 meter
26	Full Tank Level	558.5 meter
27	Lowest Sill Level	550 meter
28	Nala Bed Level	547 meter

2. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

3. **भूमि का विवरण** – परियोजना ग्राम–कोलबिर्रा, पथरा एवं कोटमी–कालन में प्रस्तावित है। परियोजना का कुल डुबान क्षेत्रफल 311.91 हेक्टेयर है, जिसमें निजी स्वामित्व की भूमि का क्षेत्रफल 170.91 हेक्टेयर, शासकीय भूमि का क्षेत्रफल 87 हेक्टेयर एवं वन भूमि का क्षेत्रफल 54 हेक्टेयर है। नहर निर्माण का क्षेत्रफल 81.5 हेक्टेयर है, जिसमें 67.88 हेक्टेयर निजी स्वामित्व की भूमि है एवं 13.62 हेक्टेयर वन भूमि है। इस प्रकार कुल निजी भूमि का क्षेत्रफल 238.79 हेक्टेयर एवं वन भूमि का क्षेत्रफल 67.62 हेक्टेयर है। वर्तमान में निजी स्वामित्व की भूमि को क्रय नहीं किया गया है, यद्यपि उनसे सहमति प्राप्त की गई है। वन विभाग से वन भूमि के उपयोग हेतु फॉरेस्ट क्लीयरेंस के लिए आवेदन किया जाना प्रस्तावित है।

4. परियोजना से कुल 8 ग्राम यथा–कोलबिर्रा, बारगांव, डोंगराटोला, भर्रीढांड, घुसरिया, पण्डरी, देवगांव एवं डंडिया लाभान्वित होगें।

5. **इन्व्हायरोन्मेंट मॉनिटरिंग रिपोर्ट का विश्लेषण**:–

   i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य सितंबर, 2019 (Post Monson Season) में किया गया है। परियोजना क्षेत्र के अंतर्गत 4 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 3 स्थानों पर भू–जल गुणवत्ता मापन, 4 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 2 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 4 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

   ii. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पी.एम.$_{2.5}$ 18.52 से 21.46 माईक्रोग्राम/घनमीटर, पी.एम.$_{10}$ 34.56 से 40.24 माईक्रोग्राम/घनमीटर, एसओ$_2$ 5.82 से 9.92 माईक्रोग्राम/घनमीटर तथा एनओ$_{एक्स}$ 8.52 से 15.14 माईक्रोग्राम/घनमीटर पाई गई है। परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ता भारतीय मानक के अनुसार है। परिवेशीय ध्वनि स्तर (Day time) 64.6 डीबीए एवं ध्वनि स्तर (Night time) 62.6 डीबीए पाया गया।

6. मॉनिटरिग परिणाम अनुसार परिवेशीय ध्वनि स्तर की मात्रा अधिक है, जो कि वास्तविक प्रतीत नहीं होती है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त का कारण स्पष्ट नहीं किया जा सका। अतः परिवेशीय ध्वनि स्तर की पुनः मॉनिटरिंग कराया जाना आवश्यक है।

7. प्रस्तुत अध्ययन अनुसार परियोजना क्षेत्र में संकटग्रस्त प्रजाति (Endangered Species) का फ्लोरा/फौना नहीं पाया गया है।

8. इन्व्हायरोन्मेंट मेनेजमेंट प्लान में प्रस्तावित बजट कुल रूपये 54.53 लाख का प्रावधान रखा गया है। इस मद में यह राशि अपेक्षाकृत कम प्रतीत होती है। अतः परियोजना के निर्माण एवं संचालन के दौरान पर्यावरण के विभिन्न घटकों पर पड़ने वाले प्रभाव एवं जल, वायु आदि प्रदूषण नियंत्रण हेतु किये जाने वाले उपायों में व्यय एवं इनके संधारण में होने वाले व्यय को शामिल किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति निम्नानुसार से निर्णय लिया गया था किः–

1. प्रस्तावित क्रियाकलाप से जलप्रवाह में किसी प्रकार की आपदा की घटना (जिसमें उस जल क्षेत्र की टोपोग्राफी या उस क्षेत्र की भूमि शामिल हो) जैसेः– मृदा अपरदन आदि के उचित रोकथाम की व्यवस्था तथा क्षेत्र के जीव एवं वनस्पतियो पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने के लिए अपनाये जाने वाले उचित उपायों संबंधी हेतु जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. प्रभावित स्थान की विशिष्ट स्थलाकृति पर पड़ने वाले/आने वाले परिवर्तन एवं उसके रोकथाम के उपायों संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।
3. उक्त क्षेत्र में मृदा की जल ग्रहण क्षमता में होने वाले परिवर्तन के बारे में एवं इसके प्रभाव को कम करने संबंधित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।
4. प्रस्तावित परियोजना में यदि किसी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक धरोहर में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाना प्रस्तावित हो तो उस संबंध में जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।
5. वन विभाग से वन भूमि के उपयोग हेतु फॉरेस्ट क्लीयरेंस के लिए आवेदन की प्रति प्रस्तुत की जाए।
6. परिवेशीय ध्वनि स्तर की मॉनिटरिग कर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।
7. परियोजना के निर्माण एवं संचालन के दौरान पर्यावरण के विभिन्न घटकों पर पड़ने वाले प्रभाव एवं जल, वायु आदि प्रदूषण नियंत्रण हेतु समग्र रूप से इन्व्हायरोन्मेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार कर प्रस्तुत किया जाए।
8. जल संग्रहण के फलस्वरूप आस–पास के क्षेत्र में वाटर लॉगिंग होने / न होने के संबंध में जानकारी एवं वाटर लॉगिंग होने की दशा में उपचार हेतु प्रस्तावित व्यवस्था की जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
9. प्रस्तावित परियोजना से आस–पास के क्षेत्र में स्तनधारियों (Mammals), पक्षियों, रेपटाईल्स, उभयचर (Amphibian) एवं अन्य जलीय जीव जन्तुओं पर कोई विपरित प्रभाव न पड़ने संबंधी जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
10. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ. एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव में टायलेट का निर्माण, शासकीय स्कूलों में आरओ, अलमारी, टेबल, कम्प्युटर, युनिफार्म, खेलकुद सामग्री, अंग्रेजी शिक्षक की व्यवस्था एवं फसल उपज की जानकारी आदि का प्रावधान किया गया है, जो कि इस मद में उपयुक्त प्रतीत नहीं होता है। अतः सी.ई.आर. के तहत् परियोजना के 10 कि.मी. की परिधि में स्थित शासकीय स्कूल / अस्पताल में रेनवाटर हार्वेस्टिंग, सोलर लाईटिंग, वृक्षारोपण की व्यवस्था, मृदा अपरदन की रोकथाम हेतु कैचमेंट एरिया ट्रिटमेंट आदि का समावेश कर सी.ई.आर. का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

(द) समिति की 356वीं बैठक दिनांक 28/01/2021:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई कि समिति के ज्ञापन दिनांक 06/06/2020 एवं 29/12/2020 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं की गई है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि आवेदक द्वारा वांछित जानकारी प्रस्तुत करने एवं प्रकरण में कोई रूचि नहीं दिखाई जा रही है, अतः प्रकरण को नस्तीबद्ध किया जाए।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 17/02/2021 को संपन्न 106वीं बैठक में विचार किया गया। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 10/02/2021 के माध्यम से जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है। उक्त के परिपेक्ष्य में प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रस्तुत जानकारी / दस्तावेज में उल्लेखित तथ्यों के आधार पर परीक्षण कर, उपयुक्त अनुशंसा किये जाने हेतु प्रकरण एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

(इ) समिति की 359वीं बैठक दिनांक 27/02/2021:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण कर, **तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था** कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के पत्र एवं ई–मेल क्रमशः दिनांक 09/04/2021 एवं 27/04/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ई) समिति की 365वीं बैठक दिनांक 01/05/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री एस. पी. सिंह, कार्यपालन अभियंता एवं श्री बी.पी. जादौन, एस. डी.ओ. विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गईः–

1. प्रस्तावित क्रियाकलाप से जलप्रवाह में किसी प्रकार की आपदा की घटना (जिसमें उस जल क्षेत्र की टोपोग्राफी या उस क्षेत्र की भूमि शामिल हो) जैसेः– मृदा अपरदन आदि के उचित रोकथाम की व्यवस्था तथा क्षेत्र के जीव एवं वनस्पतियो पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने के लिए अपनाये जाने वाले उचित उपायों संबंधी हेतु जानकारी प्रस्तुत की गई है।
2. प्रभावित स्थान की विशिष्ट स्थलाकृति पर पड़ने वाले/आने वाले परिवर्तन एवं उसके रोकथाम के उपायों संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।
3. उक्त क्षेत्र में मृदा की जल ग्रहण क्षमता में होने वाले परिवर्तन के बारे में एवं इसके प्रभाव को कम करने संबंधित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।
4. प्रस्तावित परियोजना में किसी प्रकार का ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक धरोहर नहीं होना बताया गया है।
5. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वन विभाग से वन भूमि के उपयोग हेतु फॉरेस्ट क्लीयरेंस के लिए आवेदन किया गया है।

6. समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में मॉनिटरिंग कार्य सितंबर, 2019 (Post Monson Season) में किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य में मानसून की अवधि सामान्यतः 10 जून से 15 अक्टूबर तक होती है। अतः पूर्व में किये गये मॉनिटरिंग कार्य से प्राप्त परिणाम प्रतिनिधित्व नहीं करेंगे। मॉनिटरिंग का कार्य गैर मानसून मौसम में किया जाना आवश्यक है।
7. परिवेशीय ध्वनि स्तर की मॉनिटरिंग कर रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार परिवेशीय ध्वनि स्तर (Day time) 50.74 डीबीए से 61.83 डीबीए एवं ध्वनि स्तर (Night time) 39.38 डीबीए से 51.62 डीबीए पाया गया।
8. जल संग्रहण के फलस्वरूप आस–पास के क्षेत्र में वाटर लॉगिंग होने / न होने के संबंध में जानकारी एवं वाटर लॉगिंग होने की दशा में उपचार हेतु प्रस्तावित व्यवस्था की जानकारी प्रस्तुत की गई है।
9. प्रस्तावित परियोजना से आस–पास के क्षेत्र में स्तनधारियों (Mammals), पक्षियों, रेपटाईल्स, उभयचर (Amphibian) एवं अन्य जलीय जीव जन्तुओं पर कोई विपरित प्रभाव न पड़ने संबंधी जानकारी प्रस्तुत की गई है।
10. परियोजना स्थल से 10 कि.मी. की परिधि के क्षेत्र में आने वाले शासकीय संस्थानों हेतु सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का उपयुक्त प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया थाः–

1. पूर्व चयनित 04 स्थलों एवं अतिरिक्त 04 स्थलों को शामिल करते हुये सभी 8 मॉनिटरिंग स्टेशनों पर एम्बिएंट एयर की मॉनिटरिंग 1 माह की अवधि (गैर मानसून मौसम में) तक किया जाए। उक्त प्राप्त परिणामों को शामिल करते हुए इन्व्हायरोन्मेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार कर प्रस्तुत किया जाए।
2. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत् परियोजना स्थल से 10 कि.मी. की परिधि के क्षेत्र में आने वाले शासकीय संस्थानों (स्कूलों, कॉलेजों, छात्रावासों/स्वास्थ्य केन्द्रों) में आवश्यकता पर आधारित सर्वे कर रेनवॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था, सोलर पावर की व्यवस्था, पीने योग्य पानी की व्यवस्था एवं वृक्षारोपण किए जाने हेतु विस्तृत कार्ययोजना (प्रस्तावित स्कूल/ महाविद्यालय/ संस्थान का नाम, पता एवं कार्यवार खर्च का विवरण तथा इस्टिमेट) व्यय किये जाने का समयबद्ध प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने के उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 09/06/2020 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 18/08/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

(उ) समिति की 385वीं बैठक दिनांक 31/08/2021:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गईः–

1. पूर्व चयनित 04 स्थलों एवं अतिरिक्त 04 स्थलों को शामिल करते हुये सभी 8 मॉनिटरिंग स्टेशनों पर एम्बिएंट एयर की मॉनिटरिंग मई माह में (गैर मानसून मौसम में) किया गया है। उक्त प्राप्त परिणामों को शामिल करते हुए इन्व्हायरोन्मेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार कर प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसारः–

i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य मई 2021 में किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 8 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 6 स्थानों पर भू–जल गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 2 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 8 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण कार्य किया गया है।

ii. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पी.एम.$_{2.5}$ 19.14 से 32.44 माईक्रोग्राम/घनमीटर, पी.एम.$_{10}$ 49.21 से 66.26 माईक्रोग्राम/घनमीटर, सल्फर डाईआक्साईड 8.14 से 13.12 माईक्रोग्राम/घनमीटर तथा एनओ$_2$ 9.32 से 15.66 माईक्रोग्राम/घनमीटर पाई गई है। जो उक्त क्षेत्र के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप है।

iii. परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ता भारतीय मानक के अनुसार उपचार उपरांत पीने योग्य एवं कृषि कार्य हेतु उपयुक्त है।

iv. परिवेशीय ध्वनि स्तर (Day time) 47.8 डीबीए से 51.6 डीबीए एवं ध्वनि स्तर (Night time) 40.6 डीबीए से 44.3 डीबीए पाया गया। जो उक्त क्षेत्र के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप है।

2. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	**CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)**
16425	1.5%	246.37	Development of eco park in bharridand	110.0
			Following activities at Nearby 5 Government Schools & 1 Girls Hostel	
			Catchment Area Treatment Plan	30.0
			Rain Water Harvesting System	10.0
			Potable Drinking Water Facility	20.0
			Solar Lighting System	20.0
			Plantation with Fencing	10.0
			Awareness program	8.0
			Construction of Check Dams, Gully Plugging etc	40.0
			Total	**248.0**

प्रस्तावित कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) का कार्य (1) शासकीय प्राथमिक शाला ग्राम–कोलबिर्रा, (2) शासकीय प्राथमिक शाला ग्राम–पथर्रा, (3) शासकीय प्राथमिक शाला ग्राम–बघर्रा, (4) शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला ग्राम–मटियाडांड, (5) कन्या छात्रावास ग्राम–रूम्गा, (6) बॉयोलॉजिकल एण्ड इंजीनियरिंग मेजर्स, समीपस्थ ग्राम–बिसेसरा, (7) ईको पार्क हेतु चयनित समीपस्थ ग्राम–भर्रीडांड के 10 हेक्टेयर क्षेत्र में वन विभाग से परामर्श के आधार पर किया जाएगा।

उपरोक्त सी.ई.आर. के प्रस्ताव में से ईको पार्क निर्माण हेतु विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। जिसे समिति द्वारा मान्य किया गया एवं अन्य शेष कार्यो का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण समिति द्वारा कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) के अतंर्गत शेष कार्यों का अनुमोदन नहीं किया गया।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर **समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–**

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के संशोधित ई.आई.ए. अधिसूचना का.आ. 3977(अ), दिनांक 14/07/2018 के अनुसार मध्यम सिंचाई प्रणाली (2000 हेक्टेयर के ज्यादा एवं 10000 हेक्टेयर से कम) के अनुसार इस सिंचाई परियोजना को बी–2 केटेगरी का माना गया।
2. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) के अतंर्गत शेष (राशि 138 लाख रूपये) कार्यों का विस्तृत प्रस्ताव 2 माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।
3. कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग, ग्राम–कोलबिर्रा, तहसील–मरवाही, जिला–बिलासपुर स्थित खसरा क्रमांक 345/2, 357/1, 358/1(पार्ट), 358/2(पार्ट), 358/3 एवं 361(पार्ट), कुल कल्चरेबल कमाण्ड एरिया (Culturable Command Area) – 5,005 हेक्टेयर, प्रस्तावित रिव्हर वेली परियोजना की जल क्षमता – 9.23 मिलियन लीटर प्रतिदिन हेतु कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) के अतंर्गत शेष (राशि 138 लाख रूपये) कार्यों का विस्तृत प्रस्ताव 2 माह के भीतर प्रस्तुत करने एवं **परिशिष्ट–07** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदनुसार सूचित किया जाए।

7. मेसर्स शिवलाल चकधारी (जोरातराई लाईम स्टोन माईन), ग्राम–जोरातराई, तहसील व जिला–राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1176)

आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 143295/2020, दिनांक 14/02/2020 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत किया गया था। इसके परिपेक्ष्य में क्लस्टर में होने के कारण एस.ई.ए. सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 30/09/2020 द्वारा टीओआर जारी किया गया। वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा टीओआर के स्थान पर पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–जोरातराई, तहसील व जिला–राजनांदगांव स्थित खसरा क्रमांक

320/3(पार्ट) एवं 320/4 (पार्ट), कुल क्षेत्रफल–1.66 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता– 25,960 टन प्रतिवर्ष है।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 30/09/2020 द्वारा प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई. एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु टीओआर जारी किया गया।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा टीओआर के स्थान पर पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने के परिपेक्ष्य में निम्न तथ्य प्रस्तुत किये गये है:–

- गौण खनिजों के क्लस्टर बनने पर पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रक्रिया हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली से स्पष्टीकरण चाहा गया था।

- भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ज्ञापन दिनांक 26/07/2021 द्वारा जारी पत्र अनुसार "The notification vide S.O. 2269 dated 1st july 2016 is applicable prospectively only." है।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 385वीं बैठक दिनांक 31/08/2021:

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ज्ञापन दिनांक 26/07/2021 द्वारा प्राप्त पत्र के परिपेक्ष्य में भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली से इस विषय पर स्पष्ट मार्गदर्शन प्राप्त करने की अनुशंसा की गई है। भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली से स्पष्टीकरण प्राप्त होने के उपरांत तदानुसार कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

8. मेसर्स श्री टेकराम साहू फ्लेग स्टोन (लाईम स्टोन क्वारी), ग्राम–निसदा, तहसील–आरंग, जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1486)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन /186814/2020, दिनांक 06/12/2020। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 29/12/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 30/01/2021 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित फ्लेग स्टोन (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–निसदा, तहसील–आरंग, जिला–रायपुर स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 1344, कुल क्षेत्रफल–1.052 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–11,000 टन प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 360वीं बैठक दिनांक 01/03/2021:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा **तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. प्रस्तुत 500 मीटर के प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त खदानों के 500 मीटर के भीतर अन्य खदान है अथवा नहीं? ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) में परिभाषित क्लस्टर अनुसार "कोई क्लस्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक लीज के परिसरों के बीच दूरी उस सदृ"ा खनिज क्षेत्र में अन्य पट्टे के परिसर से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् क्लस्टर हेतु होमोजिनियस मिनरल क्षेत्र में विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों के लीज सीमा के 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को (क्लस्टर में खदानों को वहॉ तक शामिल किया जाए, जहॉ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हों) शामिल किया जाना चाहिए। अतः उपरोक्तानुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
2. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र (बैठक दिनांक, सचिव एवं सरपंच के हस्ताक्षर सहित) प्रस्तुत किया जाए।
3. भूमि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किये जाये।
4. पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
5. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा (वित्तीय वर्ष) की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
6. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
7. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के पत्र एवं ई–मेल क्रमशः दिनांक 09/04/2021 एवं 27/04/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 365वीं बैठक दिनांक 01/05/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा कोई अनुरोध पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी एवं अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 02/06/2021 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 05/08/2021 को प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 385वीं बैठक दिनांक 31/08/2021:

समिति द्वारा नस्ती/ अनुरोध पत्र, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण कर तथा **विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को स्वीकार करते हुए पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

9. मेसर्स श्री संजय यादव फ्लेगी लाईम स्टोन क्वारी, ग्राम–निसदा, तहसील–आंरग, जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1480)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन /185938/2020, दिनांक 01/12/2020। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 29/12/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 30/01/2021 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित फ्लेगी लाईम स्टोन (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–निसदा, तहसील–आंरग, जिला–रायपुर स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 1345, कुल क्षेत्रफल–0.93 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता– 3,300 टन प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 357वीं बैठक दिनांक 11/02/2021:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा **तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
2. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
3. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
4. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 17/03/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 363वीं बैठक दिनांक 24/03/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 24/03/2021 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के पत्र एवं ई–मेल क्रमशः दिनांक 09/04/2021 एवं 27/04/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 368वीं बैठक दिनांक 05/05/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा कोई अनुरोध पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी एवं अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 02/06/2021 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 05/08/2021 को प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया गया है।

(द) समिति की 385वीं बैठक दिनांक 31/08/2021:

समिति द्वारा नस्ती/ अनुरोध पत्र, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण कर तथा **विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को स्वीकार करते हुए पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

10. मेसर्स देवीपुर आर्डिनरी स्टोन क्वारी माईन (प्रो.– श्रीमती मंजू अग्रवाल), ग्राम–देवीपुर, तहसील व जिला–सूरजपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1742) ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / एमआईएन / 220855/2021, दिनांक 20/07/2021।

प्रस्ताव का विवरण – यह एक प्रस्तावित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–देवीपुर, तहसील व जिला–सूरजपुर स्थित खसरा क्रमांक 1529, कुल क्षेत्रफल–0.405 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 2,106 टन (810 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई–मेल दिनांक 26/07/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 384वीं बैठक दिनांक 02/08/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के ई–मेल दिनांक 02/08/2021 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः अतिरिक्त समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है। समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को मान्य किया गया।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी एवं अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 384वीं बैठक दिनांक 02/08/2021 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 27/08/2021 को प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 385वीं बैठक दिनांक 31/08/2021:

समिति द्वारा नस्ती/ अनुरोध पत्र, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण कर तथा **विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को स्वीकार करते हुए पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

11. मेसर्स एनकेजे बॉयोफ्यूल प्राईवेट लिमिटेड, एनएच–30, ग्राम–राम्हेपुर, तहसील–बोडला, जिला–कबीरधाम (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1525)

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी2/ 59925/ 2021, दिनांक 16/01/2021 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी /एमआईएन/59925/2021, दिनांक 20/07/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आवेदन के साथ फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा तहसील–बोडला, जिला–कबीरधाम, ग्राम–राम्हेपुर स्थित भूमि खसरा क्रमांक 1/2, 2, 3/1, 3/2, 4, 5 एवं ग्राम–बुधवारा स्थित भूमि खसरा क्रमांक 62/1 तथा 62/4, कुल क्षेत्रफल – 97,125 वर्गमीटर (24 एकड़) में न्यू मोलासेस बेस्ड डिस्टिलरी क्षमता – 80 किलोलीटर प्रतिदिन (एनहाईड्रस एल्कोहल (इथेनॉल) / रेक्टिफाईड स्प्रिट / एक्स्ट्रा न्युट्रल एल्कोहल उत्पादन हेतु) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना में कुल विनियोग रुपये 126.7 करोड़ होगी।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 25/02/2021 द्वारा प्रकरण बी–1 केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 5(जी) डिस्टिलरी (Distillery) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) जारी किया गया।

वर्तमान में उद्योग द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया है। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन एवं ई–मेल दिनांक 26/07/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 384वीं बैठक दिनांक 02/08/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री भूपेन्द्र ठाकुर, मेनेजिंग डॉयरेक्टर (मेसर्स भोरमदेव सहकारी शक्कर उत्पादक कारखाना मर्यादित), श्री राजेश गौतम, डॉयरेक्टर (मेसर्स एन.के.जे. बायो फ्यूल प्राईवेट लिमिटेड) एवं मेसर्स वसंतदादा शुगर इंस्टीट्यूट, पूणे की ओर से तकनीकी सलाहकार के रूप में डॉ. दीपाली निम्बलकर विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **निकटतम स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी –**

- निकटतम शहर कवर्धा 12 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। स्कूल ग्राम–रामहेपुर 1.5 कि.मी., अस्पताल 9.9 कि.मी. एवं निकटतम रेल्वे स्टेशन बिलासपुर 108 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। स्वामी विवेकानंद विमानपत्तन, माना, रायपुर 130 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 0.6 कि.मी. दूर है। सकरी नदी 5.7 कि.मी. दूर है। तालाब 1.1 कि.मी. दूर है।

- प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भोरमदेव अभ्यारण्य 10.5 कि.मी. एवं कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान 65 कि.मी. दूर स्थित है। समिति का मत है कि भोरमदेव अभ्यारण्य की निकटतम सीमा की दूरी के संबंध में वन विभाग का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

2. **लेण्ड एरिया स्टेटमेंट –**

Description	Area (SQM)
Fermentation + Distillation + MSDH + MEE + Spirit Storage	8,970
Ethanol Storage Area	3,473
Molasses Storage Tank Area	6,821
Power Plant Area	8,200
Waste Water Treatment (CPU + Lagoon + STP)	5,000
ADM Building + Temple + Guest House + Utility Building	2,450
Internal & Entrance Road	17,400
Open Area Including Parking Space	2,000
Green Belt Area (33%)	26,712
Total Area	**81,026**

उक्त के अनुसार वृक्षारोपण 33 प्रतिशत क्षेत्रफल में प्रस्तावित किया गया है। समिति का मत है कि वृक्षारोपण का कार्य कुल क्षेत्रफल के 40 प्रतिशत क्षेत्र में किया जाना आवश्यक है। इस संबंध में प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण का कार्य कुल क्षेत्रफल के 40 प्रतिशत क्षेत्र में करने हेतु

सहमति दी गई है। उक्त के दृष्टिगत वृक्षारोपण को दर्शाते हुये संशोधित ले–आउट प्लान एवं लेण्ड एरिया स्टेटमेंट प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही वृक्षारोपण हेतु कार्ययोजना प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि मेसर्स भोरमदेव सहकारी शक्कर उत्पादक कारखाना मर्यादित से मोलासेस 30,000 टन प्रतिवर्ष को पाईप लाईन के माध्यम से तथा शेष मोलासेस 40,500 टन प्रतिवर्ष को आस–पास के शक्कर कारखानों से टैंकरों के माध्यम से क्रय किया जाएगा। मेसर्स भोरमदेव सहकारी शक्कर उत्पादक कारखाना मर्यादित से किसी कारणवश मोलासेस प्राप्त नहीं होने पर आस–पास के शक्कर कारखानाओं से टैंकरों के माध्यम से मोलासेस क्रय किया जाएगा। फलस्वरूप प्रस्तावित डिस्टलरी से सभी कार्यकलापों को एकीकृत कर अतिरिक्त वाहनों के आवागमन को शामिल करते हुये समतुल्य पी.सी.यू. की गणना कर अतिरिक्त वाहनों के परिवहन हेतु सड़कों के परिवहन भार अनुसार सड़क उपयुक्त होने बाबत् जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि मोलासेस को मोलासेस स्टोरेज टैंक में भण्डारण किया जाएगा। मोलासेस स्टोरेज टैंक से डाईल्युशन इकाई में डाईल्युशन किया जा कर यीस्ट (Yeast) के माध्यम से किन्णवन (Fermentation) किया जाकर डिस्टीलेशन इकाई एवं मल्टी इफेक्ट ईवेपोरेटर (Multi effect evaporator) उपरांत एनहाईड्रेस एल्कोहल (इथेनॉल) / रेक्टिफाईड स्प्रिट / एक्स्ट्रा न्युट्रल एल्कोहल का उत्पादन किया जाएगा।

5. **भूमि संबंधी विवरण** – मेसर्स भोरमदेव सहकारी शक्कर उत्पादक कारखाना मर्यादित वर्ष 2004 से स्थापित है। इसकी गन्ना क्रशिंग उत्पादन क्षमता 2,500 टन प्रतिदिन है। डिस्टीलरी इकाई हेतु आवेदित भूमि मेसर्स भोरमदेव सहकारी शक्कर उत्पादक कारखाना मर्यादित के नाम पर होना बताया गया है। मेसर्स एन.के.जे. बायो फ्यूल प्राईवेट लिमिटेड द्वारा डिस्टिलरी की स्थापना मेसर्स भोरमदेव सहकारी शक्कर उत्पादक कारखाना मर्यादित द्वारा लीज पर प्रदत्त भूमि पर करना प्रस्तावित है।

6. **रॉ–मटेरियल** –

Content		Molasses-C Heavy	Molasses-B Heavy	Syrup (40-50 Deg. Brix)
Raw Material	Quantity	297 TPD	258 TPD	315 TPD
	Sources	From BSSUKM Sugar factory + Remaining molasses will be purchased from nearby sugar factories and others vendors		
	In raw material also involve Nutrient N,P - 120 kg/d and Turkey Red Oil (TRO) - 400 kg/d			

7. **जल प्रबंधन व्यवस्था** –

Description	C-Heavy (m^3/day)	B-Heavy (m^3/day)	Syrup (m^3/day)
Water Input			
Process water for fermentation & CO_2 Scrubber	700	686.5	432
Boiler feed water @24 TPH (capacity 30 MT/Hr)	577.5	483.5	400
Soft water for vacuum pump & others	100	100	100

For cooling towers makeup water	602	520	274
Other domestic usage	10	10	10
Daily utilize washing & others	86.5	158.5	94
Total water Input at Start-up	**2,076**	**1,958.5**	**1,310**
Water Output			
Spent lees (PR & Rect.)	120	120	120
Soft water for vacuum pump & others	100	100	100
Exhaust condensate	550	460.5	380
Process condensate	480	534	216
Soft water for vacuum pump & others	100	100	100
Total Water Output	**1,350**	**1,314.5**	**916**
Water loss			
CT Evaporation & drift losses	602	520	274
Domestic consumption losses	10	10	10
Boiler blow down & steam loss (to CPU)	27.5	23	20
Daily washing & others (Sent to CPU)	86.5	91	90
Total Water Loss	**726**	**644**	**394**
Recycle Streams			
Less recycle for RS dilution (after CPU)	120	120	120
Process condensate (after CPU)	480	534	216
Steam condensate recycled to boiler	450	460.5	380
Soft water for vacuum pump & others cooling water	100	100	100
Other effluent like boiler blow down, flower washing & WTP reject	114	185.5	114
Total recycling / re-utilization of water per day	**1,364**	**1,399.5**	**930**
Total Daily water requirement / input	**712**	**586**	**380**
Concentrated spent wash incinerated at boiler cum/day	**160**	**106.67**	**24**

फर्मेन्टेशन प्रोसेस, बॉयलर फीड, कुलिंग टॉवर, मल्टी ईफेक्ट इवापोरेटर फीड, मल्टी इफेक्ट ईवेपोरेटर कन्सनट्रेट, मल्टी इफेक्ट ईवेपोरेटर कंडनसेट, वाटर रियसाकलिंग पाईंट, इन्सिनरेशन फीड आदि में फ्लो मीटर की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। जल की आपूर्ति बोरवेल से की जाएगी। इस हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वाटर अथॉरिटी से 712 घनमीटर / प्रतिदिन जल दोहन हेतु अनुमति प्राप्त की गई है, जिसकी वैधता दिनांक 02/05/2024 तक है।

8. **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – रॉ–स्पेंट वॉश अधिकतम 640 कि.ली. प्रतिदिन (13 से 15 प्रतिशत टोटल सॉलिड्स) उत्पन्न होगा। रॉ–स्पेंट वॉश को मल्टी इफेक्ट ईवेपोरेशन प्लांट में कन्सनट्रेट उपरांत 160 घनमीटर प्रतिदिन कन्सनट्रेटेड स्पेंट वॉश (60 प्रतिशत टोटल सॉलिड्स अनुसार 198.4 टन प्रतिदिन) प्राप्त होगा। कन्सनट्रेटेड स्पेंट वॉश को 30 टन प्रतिघंटा क्षमता के ईन्सीनरेशन बॉयलर में जलाया जाएगा। उक्त के अतिरिक्त औद्योगिक दूषित जल के रूप में स्पेंट लीज 120 घनमीटर / दिन तथा प्रोसेस कंडनसेट 480 घनमीटर / दिन उत्पन्न होगा। उपरोक्त दूषित जल के उपचार हेतु प्रायमरी ट्रीटमेंट (इक्विलाइजेशन टैंक, न्यूट्रेलाइजेशन टैंक, प्रायमरी क्लेरिफिकेशन), सेकेण्ड्रेरी ट्रीटमेंट (एनारोबिक ट्रीटमेंट, एरोबिक ट्रीटमेंट), क्लेरीफिकेशन (सेकेण्ड्रेरी क्लेरिफिकेशन), तृतीयक ट्रीटमेंट (एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सोडियम हाईपोक्लोराईट से डिसईन्फेक्शन) की व्यवस्था किया जाना

प्रस्तावित है। उपचारित दूषित जल लगभग 600 घनमीटर प्रतिदिन को मोलासेस डॉल्युशन इकाई एवं कूलिंग टावर मेकअप में पुनः उपयोग किया जाएगा। रॉ–ई.टी.पी. के आउटलेट में ऑनलाईन कंटिनुअस ईफ्ल्युएंट मॉनिटरिंग सिस्टम लगाया जाना प्रस्तावित है। घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्षमता 20 किलोलीटर प्रतिदिन की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। डिसईन्फेक्शन उपरांत उपचारित घरेलू जल को जल छिड़काव एवं वृक्षारोपण में उपयोग किया जाएगा। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाएगी।

9. **ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था –**

Waste	Quantity (TPD)	Disposal	Remark
Yeast Sludge	2-3	Used as soil Conditioner	Organic
Ash Spent wash + Coal Or Spent wash + Bagasse ash	56.25 or 37.80	Sold to brick manufacturing units mixed into farm soils	Inorganic
Distillery Condensate Polishing Unit (CPU) Sludge	0.5-0.7	Used as soil Conditioner	Organic/ Inorganic
Used or Spent Oil from DG sets	1-1.5 KL/annum	Burnt into Furnace	Inorganic

डी.जी. सेट्स से प्राप्त युज्ड अथवा स्पेंट ऑयल को फर्नेस में जलाया जाना प्रस्तावित किया गया है। यह परिसंकटमय अपशिष्ट की श्रेणी में आता है। अतः समिति का मत है कि युज्ड अथवा स्पेंट ऑयल को परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध और सीमापार संचलन) नियम, 2016 के अनुसार अथराईज्ड रिसायकलर्स / वेण्डर्स को प्रदाय किया जाना उचित होगा।

10. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – 01 नग फ्लुडाईज्ड बेड कम्बशन बॉयलर क्षमता 30 टीपीएच लगाया जाना प्रस्तावित है। फ्युल हेण्डलिंग हेतु मेकेनाईज्ड विधि के साथ क्लोज्ड कन्व्हेयर बेल्ट लगाया जाना प्रस्तावित है। कोल स्टोरेज एरिया / यार्ड में कव्हर्ड शेड बनाया जाना प्रस्तावित है। कोल हेण्डलिंग क्षमता 5 टीपीएच लगाया जाना प्रस्तावित है। मेकेनाईज्ड फ्युल हेण्डलिंग सिस्टम, लोडिंग / अनलोडिंग में डस्ट सप्रेशन की व्यवस्था की जावेगी। स्पेंटवाश लगभग 198.4 टन प्रतिदिन (160 घनमीटर प्रतिदिन), कोयला लगभग 58.56 टन प्रतिदिन / बगास लगभग 103.92 टन प्रतिदिन का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाएगा। यदि बगास किसी कारणवश प्राप्त नहीं होने पर कोयला / राईस हस्क का उपयोग किया जाएगा। पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन नियंत्रण हेतु बॉयलर में ई.एस.पी. की स्थापना एवं चिमनी की ऊंचाई 57 मीटर रखा जाना प्रस्तावित है। किण्वन (Fermentation) इकाई में कार्बन डाईआक्साईड स्क्रबर लगाया जाना प्रस्तावित है। जनित फ्लाई ऐश, रॉ–मटेरियल को ढ़के हुये वाहनों से परिवहन तथा फ्युजिटिव डस्ट के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित है। चिमनी में ऑनलाईन कंटिनुअस इमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम लगाया जाना प्रस्तावित है।

11. **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – उद्योग परिसर में वर्षा जल का कुल रनऑफ 41,522 घनमीटर प्रतिवर्ष होगी। उद्योग परिसर में प्रस्तावित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग

व्यवस्था हेतु 2 मीटर व्यास एवं गहराई 3 मीटर के रिचार्ज पिट बनाया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि प्रस्तावित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था हेतु विस्तृत गणना {प्रस्तावित रिचार्ज स्ट्रक्चर की संख्या, क्षमता (लंबाई, चौड़ाई एवं गहराई सहित) व्यवस्था उपरांत हार्वेस्टेड जल की मात्रा आदि} स्टार्म वाटर की गणना सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

12. **विद्युत आपूर्ति स्त्रोत** – परियोजना हेतु 1.86 मेगावॉट विद्युत की आवश्यकता होगी। विद्युत की आपूर्ति हेतु 30 टन प्रतिघंटा क्षमता के बॉयलर से प्राप्त हाई प्रेसर स्टीम का उपयोग 03 मेगावाट क्षमता के टर्बो जनरेटर से विद्युत उत्पन्न की जाएगी। टर्बो जनरेटर से प्राप्त लो प्रेसर स्टीम को डिस्टलरी इकाई में विभिन्न कार्यों हेतु उपयोग किया जाएगा। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु डी.जी. सेट स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि प्रस्तावित डी.जी. सेट की संख्या, क्षमता की जानकारी एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित ऊंचाई की चिमनी स्थापित किया जाना आवश्यक है।

13. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषणः–**

    i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य मार्च 2018 से मई 2018 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 8 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर भू–जल गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 3 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 8 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण कार्य किया गया है।

    ii. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पी.एम.$_{2.5}$ 29.09 से 46.98 माईक्रोग्राम/घनमीटर, पी.एम.$_{10}$ 69.25 से 71.57 माईक्रोग्राम/घनमीटर, सल्फर डाईआक्साईड 22.14 से 25.63 माईक्रोग्राम/घनमीटर तथा एनओ$_{एक्स}$ 26.37 से 29.45 माईक्रोग्राम/घनमीटर पाई गई है। जो उक्त क्षेत्र के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेशीय वायु में जी.एल.सी. (GLC) की गणना कर जानकारी प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार परियोजना के प्रारंभ होने के उपरांत पी.एम. की मात्रा 3.02 माईक्रोग्राम/घनमीटर की वृद्धि एवं सल्फर डाईआक्साईड की मात्रा 14.35 माईक्रोग्राम/घनमीटर की वृद्धि होना प्रस्तावित है।

    iii. परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ता भारतीय मानक के अनुसार उपचार उपरांत पीने योग्य एवं कृषि कार्य हेतु उपयुक्त है।

    iv. परिवेशीय ध्वनि स्तर (Day time) 52.3 डीबीए से 66.5 डीबीए एवं ध्वनि स्तर (Night time) 41.0 डीबीए से 59.9 डीबीए पाया गया। जो उक्त क्षेत्र के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोड द्वारा मानकों के अनुरूप है। परियोजना के प्रारंभ होने के उपरांत परिवेशीय ध्वनि प्रभाव की गणना सहित जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।

    v. भारी वाहनों / मल्टीएक्शल हैवी वाहनों को समाहित करते हुये उपयुक्त ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है।

14. लोक सुनवाई दिनांक 28/06/2021 प्रातः 11:00 बजे स्थान मेसर्स भोरमदेव सहकारी शक्कर उत्पादक कारखाना मर्यादित, ग्राम–राम्हेपुर, जिला–कबीरधाम में

संपन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के पत्र दिनांक 20/07/2021 द्वारा प्रेषित किया गया है। समिति द्वारा लोक सुनवाई दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।

15. **जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:–**

i. शक्कर कारखानों में 5–7 सालों से निरंतर जो नदी के किनारे बहाव हुआ उसमें पशुओं की मृत्यु हुई थी। साथ ही एथेनॉल प्लांट के बाहर जल का अनाधिकृत बहाव नहीं होना चाहिए, जिससे पर्यावरण संरक्षित रहे।

ii. एथेनॉल प्लांट में प्रदूषण नियंत्रण की उपयुक्त व्यवस्था की जाए।

iii. केमिकल उद्योग से वर्तमान में पर्यावरणीय नुकसान दिखाई नहीं पड़ते है इसके दूरगामी परिणाम होते है। साथ ही इस एथेनॉल प्लांट के आस–पास 4 से 5 हेक्टेयर के आस–पास खेत भी है, यदि उसमें उत्पादन में किसी प्रकार की कमी आती है, तो क्या उसका मुआवजा एथेनॉल कंपनी द्वारा दिया जाएगा। जिस पर बुरा प्रभाव पड़ेगा।

iv. प्राथमिकता के आधार पर संबंधित ग्रामों के लोगों को ही रोजगार दिया जाना चाहिए।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसलटेंट का कथन निम्नानुसार है:–

i. भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना एवं एन.के.जे. बायोफ्यूल्स दोनों अलग–अलग इकाईयां है। डिस्टलरी शुन्य निस्सारण सिद्धांत (जेड.एल.डी.) पर आधारित होगी। उत्पन्न औद्योगिक एवं घरेलू दूषित जल का उपचार डिस्टलरी परिसर के भीतर किया जाएगा एवं किसी भी प्रकार के अनुपचारित / उपचारित दूषित जल का निस्सारण परिसर के बाहर नहीं किया जाएगा। प्रस्तुतीकरण के दौरान मेनेजिंग डॉयरेक्टर, मेसर्स भोरमदेव सहकारी शक्कर उत्पादक कारखाना मर्यादित द्वारा बताया गया कि वर्ष 2002–03 में कारखाना स्थापना के साथ ई.टी.पी. की स्थापना की गई थी। कारखाने का दूषित जल प्रारंभ से ही कारखाना परिसर में स्थापित ई.टी.पी. में उपचारित कर कारखाना परिसर में संग्रहण एवं उपयोग हेतु समुचित व्यवस्था की गई है, संम्पूर्ण जल कारखाने में लगायें गये पौधों की सिंचाई हेतु उपयोग में लाया जाता है, एवं किसी भी प्रकार का उपचारित जल का कारखाना परिसर से बाहर नहीं छोड़ा जाता है। अतः कारखाने सामने से गुजरने वाली सड़क के किनारें मृत पाये गये पशु की मृत्यु का कारखाने से कोई संबंध नहीं है। समिति का मत है कि उपरोक्त बाबत् लिखित में जानकारी प्रस्तुत की जाए।

ii. वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए बॉयलर में ई.एस.पी. तथा किन्णवन (Fermentation) इकाई में कार्बन डाईआक्साईड स्क्रबर स्थापित किया जाएगा। कन्सनट्रेटेड स्पेंट वॉश को ईन्सीनरेशन बॉयलर में जलाया जाएगा। स्पेंट लीज तथा प्रोसेस कंडनसेट को दूषित जल उपचार संयंत्र से उपचार

उपरांत मोलासेस डॉल्युशन इकाई एवं कूलिंग टावर मेकअप में पुनः उपयोग किया जाएगा। शुन्य निस्सारण की स्थिति रखी जाएगी।

iii. यह एक केमिकल उद्योग नहीं है, अपितु डिस्टलरी इकाई है। डिस्टलरी शुन्य निस्सारण सिद्धांत (जेड.एल.डी.) पर आधारित होगी। उत्पन्न औद्योगिक एवं घरेलू दूषित जल का उपचार डिस्टलरी परिसर के भीतर किया जाएगा एवं किसी भी प्रकार के अनुपचारित / उपचारित दूषित जल का निस्सारण परिसर के बाहर नहीं किया जाएगा। वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु सक्षम व्यवस्थाऐं की जाएगी। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि डिस्टलरी इकाई से किसी भी प्रकार के अनुपचारित / उपचारित दूषित जल का निस्सारण परिसर के बाहर नहीं किया जाएगा। अतः आसपास स्थित खेतों में दूषित जल के निस्सारण की संभावना निरंक है। किसी अपरिहार्य परिस्थिति में दुर्घटनावश डिस्टलरी इकाई के दूषित जल का निस्सारण बाहर के खेतों में होने पर किसी खेत / फसल के नुकसान होने की दशा में प्रशासन द्वारा निर्धारित मुआवजा संबंधित को दिया जाएगा। समिति का मत है कि उपरोक्त बाबत् लिखित में जानकारी प्रस्तुत की जाए।

iv. शिक्षित बेरोजगारों को योग्यता के आधार पर स्थानीय लोगों को आवश्यकतानुसार रोजगार हेतु प्राथमिकता दी जायेगी।

16. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

<table>
<tr><th rowspan="2">Capital Investment (in Lakh Rupees)</th><th rowspan="2">Percentage of Capital Investment to be Spent</th><th rowspan="2">Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)</th><th colspan="2">Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)</th></tr>
<tr><th>Particulars</th><th>CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)</th></tr>
<tr><td rowspan="6">12670</td><td rowspan="6">1.5%</td><td rowspan="6">190.5</td><td colspan="2">Following activities at Nearby 14 Government Schools & 1 primary helth center for next 5 years</td></tr>
<tr><td>Rain Water Harvesting System</td><td>100.0</td></tr>
<tr><td>Potable Drinking Water Facility</td><td>29.0</td></tr>
<tr><td>Training to local youth / skill development</td><td>33.0</td></tr>
<tr><td>Plantation with Fencing</td><td>29.0</td></tr>
<tr><td>Total</td><td>191.0</td></tr>
</table>

प्रस्तावित कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) का कार्य (1) शासकीय प्राथमिक शाला ग्राम–राम्हेपुर कला, (2) शासकीय उच्चतर शाला ग्राम–राम्हेपुर, (3) शासकीय प्राथमिक शाला ग्राम–बुधवारा, (4) शासकीय प्राथमिक शाला ग्राम–राहंगी, (5) शासकीय उच्चतर शाला ग्राम–राहंगी, (6) शासकीय प्राथमिक

शाला ग्राम–भालुचुवा, (7) शासकीय उच्चतर शाला ग्राम–प्रभाटोला, (8) शासकीय प्राथमिक शाला ग्राम–प्रभाटोला, (9) शासकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ग्राम–पोण्डी, (10) शासकीय प्राथमिक शाला ग्राम–चन्दलपुर, (11) शासकीय उच्चतर शाला ग्राम–लेन्जाखार, (12) शासकीय प्राथमिक शाला ग्राम–रीवापार, (13) शासकीय प्राथमिक शाला ग्राम–मारियाटोला, (14) शासकीय उच्चतर शाला ग्राम–मानिकपुर एवं (15) शासकीय उच्चतर शाला ग्राम–पोड़ी में किया जाएगा।

समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार परियोजना के कुल लागत का 100 करोड़ तक के लिए 2 प्रतिशत एवं 100 करोड़ से 500 करोड़ तक के लिए 1.5 प्रतिशत व्यय किये जाने का प्रावधान है। आवेदित परियोजना हेतु ओ.एम. के अनुसार सी.ई.आर. के तहत् 2.4 करोड़ व्यय किया जाना होगा।

वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा परियोजना के कुल लागत (126.7 करोड़) का 1.5 प्रतिशत व्यय शासकीय शाला एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में किया जाना बताया गया है। जिसे समिति द्वारा अमान्य किया गया। समिति का मत है कि परियोजना हेतु सी.ई.आर. के तहत् व्यय राशि अत्यधिक होने के कारण ईको पार्क निर्माण का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए। अतः ओ.एम. के अनुसार संशोधित कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) का विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. स्थल से भोरमदेव अभ्यारण्य की निकटतम सीमा की वास्तविक दूरी संबंधी प्रमाणित जानकारी वन विभाग से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. लीज संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।
3. प्रस्तावित परियोजना हेतु ई.एस.पी., स्क्रबर आदि से उत्पन्न पार्टिकुलेट मेटर के उत्सर्जन की मात्रा की गणना कर उत्सर्जन स्तर (माईक्रोग्राम/घनमीटर) की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
4. डिस्टलरी से सल्फर डाईआक्साईड उत्सर्जन की मात्रा 14.35 माईकोग्राम / सामान्य घनमीटर बताई गई है। इसकी मात्रा उपयुक्त प्रतीत नहीं होती है। सल्फर डाईआक्साईड उत्सर्जन के विभिन्न स्त्रोतों से उत्पन्न सल्फर डाईआक्साईड की मात्रा की गणना तथा परिवेशीय वायु में जी.एल.सी. (GLC) की गणना कर प्रस्तुत की जाए।
5. वृक्षारोपण का कार्य कुल क्षेत्रफल के 40 प्रतिशत क्षेत्र में करने हेतु परिसर के चारों तरफ प्रस्तावित वृक्षारोपण को दर्शाते हुये संशोधित ले–आउट प्लान एवं लेण्ड एरिया स्टेटमेंट प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण हेतु कार्ययोजना प्रस्तुत की जाए।
6. युज्ड अथवा स्पेंट ऑयल को परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध और सीमापार संचलन) नियम, 2016 के अनुसार अथराईज्ड रिसायकलर्स / वेण्डर्स को प्रदाय करने बाबत् जानकारी प्रस्तुत की जाए।
7. उद्योग परिसर में प्रस्तावित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था हेतु विस्तृत गणना {प्रस्तावित रिचार्ज स्ट्रक्चर की संख्या, क्षमता (लंबाई, चौड़ाई एवं गहराई सहित)

व्यवस्था उपरांत हार्वेस्टेड जल की मात्रा आदि} स्टार्म वाटर की गणना सहित जानकारी प्रस्तुत की जाए।

8. डिस्टलरी से सभी कार्यकलापों को एकीकृत कर अतिरिक्त वाहनों के आवागमन को शामिल करते हुये समतुल्य पी.सी.यू. की गणना कर अतिरिक्त वाहनों के परिवहन हेतु सड़कों के परिवहन भार अनुसार सड़क उपयुक्त होने बाबत् जानकारी प्रस्तुत की जाए। भारी वाहनों / मल्टीएक्शल हैवी वाहनों को समाहित करते हुये ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।
9. प्रस्तावित डी.जी. सेट्स की संख्या, क्षमता की जानकारी एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित ऊंचाई की चिमनी स्थापित किये जाने बाबत् जानकारी प्रस्तुत की जाए।
10. परियोजना के प्रारंभ होने के उपरांत परिवेशीय ध्वनि प्रभाव की गणना सहित जानकारी प्रस्तुत की जाए।
11. मेनेजिंग डॉयरेक्टर, मेसर्स भोरमदेव सहकारी शक्कर उत्पादक कारखाना मर्यादित से लोक सुनवाई के दौरान मृत पशुओं के संबंध में उठाये गये मुद्दे के समाधान हेतु लिखित में जानकारी प्रस्तुत की जाए।
12. परियोजना प्रस्तावक से किसी अपरिहार्य परिस्थिति में दुर्घटनावश डिस्टलरी इकाई के दूषित जल का निस्सारण बाहर के खेतों में होने पर किसी खेत / फसल के नुकसान होने की दशा में प्रशासन द्वारा निर्धारित मुआवजा संबंधित को दिये जाने बाबत् लिखित में जानकारी प्रस्तुत की जाए।
13. परियोजना हेतु सी.ई.आर. के तहत् व्यय राशि (2.4 करोड़) अत्यधिक होने के कारण ईको पार्क निर्माण हेतु प्रस्ताव विस्तृत विवरण सहित प्रस्तुत किया जाए।
14. उपरोक्त जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने के उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदानुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की 384वीं बैठक दिनांक 02/08/2021 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 13/08/2021 एवं 31/08/2021 को प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 385वीं बैठक दिनांक 31/08/2021:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, कवर्धा वनमण्डल, कवर्धा के ज्ञापन क्रमांक/तक. अधि./7076 कवर्धा, दिनांक 12/08/2021 से जारी प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित स्थल राजस्व क्षेत्र है और भोरमदेव अभ्यारण्य कक्ष क्रमांक आर.एफ. 79 से आकाशीय दूरी 10.7 कि.मी. है।
2. लीज संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।
3. प्रस्तावित परियोजना हेतु ई.एस.पी., स्क्रबर आदि से उत्पन्न पार्टिकुलेट मेटर के उत्सर्जन की मात्रा 50 माईक्रोग्राम/घनमीटर से कम रखा जाना प्रस्तावित है।
4. सल्फर डाईआक्साईड उत्सर्जन के विभिन्न स्त्रोतों से उत्पन्न सल्फर डाईआक्साईड की मात्रा की गणना तथा परिवेशीय वायु में जी.एल.सी. (GLC) की गणना कर प्रस्तुत की गई है। परियोजना के प्रारंभ होने के उपरांत 0.5 कि.

मी. से 1 कि.मी. के मध्य सल्फर डाईआक्साईड की मात्रा 3.0 माईक्रोग्राम/घनमीटर की वृद्धि एवं आईसोप्लेथ के अनुसार परियोजना के पूर्व दिशा में प्रस्तावित चिमनी (लगभग 400 मीटर), फैक्ट्री परिसर, हाईवे एवं ओपन/कृषि भूमि में सल्फर डाईआक्साईड की मात्रा 5.0 माईक्रोग्राम/घनमीटर से 6.15 माईक्रोग्राम/घनमीटर की वृद्धि होगी। परिवेशीय वायु हेतु 8 स्थानों पर जी.एल.सी. (GLC) की गणना प्रस्तुत की गई है, प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत परिवेशीय वायु में सल्फर डाईआक्साईड 0.4 माईक्रोग्राम/घनमीटर से 3.0 माईक्रोग्राम/घनमीटर की वृद्धि होना संभावित है।

5. वृक्षारोपण का कार्य कुल क्षेत्रफल के 39,246 वर्गमीटर (40.4 प्रतिशत) क्षेत्र में परिसर के चारों तरफ प्रस्तावित वृक्षारोपण करने हेतु संशोधित ले–आउट प्लान एवं लेण्ड एरिया स्टेटमेंट प्रस्तुत की गई है:–

Description	Area (SQM)	Area (Acre)
Green Belt Area (40.4%)	39,246	9.698
Internal & Entrance Road	10,489	2.292
Power Plant Area	6,846	1.69
Waste Water Treatment (CPU + Lagoon + STP)	4,977	1.23
Ethanol Storage Area	3,460	0.85
Molasses Storage Tank Area	11,290	2.79
Fermentation + Distillation + MSDH + MEE + Spirit Storage	7,365	1.82
ADM Building + Temple + Guest House + Utility Building	2,428	0.60
Open Area Including Parking Space	1,986	0.50
Open space for future expansion	4,692	1.16
Open space for future expansion (Nr. Molasses storage tank)	4,355	1.07
Total Plant Area	**97,125**	**24.00**

6. युज्ड अथवा स्पेंट ऑयल को परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध और सीमापार संचलन) नियम, 2016 के अनुसार अथराईज्ड रिसायकलर्स / वेण्डर्स को प्रदाय किया जाएगा।

7. उद्योग परिसर में वर्षा जल का कुल रनऑफ 39,517 घनमीटर प्रतिवर्ष होगी। उक्त रनऑफ को रिचार्ज करने हेतु रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 12 नग रिचार्ज स्ट्रक्चर (गहराई 6 मीटर, चौड़ाई 3 मीटर एवं ऊंचाई 3 मीटर) निर्मित किया जाएगा। रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था से परिसर के पूर्ण रनऑफ को रिचार्ज किया जा सकेगा। यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी रिचार्ज स्ट्रक्चर्स में समान मात्रा में वर्षा जल का बहाव हो सके।

8. डिस्टलरी से सभी कार्यकलापों को एकीकृत कर अतिरिक्त वाहनों के आवागमन को शामिल करते हुये समतुल्य पी.सी.यू. की गणना कर अतिरिक्त वाहनों के परिवहन हेतु सड़कों के परिवहन भार अनुसार सड़क उपयुक्त होने बाबत् जानकारी प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार वर्तमान में 306 पी.सी.यू. प्रतिघंटा है। परियोजना प्रारंभ उपरांत 381 पी.सी.यू. प्रतिघंटा होगी, जो सड़क मार्ग की लोड कैरिंग क्षमता निर्धारित मानक के भीतर है।

9. वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 1 नग 500 के.व्ही.ए. एवं 1 नग 1,000 के.व्ही.ए. का डी. जी. सेट स्थापित किया जाएगा। डी.जी. सेट को एकॉस्टिकली इंक्लोजर में स्थापित किया जाएगा। डी.जी. सेट हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित चिमनी की ऊंचाई 30 मीटर (Above ground level) रखी जाएगी।

10. वर्तमान में एवं परियोजना प्रारंभ होने उपरांत परिवेशीय ध्वनि प्रभाव की गणना कर जानकारी प्रस्तुत की गई है, जो कि केन्द्रीय प्रदूषण नियत्रंण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के भीतर है।

11. मेनेजिंग डॉयरेक्टर, मेसर्स भोरमदेव सहकारी शक्कर उत्पादक कारखाना मर्यादित से लोक सुनवाई के दौरान मृत पशुओं के संबंध में उठाये गये मुद्दे के समाधान हेतु लिखित में जानकारी प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार वर्ष 2002–03 में भोरमदेव सहकारी शक्कर उत्पादक कारखाना स्थापना के साथ ही ई.टी.पी. की स्थापना की गई थी। कारखाने का दूषित जल प्रारंभ से ही कारखाना परिसर में स्थापित ई.टी.पी. में उपचारित कर कारखाना परिसर में संग्रहण एवं उपयोग हेतु समुचित व्यवस्था की गई है, सम्पूर्ण जल का कारखानें में लगाये गये पौधों की सिंचाई हेतु उपयोग में लाया जाता है एवं किसी भी प्रकार का उपचारित जल कारखाना परिसर से बाहर नहीं छोड़ा जाता है। अतः कारखानें के सामने से गुजरने वाली सड़क के किनारें मृत पाये गये पशु की मृत्यु का कारखानें से कोई संबंध नहीं है।

12. परियोजना से किसी अपरिहार्य परिस्थिति में दुर्घटनावश डिस्टलरी इकाई के दूषित जल का निस्सारण बाहर के खेतों में होने पर किसी खेत / फसल के नुकसान होने की दशा में जिला प्रशासन द्वारा गठित जाँच समिति के निरीक्षण उपरांत दिये गये निर्देशानुसार निर्धारित मुआवजा/क्षतिपूर्ति (Compensation) दिया जाएगा।

13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत् ईको पार्क निर्माण हेतु प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड के ज्ञापन क्रमांक /वविनि/05/2021/1666 रायपुर, दिनांक 28/08/2021 द्वारा जारी पत्र प्रेषित किया गया, जिसके अनुसार "विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट (D.P.R.) तैयार करने हेतु चयनित क्षेत्र की सीमा तथा टोपोग्राफी की जानकारी होना नितांत आवश्यक है। कृपया चयनित क्षेत्र की जानकारी तत्काल मण्डल प्रबंधक कवर्धा परियोजना मण्डल, कबीरधाम को उपलब्ध करावें, ताकी D.P.R. तैयार कर अग्रिम कार्यावाही की जा सके। उल्लेखनीय है कि ईको पार्क बनाने हेतु प्रस्तावित राशि रू. 2.40 करोड़ में से अधिकांशतः राशि प्रथम वर्ष / स्थापना वर्ष में ही व्यय होगी। वर्षवार प्रस्तावित राशि का प्राक्कल D.P.R. तैयार करने के पश्चात् ही सूचित किया जा सकेगा। आपके द्वारा तत्काल राशि एवं स्थान उपलब्ध कराने की शर्त पर ही वन विकास निगम द्वारा ईको पार्क स्थापित करने की सहमति दी जाती है" का उल्लेख है।

    उक्त पत्र के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्र दिनांक 28/08/2021 के माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड को चयनित क्षेत्र की सीमा एवं टोपोग्राफी की जानकारी तत्काल प्रेषित करने तथा प्रस्तावित राशि रू. 2.40 करोड़ में से अधिकांशतः राशि प्रथम वर्ष / स्थापना वर्ष में ही व्यय किये जाने का आश्वासन दिया गया।

समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि ईको पार्क निर्माण हेतु सी.ई. आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत् राशि रू. 2.40 करोड़ का विस्तृत प्रस्ताव 02 माह में प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर **समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** मेसर्स एनकेजे बॉयोफ्यूल प्राईवेट लिमिटेड, तहसील–बोडला, जिला–कबीरधाम, ग्राम–राम्हेपुर स्थित भूमि खसरा क्रमांक 1/2, 2, 3/1, 3/2, 4, 5 एवं ग्राम–बुधवारा स्थित भूमि खसरा क्रमांक 62/1 तथा 62/4, कुल क्षेत्रफल – 97,125 वर्गमीटर (24 एकड़) में न्यू मोलासेस बेस्ड डिस्टिलरी क्षमता – 80 किलोलीटर प्रतिदिन (एनहाईड्रस एल्कोहल (इथेनॉल) / रेक्टिफाईड स्प्रिट / एक्स्ट्रा न्युट्रल एल्कोहल उत्पादन हेतु) हेतु सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत् प्रस्तावित कार्यवाही अनुसार ईको पार्क निर्माण के लिये राशि रू. 2.40 करोड़ का विस्तृत प्रस्ताव 02 माह के भीतर प्रस्तुत करने एवं **परिशिष्ट–08** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

12. मेसर्स रामा उद्योग प्राइवेट लिमिटेड, औद्योगिक क्षेत्र, सिलतरा, फेस–2, तहसील व जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1650)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/ 211530/ 2021, दिनांक 13/05/2021।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् औद्योगिक क्षेत्र, सिलतरा फेस–2 के समीप, तहसील व जिला–रायपुर स्थित खसरा नंबर 114/(10–12), कुल क्षेत्रफल – 14.928 एकड़ में हॉट चार्जिंग आधारित रोलिंग मिल – 57,800 टन प्रतिवर्ष के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। प्रस्तावित कार्यकलाप के उपरांत विनियोग का कुल लागत 30.15 करोड़ होगा।

परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 21/05/2021 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 373वीं बैठक दिनांक 31/05/2021:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री पलविंदर सिंह संधू, डॉयरेक्टर विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि मेसर्स रामा उद्योग प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट–2) को एम.एस. बिलेट्स/इंगॉट्स क्षमता – 28,800 टन प्रतिवर्ष एवं मेसर्स रामा उद्योग प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट–3) को एम.एस. बिलेट्स/इंगॉट्स क्षमता – 29,000 टन प्रतिवर्ष हेतु क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर से पृथक–पृथक सम्मति अनुसार एम.एस. बिलेट्स/इंगॉट्स कुल क्षमता–57,800 टन प्रतिवर्ष का उत्पादन किया जा रहा है।

   प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् उक्त दोनों इकाईयों को मिलाकर एक इकाई करते हुए वर्तमान में स्थापित एवं संचालित इण्डक्शन फर्नेस कुल क्षमता–57,800

टन प्रतिवर्ष से ही हॉट चार्जिंग आधारित रोलिंग मिल की स्थापना कर रोल्ड प्रोडक्ट्स क्षमता – 57,800 टन प्रतिवर्ष का उत्पादन किया जाना प्रस्तावित किया गया है।

2. **जल एवं वायु सम्मति –**

- क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर से मेसर्स रामा उद्योग प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट–2) को एम.एस. बिलेट्स/इंगॉट्स क्षमता – 28,800 टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण दिनांक 23/10/2018 को जारी की गई है, जो कि दिनांक 30/09/2021 तक वैध है।

- क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर से मेसर्स रामा उद्योग प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट–3) को एम.एस. बिलेट्स/इंगॉट्स क्षमता – 29,000 टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण दिनांक 26/02/2020 को जारी की गई है, जो कि दिनांक 31/01/2023 तक वैध है।

3. **निकटतम स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी –**

- निकटतम शहर रायपुर 14.4 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। निकटतम रेल्वे स्टेशन मांढर 6.9 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। स्वामी विवेकानंद विमानपत्तन, माना, रायपुर 23.2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1.22 कि.मी. दूर है।

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

4. **लेण्ड एरिया स्टेटमेंट –**

S.No.	Land use	Existing Area (in Acre) / Area (%)	After Expansion Area (in Acre) / Area (%)
1	Plant Area (Including Offices)	1.4 (9.39%)	3.74 (25.09%)
2	Open Area	7.5 (50.42%)	5.18 (34.72%)
3	Plantation Area	6 (40.19%)	6 (40.19%)
Total		**14.928 (100%)**	**14.928 (100%)**

5. **रॉ–मटेरियल –**

S. No.	Raw Material	Quantity (TPA)	Source	Mode
For M.S Billets/ Ingots				
1.	Sponge Iron	53,767	Open Market	By Road (through covered trucks)
2.	Pig Iron	12,168	Open Market	By Road (through covered trucks)
3.	FeMn, FeSi,	3,489	Open Market	By Road (through

	Al			covered trucks)
For Rolling Mill				
1	Billets	57,800	Own	-

6 स्थापित एवं प्रस्तावित इकाईयों संबंधी जानकारी –

S. No.	Name of Unit	Existing Product Capacity (in TPA)	Proposed Product Capacity (in TPA)
1	Unit - II	M.S Billets/ Ingots - 28,800	TMT - 57,800
2	Unit - III	M.S Billets/ Ingots - 29,000	
Total		**57,800**	**57,800**

7. **समिति की संज्ञान में यह तथ्य आया** कि मेसर्स रामा उद्योग प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट–2) एवं मेसर्स रामा उद्योग प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट–3) इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से पृथक–पृथक सम्मति प्राप्त की गई है, जबकि दोनों इकाईयां एक ही प्लांट परिसर तथा एक ही शेड में स्थापित एवं संचालित है। उद्योग द्वारा बिना पर्यावरणीय स्वीकृति के एम.एस. बिलेट्स / इंगोट्स कुल क्षमता 57,800 टन प्रतिवर्ष (28,800 टन प्रतिवर्ष + 29,000 टन प्रतिवर्ष) का उत्पादन किया जा रहा है जिससे कि ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के उल्लंघन की स्थिति निर्मित होती है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को उपरोक्त तथ्यों से अवगत कराते हुये, उनसे मेसर्स रामा उद्योग प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट–2) एवं मेसर्स रामा उद्योग प्राइवेट लिमिटेड (यूनिट–3) को जारी पृथक–पृथक सम्मति के संबंध में स्थल निरीक्षण कर वस्तुस्थिति की जानकारी प्रेषित करने हेतु अनुरोध किया जाए।

तदानुसार एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 26 / 07 / 2021 के परिपेक्ष्य में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा स्थल निरीक्षण कर वस्तुस्थिति की जानकारी दिनांक 31 / 08 / 2021 को प्रस्तुत की गई है।

(ब) समिति की 385वीं बैठक दिनांक 31 / 08 / 2021

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण कर तथा **विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया** कि परियोजना प्रस्तावक को समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ संपन्न हुई।

(कलप्रिया तिर्की)
सदस्य सचिव
राज्य स्तर विशेषज्ञ आकलन समिति
छत्तीसगढ़

(धीरेन्द्र शर्मा)
अध्यक्ष
राज्य स्तर विशेषज्ञ आकलन समिति
छत्तीसगढ़

मेसर्स खरसूरा ब्रिक अर्थक्ले क्वारी माईन एण्ड फिक्स चिमनी प्लांट (प्रो.– श्री रविन्द्र कुमार जायसवाल) को खसरा क्रमांक 1558, 1564, 1559, 1572 एवं 1565, ग्राम–खरसूरा, तहसील व जिला–सूरजपुर कुल लीज क्षेत्र 2.18 हेक्टेयर, मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) क्षमता – 3,030 घनमीटर (ईंट उत्पादन इकाई 15,45,976 नग) प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरण स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

1. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी क्लस्टर में है, तो पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
2. उत्खनन क्षेत्र 2.18 हेक्टेयर से अधिक नहीं होगा। इसी प्रकार खदान से अधिकतम मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) क्षमता – 3,030 घनमीटर (ईंट उत्पादन इकाई 15,45,976 नग) प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन कराकर पक्के मुनारे लगाया जाए।
3. पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत् रहेगी।
4. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ओएम दिनांक 24/06/2013 के अनुसार किसी सिविल स्ट्रक्चर से कम से कम 15 मीटर की दूरी छोड़कर उत्खनन क्षेत्र की परिधि सुनिश्चित किया जाए। फिक्स चिमनी से चारों तरफ उत्खनन क्षेत्र की सीमा कम से कम 15 मीटर दूर सुनिश्चित किया जाए। भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ओएम दिनांक 24/06/2013 में मिट्टी उत्खनन हेतु निर्धारित गाईड–लाईन का पालन सुनिश्चित किया जाए।
5. उत्खनन की अधिकतम गहराई 2 मीटर से अधिक नहीं होगी। उत्खनन प्रक्रिया भू–जल स्तर के उपर असंतृप्त प्रभाग मे की जाएगी एवं उत्खनन प्रक्रिया भू–जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।
6. खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो), के उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था किया जाए। औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए, अपितु इसे प्रक्रिया में अथवा वृक्षारोपण हेतु पुनःउपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिये सैप्टिक टैंक एवं सोकपीट की व्यवस्था किया जाए एवं किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाऋतु का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपचारित दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा अधिसूचित मानक अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।
7. भू–जल के उपयोग हेतु केन्द्रीय भू–जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त किया जाए। (यदि आवश्यक हो)

8. ईंट उत्पादन हेतु फिक्स्ड चिमनी आधारित ईंट भट्टे की स्थापना किया जाए। ईंट भट्टे की चिमनी से पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन की मात्रा एवं चिमनी की ऊंचाई भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानक अनुसार सुनिश्चित किया जाए। खनिज उत्खनन के विभिन्न स्त्रोतों से उत्पन्न फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। पहुँच मार्ग, रैम्प, संग्रहण क्षेत्र, भराई एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं पर जल छिड़काव की व्यवस्था किया जाकर इसका सतत संचालन /संधारण सुनिश्चित किया जाए।
9. ईंट निर्माण में फ्लाई ऐश का उपयोग भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा समय–समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाए।
10. वाहनों एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों (जो भी कठोर हो) के अनुरूप रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नही होनी चाहिये।
11. ईंट निर्माण में ताप विद्युत संयंत्रों से उत्पन्न राख का उपयोग भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा फ्लाई एश के उपयोग हेतु जारी अधिसूचना के प्रावधानों के अनुसार किया जाए। ईंट भट्टे से उत्पन्न राख का पुनःउपयोग ईंट निर्माण में किया जाए। ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न ईंट के टुकड़ों आदि को भू–भरण हेतु उपयोग किया जाए।
12. उत्खनन के दौरान हटाई गई उपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) का उपयोग ईंट निर्माण में उपयुक्त नहीं होने पर उत्खनन हेतु उपयोग में नहीं आने वाली भूमि के पुनः उद्धार हेतु अथवा बाहरी ओवरबर्डन को स्थिर (स्टेबिलाइज) करने में किया जाए। जहां पर उपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) को खनन प्रक्रिया के साथ–साथ (कॉनकरेंटली) उपयोग किया जाना संभव न हो, तब इसे पृथक से भण्डारित कर भविष्य में उपयोग हेतु रखा जाए।
13. ओवरबर्डन एवं अनुपयोगी मिट्टी को उचित प्रकार से सुरक्षित रखा जाए ताकि भण्डारित पदार्थ आस–पास की भूमि पर विपरित प्रभाव न डाल सके एवं खनन के पश्चात बने गड्डों में पुनःभरण (बैक फिलिंग) हेतु भूमि का मूल उपयोग अथवा वांछित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। भण्डारित डम्प की ऊँचाई 03 मीटर तथा स्लोप 45 डिग्री से अधिक न हो। ओवरबर्डन डम्प का क्षरण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से वृक्षारोपण किया जाए।
14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिल्ट लीज क्षेत्र के आस–पास के सतही जल स्त्रोतों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने हेतु माईन पीट, डम्प क्षेत्र, ईंट भट्टा क्षेत्र मे रिटेनिंग वॉल /गारलेण्ड ड्रेन की व्यवस्था की जाए।
15. मिट्टी एवं ईंट का परिवहन तारपोलिन अथवा अन्य उपयुक्त माध्यम से ढ़के हुये वाहन से किया जाए, ताकि मिट्टी अथवा ईंट वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज

का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

16. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
30	2%	0.60	Following activities at Government Primary School Kataipara, **Village- Kharsura**	
			Rain Water Harvesting System	0.43
			Running Water Facility for Toilets	0.15
			Plantation	0.05
			Total	**0.63**

17. सी.ई.आर. के तहत् निर्धारित कार्यवाही 03 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए।
18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा उत्खनन हेतु निषिद्ध क्षेत्र (चारों तरफ 01 मीटर चौड़ी बेल्ट), हॉल रोड, ओवरबर्डन डम्प आदि में स्थानीय प्रजाति के 395 वृक्षों का सघन वृक्षारोपण किया जाए। हरित पट्टी का विकास केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।
19. **प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2021–22 में कम से कम 200 पौधे प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, अर्जुन, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 500 पौधों का रोपण खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। वृक्षारोपण नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकती है।**
20. वृक्षारोपण का रख–रखाव आगामी 3 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।
21. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ्स अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस. ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

22. उत्खनन क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।
23. उत्खन्न की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं पर कम से कम दुष्प्रभाव हो।
24. मिट्टी उत्खनन छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए।
25. कार्य स्थल पर यदि केम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगायें जाते है तो ऐसे श्रमिकों के आवास उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप मे हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात हटाया जा सके।
26. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।
27. श्रमिकों का समय–समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराना आवश्यक है।
28. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों /विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।
29. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना, जिसमें मिट्टी उत्खनन सम्मिलित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस. ई.आई.ए.ए, छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
30. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा मे परिवर्तन अथवा विर्निदिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा मे किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्स्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
31. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 02 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस–पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 07 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियॉं सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय की वेबसाइट www.envfor.nic.in एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट www.seiaacg.org पर भी किया जा सकता है।
32. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अम्बिकापुर, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर को प्रेषित किया जाए।

33. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मानिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय–समय पर प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।
34. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर/केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए।
35. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।
36. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ मे प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
37. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला–व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में दिवस की अवधि के लिये प्रदर्शित करेगा।
38. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरूद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिये गये प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी. **अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.**

मेसर्स श्री विपुल अग्रवाल (राजपुर डोलोमाईट क्वारी) को खसरा क्रमांक 178/2, 178/3 एवं 179, कुल लीज क्षेत्र 1.36 हेक्टेयर, ग्राम–राजपुर, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग में डोलोमाईट (गौण खनिज) उत्खनन – 4,200 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति अधिकतम उत्खनन क्षेत्रफल (लीज क्षेत्र) 1.36 हेक्टेयर अथवा छत्तीसगढ़ शासन, खनिज शासन विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र (दोनों में से जो कम हो) हेतु मान्य होगा। इसी प्रकार खदान से डोलोमाईट का अधिकतम उत्खनन 4,200 टन प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन कराकर पक्के मुनारे लगाया जाए।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो), के उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था किया जाए।
3. पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत् रहेगी।
4. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए, अपितु इसे प्रक्रिया में अथवा वृक्षारोपण हेतु पुनःउपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिए सेप्टिक टैंक एवं सोकपीट की व्यवस्था की जाए एवं जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाऋतु का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपचारित दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।
5. खनि पट्टा धारक खान संचालन बंद करने के उपरांत (after ceasing mining operations) खनन क्षेत्र तथा किसी भी अन्य क्षेत्र जो कि उनकी खनन गतिविधियों के कारण प्रभावित (disturbed due to their mining activities) हुए हैं, उनकी री–ग्रासिंग (re-grassing) की जाएगी एवं भूमि का पुनःस्थापना इस स्थिति तक किया जाएगा, जिससे यह चारा, वनस्पतियों, जीवों आदि के उत्पत्ति हेतु उपयुक्त हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित माईन क्लोजर प्लान एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।
6. भू–जल के उपयोग हेतु केन्द्रीय भू–जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।
7. किसी चिमनी / वेंट / प्वाईंट सोर्स से पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन की मात्रा 50 मिलीग्राम / सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किया जाए। क्रशर, स्क्रीन, ट्रांसफर प्वांइट्स (यदि कोई हो) में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु डस्ट एक्सट्रेक्शन सिस्टम के साथ उच्च दक्षता का बेग फिल्टर स्थापित किया जाए। खनिज उत्खनन गतिविधियों के विभिन्न स्त्रोतों से उत्पन्न फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। पहुँच मार्ग, रैम्प, संग्रहण क्षेत्र, भराई एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन

बिन्दुओं डस्ट कंटेन्मेन्ट कम सप्रेशन सिस्टम एवं जल छिड़काव की व्यवस्था की जाकर इसका सतत् संचालन /संधारण सुनिश्चित किया जाए। विण्ड ब्रेकिंग वॉल का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।

8. वाहनों, खनन एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

9. लीज क्षेत्र के चारों तरफ छोड़ी गई 7.5 मीटर की चौड़ी पट्टी में कोई वेस्ट का डंप / भण्डारण नहीं किया जाए तथा इस पट्टी में वृक्षारोपण किया जाए।

10. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान हटाई गई ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) का उपयोग उत्खनन हेतु उपयोग में न आने वाली भूमि के पुनः उद्धार हेतु अथवा बाहरी ओवरबर्डन को स्थिर (स्टेबिलाइज) करने में किया जाए। जहां पर ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) को खनन प्रक्रिया के साथ–साथ (कॉनकरेंटली) उपयोग किया जाना संभव न हो, तब इसे पृथक से भण्डारित कर भविष्य में उपयोग हेतु रखा जाए।

11. ओवरबर्डन एवं अनुपयोगी/बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को पृथक से पूर्व से चिन्हीत स्थल पर भण्डारित किया जायेगा। इस प्रकार के भण्डारण स्थलों को उचित प्रकार से सुरक्षित रखे जाएं ताकि भण्डारित पदार्थ आस–पास की भूमि पर विपरित प्रभाव न डाल सकें। डम्प की ऊंचाई 3 मीटर तथा स्लोप 28 डिग्री से अधिक न हो। ओवरबर्डन डम्प का क्षरण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से वृक्षारोपण किया जाए।

12. जहाँ तक संभव हो ओवरबर्डन एवं अन्य अनुपयोगी/बिकी अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को खनन के पश्चात बने गड्डों में पुनःभरण (बैक फिलिंग) हेतु उपयोग किया जाए, ताकि भूमि का मूल उपयोग अथवा वांछित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिल्ट लीज क्षेत्र के आस–पास के सतही जल स्त्रोतों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने हेतु माईन पीट तथा डम्प क्षेत्र मे रिटेनिंग वॉल / गारलेण्ड ड्रेन की व्यवस्था की जाए।

14. खनिज का परिवहन मेकनेकली कव्हर्ड वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

15. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाएः–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
40	2%	0.80	Following activities at Nearby Government Primary, Middle & Higher Secondary schools,	

			Village-Rajpur	
			Rain Water Harvesting System & Plantation with fencing	0.80
			Total	**0.80**

16. सी.ई.आर. के तहत् निर्धारित कार्यवाही 03 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए।

17. उत्खनन हेतु निषिद्ध क्षेत्र (चारों तरफ 7.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र), हॉल रोड, ओवरबर्डन डम्प आदि में स्थानीय प्रजाति के 1,500 वृक्षों का सघन वृक्षारोपण किया जाए। हरित पट्टी का विकास केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।

18. **प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2021–22 में कम से कम 200 नग प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, अर्जुन, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 300 पौधों का रोपण खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए।**

19. वृक्षारोपण का रख–रखाव आगामी 3 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।

20. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ्स अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई. आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

21. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपाय किया जाए। ध्वनि का स्तर उत्खनन क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय 70 DB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए। तीव्र ध्वनि वाले क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को इयरप्लग/मफ आदि प्रदान किए जाएं एवं समय–समय पर चिकित्सकीय जाँच एवं आवश्यकता अनुसार उनका उपचार भी कराया जाए।

22. सक्षम प्राधिकारी / डी.जी.एम.एस. से अनुमति उपरांत सुरक्षित एवं नियंत्रित विधि से ब्लास्टिंग किया जाए। पत्थर के छोटे–छोटे टुकड़ों (फ्लाई रॉक्स) को उड़ने से रोकने हेतु पर्याप्त एवं सक्षम व्यवस्था किया जाए। वेट ड्रिलिंग अथवा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था आधारित ड्रिलिंग किया जाए, जिससे डस्ट का उत्सर्जन नियंत्रण में रहे।

23. उत्खनन प्रक्रिया भू–जल स्तर के उपर असंतृप्त प्रभाग में की जाएगी एवं उत्खनन प्रकिया भू–जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।

24. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं पर कम से कम दुष्प्रभाव हो।

25. परियोजना प्रस्तावक द्वारा गौण खनिज का उत्खनन छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए। माईन एक्ट 1952 के प्रावधानों का पालन किया जाए।

26. कार्य स्थल पर यदि केम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे श्रमिकों के आवास हेतु उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप मे हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात् हटाया जा सके।

27. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।

28. श्रमिकों का समय–समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराना आवश्यक है।

29. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना, जिसमें उत्खनन, खनिज की मात्रा एवं अपशिष्ट सम्मिलित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

30. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।

31. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा मे परिवर्तन अथवा विर्निदिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा मे किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्स्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

32. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस–पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन एस. ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट www.seiaacg.org पर भी किया जा सकता है।

33. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, भिलाई–दुर्ग, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।

34. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय–समय पर प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।

35. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर /केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण

मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए।

36. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत् बनाये गये नियमों, परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

37. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत् निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

38. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला–व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।

39. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरूद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी. **अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.**

मेसर्स मौरीकला लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री नीरज गंगवाल) को खसरा क्रमांक 673/3, 674, 710, 712, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 726, 727, 728 एवं 733, कुल लीज क्षेत्र 1.65 हेक्टेयर, ग्राम–मौरीकला, तहसील–कुरूद, जिला–धमतरी में चूना पत्थर (गौण खनिज) उत्खनन – 20,371 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति अधिकतम उत्खनन क्षेत्रफल (लीज क्षेत्र) 1.65 हेक्टेयर अथवा छत्तीसगढ़ शासन, खनिज शासन विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र (दोनों में से जो कम हो) हेतु मान्य होगा। इसी प्रकार खदान से चूना पत्थर का अधिकतम उत्खनन 20,371 टन प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन कराकर पक्के मुनारे लगाया जाए।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो), के उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था किया जाए।
3. पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत् रहेगी।
4. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए, अपितु इसे प्रक्रिया में अथवा वृक्षारोपण हेतु पुनःउपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिए सेप्टिक टैंक एवं सोकपीट की व्यवस्था की जाए एवं जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाऋतु का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपचारित दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।
5. खनि पट्टा धारक खान संचालन बंद करने के उपरांत (after ceasing mining operations) खनन क्षेत्र तथा किसी भी अन्य क्षेत्र जो कि उनकी खनन गतिविधियों के कारण प्रभावित (disturbed due to their mining activities) हुए हैं, उनकी री–ग्रासिंग (re-grassing) की जाएगी एवं भूमि का पुनःस्थापना इस स्थिति तक किया जाएगा, जिससे यह चारा, वनस्पतियों, जीवों आदि के उत्पत्ति हेतु उपयुक्त हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित माईन क्लोजर प्लान एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।
6. भू–जल के उपयोग हेतु केन्द्रीय भू–जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।
7. किसी चिमनी / वेंट / प्वाईंट सोर्स से पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन की मात्रा 50 मिलीग्राम / सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किया जाए। क्रशर, स्क्रीन, ट्रांसफर प्वांइट्स (यदि कोई हो) में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु डस्ट एक्सट्रेक्शन सिस्टम के साथ उच्च दक्षता का बेग फिल्टर स्थापित किया जाए। खनिज उत्खनन गतिविधियों के विभिन्न स्त्रोतों से उत्पन्न फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। पहुँच मार्ग, रैम्प, संग्रहण क्षेत्र, भराई एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन

बिन्दुओं डस्ट कंटेन्मेन्ट कम सप्रेशन सिस्टम एवं जल छिड़काव की व्यवस्था की जाकर इसका सतत् संचालन /संधारण सुनिश्चित किया जाए। विण्ड ब्रेकिंग वॉल का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।

8. वाहनों, खनन एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

9. लीज क्षेत्र के चारों तरफ छोड़ी गई 7.5 मीटर की चौड़ी पट्टी में कोई वेस्ट का डंप / भण्डारण नहीं किया जाए तथा इस पट्टी में वृक्षारोपण किया जाए।

10. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान हटाई गई ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) का उपयोग उत्खनन हेतु उपयोग में न आने वाली भूमि के पुनः उद्धार हेतु अथवा बाहरी ओवरबर्डन को स्थिर (स्टेबिलाइज) करने में किया जाए। जहां पर ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) को खनन प्रक्रिया के साथ–साथ (कॉनकरेंटली) उपयोग किया जाना संभव न हो, तब इसे पृथक से भण्डारित कर भविष्य में उपयोग हेतु रखा जाए।

11. ओवरबर्डन एवं अनुपयोगी/बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को पृथक से पूर्व से चिन्हीत स्थल पर भण्डारित किया जायेगा। इस प्रकार के भण्डारण स्थलों को उचित प्रकार से सुरक्षित रखे जाएं ताकि भण्डारित पदार्थ आस–पास की भूमि पर विपरित प्रभाव न डाल सकें। डम्प की ऊंचाई 3 मीटर तथा स्लोप 28 डिग्री से अधिक न हो। ओवरबर्डन डम्प का क्षरण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से वृक्षारोपण किया जाए।

12. जहाँ तक संभव हो ओवरबर्डन एवं अन्य अनुपयोगी/बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को खनन के पश्चात बने गड्डों में पुनःभरण (बैक फिलिंग) हेतु उपयोग किया जाए, ताकि भूमि का मूल उपयोग अथवा वांछित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिल्ट लीज क्षेत्र के आस–पास के सतही जल स्त्रोतों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने हेतु माईन पीट तथा डम्प क्षेत्र मे रिटेनिंग वॉल / गारलेण्ड ड्रेन की व्यवस्था की जाए।

14. खनिज का परिवहन मेकनेकली कव्हर्ड वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

15. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
42	2%	0.84	Following activities at Government Middle School, **Village- Morikala**	

			Rain Water Harvesting System	0.45
			Potable Drinking water Facility	0.24
			Running Water Facility for Toilets	0.17
			Plantation in school / community health center	0.14
			Total	**1.00**

16. सी.ई.आर. के तहत् निर्धारित कार्यवाही 03 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए।

17. उत्खनन हेतु निषिद्ध क्षेत्र (चारों तरफ 7.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र), हॉल रोड, ओवरबर्डन डम्प आदि एवं गैर माईनिंग क्षेत्र में स्थानीय प्रजाति के 1,687 वृक्षों का सघन वृक्षारोपण किया जाए। हरित पट्टी का विकास केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।

18. **प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2021–22 में कम से कम 200 नग प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, अर्जुन, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 300 पौधों का रोपण खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए।**

19. वृक्षारोपण का रख–रखाव आगामी 3 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।

20. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ्स अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई. आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

21. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपाय किया जाए। ध्वनि का स्तर उत्खनन क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय 70 DB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए। तीव्र ध्वनि वाले क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को इयरप्लग/मफ आदि प्रदान किए जाएं एवं समय–समय पर चिकित्सकीय जाँच एवं आवश्यकता अनुसार उनका उपचार भी कराया जाए।

22. सक्षम प्राधिकारी / डी.जी.एम.एस. से अनुमति उपरांत सुरक्षित एवं नियंत्रित विधि से ब्लास्टिंग किया जाए। पत्थर के छोटे–छोटे टुकड़ों (फ्लाई रॉक्स) को उड़ने से रोकने हेतु पर्याप्त एवं सक्षम व्यवस्था किया जाए। वेट ड्रिलिंग अथवा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था आधारित ड्रिलिंग किया जाए, जिससे डस्ट का उत्सर्जन नियंत्रण में रहे।

23. उत्खनन प्रक्रिया भू–जल स्तर के उपर असंतृप्त प्रभाग में की जाएगी एवं उत्खनन प्रकिया भू–जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।

24. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं पर कम से कम दुष्प्रभाव हो।

25. परियोजना प्रस्तावक द्वारा गौण खनिज का उत्खनन छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए। माईन एक्ट 1952 के प्रावधानों का पालन किया जाए।

26. कार्य स्थल पर यदि केम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे श्रमिकों के आवास हेतु उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप मे हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात् हटाया जा सके।

27. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।

28. श्रमिकों का समय–समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराना आवश्यक है।

29. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना, जिसमें उत्खनन, खनिज की मात्रा एवं अपशिष्ट सम्मिलित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए, छत्तीसगढ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

30. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिकमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।

31. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा मे परिवर्तन अथवा विर्निदिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा मे किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्स्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

32. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस–पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन एस. ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट www.seiaacg.org पर भी किया जा सकता है।

33. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।

34. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय–समय पर प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।

35. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर /केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए।

36. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत् बनाये गये नियमों, परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

37. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत् निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

38. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला–व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।

39. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरूद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी. **अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.**

मेसर्स खुमरी लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री प्रवीण कुमार अग्रवाल) को खसरा क्रमांक 138, 139/13 एवं 139/25, कुल लीज क्षेत्र 1.368 हेक्टेयर, ग्राम–खुमरी, तहसील–राजपुर, जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज में चूना पत्थर (गौण खनिज) उत्खनन – 13,440 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति अधिकतम उत्खनन क्षेत्रफल (लीज क्षेत्र) 1.368 हेक्टेयर अथवा छत्तीसगढ़ शासन, खनिज शासन विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र (दोनों में से जो कम हो) हेतु मान्य होगा। इसी प्रकार खदान से चूना पत्थर का अधिकतम उत्खनन 13,440 टन प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन कराकर पक्के मुनारे लगाया जाए।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो), के उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था किया जाए।
3. पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत् रहेगी।
4. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए, अपितु इसे प्रक्रिया में अथवा वृक्षारोपण हेतु पुनःउपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिए सेप्टिक टैंक एवं सोकपीट की व्यवस्था की जाए एवं जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाऋतु का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपचारित दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।
5. खनि पट्टा धारक खान संचालन बंद करने के उपरांत (after ceasing mining operations) खनन क्षेत्र तथा किसी भी अन्य क्षेत्र जो कि उनकी खनन गतिविधियों के कारण प्रभावित (disturbed due to their mining activities) हुए हैं, उनकी री–ग्रासिंग (re-grassing) की जाएगी एवं भूमि का पुनःस्थापना इस स्थिति तक किया जाएगा, जिससे यह चारा, वनस्पतियों, जीवों आदि के उत्पत्ति हेतु उपयुक्त हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित माईन क्लोजर प्लान एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।
6. भू–जल के उपयोग हेतु केन्द्रीय भू–जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।
7. किसी चिमनी / वेंट / प्वाईंट सोर्स से पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन की मात्रा 50 मिलीग्राम / सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किया जाए। क्रशर, स्क्रीन, ट्रांसफर प्वांइट्स (यदि कोई हो) में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु डस्ट एक्सट्रेक्शन सिस्टम के साथ उच्च दक्षता का बेग फिल्टर स्थापित किया जाए। खनिज उत्खनन गतिविधियों के विभिन्न स्त्रोतों से उत्पन्न फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित

रूप से किया जाए। पहुँच मार्ग, रैम्प, संग्रहण क्षेत्र, भराई एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं डस्ट कंटेन्मेन्ट कम सप्रेशन सिस्टम एवं जल छिड़काव की व्यवस्था की जाकर इसका सतत् संचालन /संधारण सुनिश्चित किया जाए। विण्ड ब्रेकिंग वॉल का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।

8. वाहनों, खनन एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

9. लीज क्षेत्र के चारों तरफ छोड़ी गई 7.5 मीटर की चौड़ी पट्टी में कोई वेस्ट का डंप / भण्डारण नहीं किया जाए तथा इस पट्टी में वृक्षारोपण किया जाए। उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व आवेदक, क्षेत्र में उपलब्ध मिट्टी 9,978 घनमीटर को सीमा पट्टी 3,600 वर्गमीटर में आवश्यकतानुसार भण्डारण करने के उपरांत अवशेष मिट्टी लगभग 6,378 घनमीटर के भण्डारण हेतु सक्षम प्राधिकारी से विधिवत् अनुमति प्राप्त की जाए तथा अनुमति की प्रति एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित की जाए।

10. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान हटाई गई ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) का उपयोग उत्खनन हेतु उपयोग में न आने वाली भूमि के पुनः उद्वार हेतु अथवा बाहरी ओवरबर्डन को स्थिर (स्टेबिलाइज) करने में किया जाए। जहां पर ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) को खनन प्रक्रिया के साथ–साथ (कॉनकरेंटली) उपयोग किया जाना संभव न हो, तब इसे पृथक से भण्डारित कर भविष्य में उपयोग हेतु रखा जाए।

11. ओवरबर्डन एवं अनुपयोगी/बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को पृथक से पूर्व से चिन्हीत स्थल पर भण्डारित किया जायेगा। इस प्रकार के भण्डारण स्थलों को उचित प्रकार से सुरक्षित रखे जाएं ताकि भण्डारित पदार्थ आस–पास की भूमि पर विपरित प्रभाव न डाल सकें। डम्प की ऊंचाई 3 मीटर तथा स्लोप 28 डिग्री से अधिक न हो। ओवरबर्डन डम्प का क्षरण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से वृक्षारोपण किया जाए।

12. जहाँ तक संभव हो ओवरबर्डन एवं अन्य अनुपयोगी/बिकी अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को खनन के पश्चात बने गड्डों में पुनःभरण (बैक फिलिंग) हेतु उपयोग किया जाए, ताकि भूमि का मूल उपयोग अथवा वांछित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिल्ट लीज क्षेत्र के आस–पास के सतही जल स्त्रोतों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने हेतु माईन पीट तथा डम्प क्षेत्र मे रिटेनिंग वॉल / गारलेण्ड ड्रेन की व्यवस्था की जाए।

14. खनिज का परिवहन मेकनेकली कव्हर्ड वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

15. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए:–

Capital Investment (in Lakh	Percentage of Capital Investment	Amount for CER Activities	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)

Rupees)	to be Spent	(in Lakh Rupees)	Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
30	2%	0.60	Following activities at Government Primary School, **Village – Khumri**	
			Rain Water Harvesting System	0.60
			Potable Drinking water Facility	0.30
			Total	**0.90**

16. सी.ई.आर. के तहत् निर्धारित कार्यवाही 03 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए।

17. उत्खनन हेतु निषिद्ध क्षेत्र (चारों तरफ 7.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र), हॉल रोड, ओवरबर्डन डम्प आदि में स्थानीय प्रजाति के 785 वृक्षों का सघन वृक्षारोपण किया जाए। हरित पट्टी का विकास केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।

18. **प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2021–22 में कम से कम 200 नग प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, अर्जुन, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 300 पौधों का रोपण खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए।**

19. वृक्षारोपण का रख–रखाव आगामी 3 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।

20. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ्स अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई. आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

21. प्रस्तावित लीज क्षेत्र में आने वाले वृक्षों की कटाई न की जाए। सक्षम प्राधिकारी के अनुमति उपरांत आवश्यकता पड़ने पर ही उक्त वृक्षों की कटाई की जाएगी। वृक्षों को काटे जाने की स्थिति में, काटे गये वृक्षों के 10 गुणा आम एवं अन्य फलदार पौधे स्थानीय ग्राम पंचायत द्वारा निर्धारित स्थान पर रोपित किये जायें तथा इनकी 3 वर्ष तक रख–रखाव की व्यवस्था कर ग्राम पंचायत को सौंपा जाएगा।

22. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपाय किया जाए। ध्वनि का स्तर उत्खनन क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय 70 DB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए। तीव्र ध्वनि वाले क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को इयरप्लग/मफ आदि प्रदान किए जाएं एवं समय–समय पर चिकित्सकीय जाँच एवं आवश्यकता अनुसार उनका उपचार भी कराया जाए।

23. सक्षम प्राधिकारी / डी.जी.एम.एस. से अनुमति उपरांत सुरक्षित एवं नियंत्रित विधि से ब्लास्टिंग किया जाए। पत्थर के छोटे–छोटे टुकड़ों (फ्लाई रॉक्स) को उड़ने से रोकने हेतु पर्याप्त एवं सक्षम व्यवस्था किया जाए। वेट ड्रिलिंग अथवा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था आधारित ड्रिलिंग किया जाए, जिससे डस्ट का उत्सर्जन नियंत्रण में रहे।

24. उत्खनन प्रक्रिया भू–जल स्तर के उपर असंतृप्त प्रभाग में की जाएगी एवं उत्खनन प्रकिया भू–जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।

25. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं पर कम से कम दुष्प्रभाव हो।

26. परियोजना प्रस्तावक द्वारा गौण खनिज का उत्खनन छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए। माईन एक्ट 1952 के प्रावधानों का पालन किया जाए।

27. कार्य स्थल पर यदि केम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे श्रमिकों के आवास हेतु उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप मे हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात् हटाया जा सके।

28. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।

29. श्रमिकों का समय–समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराना आवश्यक है।

30. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना, जिसमें उत्खनन, खनिज की मात्रा एवं अपशिष्ट सम्मिलित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए, छत्तीसगढ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

31. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।

32. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा मे परिवर्तन अथवा विर्निदिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा मे किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्स्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

33. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस–पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन एस. ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट www.seiaacg.org पर भी किया जा सकता है।

34. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अम्बिकापुर, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय

कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को **प्रेषित किया जाए।**

35. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, **पर्यावरण**, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय–समय पर प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।

36. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर /केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए।

37. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत् बनाये गये नियमों, परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

38. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत् निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

39. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला–व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।

40. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरूद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी. **अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.**

मेसर्स नवकी आर्डिनरी स्टोन क्वारी (प्रो.– श्री मनोज कुमार अग्रवाल) को खसरा क्रमांक 394/32, कुल लीज क्षेत्र 1.215 हेक्टेयर, ग्राम–नवकी, तहसील–राजपुर, जिला–बलरामपुर–रामानुजगंज में साधारण पत्थर (गौण खनिज) उत्खनन – 12,246 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति अधिकतम उत्खनन क्षेत्रफल (लीज क्षेत्र) 1.215 हेक्टेयर अथवा छत्तीसगढ़ शासन, खनिज शासन विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र (दोनों में से जो कम हो) हेतु मान्य होगा। इसी प्रकार खदान से साधारण पत्थर का अधिकतम उत्खनन 12,246 टन प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन कराकर पक्के मुनारे लगाया जाए।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो), के उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था किया जाए।
3. पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत् रहेगी।
4. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए, अपितु इसे प्रक्रिया में अथवा वृक्षारोपण हेतु पुनःउपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिए सेप्टिक टैंक एवं सोकपीट की व्यवस्था की जाए एवं जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाऋतु का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपचारित दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।
5. खनि पट्टा धारक खान संचालन बंद करने के उपरांत (after ceasing mining operations) खनन क्षेत्र तथा किसी भी अन्य क्षेत्र जो कि उनकी खनन गतिविधियों के कारण प्रभावित (disturbed due to their mining activities) हुए हैं, उनकी री–ग्रासिंग (re-grassing) की जाएगी एवं भूमि का पुनःस्थापना इस स्थिति तक किया जाएगा, जिससे यह चारा, वनस्पतियों, जीवों आदि के उत्पत्ति हेतु उपयुक्त हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित माईन क्लोजर प्लान एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।
6. भू–जल के उपयोग हेतु केन्द्रीय भू–जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।
7. किसी चिमनी / वेंट / प्वाईंट सोर्स से पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन की मात्रा 50 मिलीग्राम / सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किया जाए। क्रशर, स्क्रीन, ट्रांसफर प्वांइट्स (यदि कोई हो) में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु डस्ट एक्सट्रेक्शन सिस्टम के साथ उच्च दक्षता का बेग फिल्टर स्थापित किया जाए। खनिज उत्खनन गतिविधियों के विभिन्न स्त्रोतों से उत्पन्न फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। पहुँच मार्ग, रैम्प, संग्रहण क्षेत्र, भराई एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन

बिन्दुओं डस्ट कंटेन्मेन्ट कम सप्रेशन सिस्टम एवं जल छिड़काव की व्यवस्था की जाकर इसका सतत् संचालन /संधारण सुनिश्चित किया जाए। विण्ड ब्रेकिंग वॉल का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।

8. वाहनों, खनन एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

9. लीज क्षेत्र के चारों तरफ छोड़ी गई 7.5 मीटर की चौड़ी पट्टी में कोई वेस्ट का डंप / भण्डारण नहीं किया जाए तथा इस पट्टी में वृक्षारोपण किया जाए। उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व आवेदक, क्षेत्र में उपलब्ध मिट्टी 8,745 घनमीटर को सीमा पट्टी 3,405 वर्गमीटर में आवश्यकतानुसार भण्डारण करने के उपरांत अवशेष मिट्टी लगभग 5,341 घनमीटर के भण्डारण हेतु सक्षम प्राधिकारी से विधिवत् अनुमति प्राप्त की जाए तथा अनुमति की प्रति एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित की जाए

10. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान हटाई गई ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) का उपयोग उत्खनन हेतु उपयोग में न आने वाली भूमि के पुनः उद्वार हेतु अथवा बाहरी ओवरबर्डन को स्थिर (स्टेबिलाइज) करने में किया जाए। जहां पर ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) को खनन प्रक्रिया के साथ–साथ (कॉनकरेंटली) उपयोग किया जाना संभव न हो, तब इसे पृथक से भण्डारित कर भविष्य में उपयोग हेतु रखा जाए।

11. ओवरबर्डन एवं अनुपयोगी/बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को पृथक से पूर्व से चिन्हीत स्थल पर भण्डारित किया जायेगा। इस प्रकार के भण्डारण स्थलों को उचित प्रकार से सुरक्षित रखे जाएं ताकि भण्डारित पदार्थ आस–पास की भूमि पर विपरित प्रभाव न डाल सकें। डम्प की ऊंचाई 3 मीटर तथा स्लोप 28 डिग्री से अधिक न हो। ओवरबर्डन डम्प का क्षरण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से वृक्षारोपण किया जाए।

12. जहाँ तक संभव हो ओवरबर्डन एवं अन्य अनुपयोगी/बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को खनन के पश्चात बने गड्डों में पुनःभरण (बैक फिलिंग) हेतु उपयोग किया जाए, ताकि भूमि का मूल उपयोग अथवा वांछित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिल्ट लीज क्षेत्र के आस–पास के सतही जल स्त्रोतों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने हेतु माईन पीट तथा डम्प क्षेत्र मे रिटेनिंग वॉल / गारलेण्ड ड्रेन की व्यवस्था की जाए।

14. खनिज का परिवहन मेकनेकली कव्हर्ड वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

15. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation

				(in Lakh Rupees)
36	2%	0.72	Following activities at Government Aanganbadi kendra, **Village – Nawki**	
			Rain Water Harvesting System	0.60
			Plantation with fencing	0.20
			Total	**0.80**

16. सी.ई.आर. के तहत् निर्धारित कार्यवाही 03 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए।

17. उत्खनन हेतु निषिद्ध क्षेत्र (चारों तरफ 7.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र), हॉल रोड, ओवरबर्डन डम्प आदि में स्थानीय प्रजाति के 729 वृक्षों का सघन वृक्षारोपण किया जाए। हरित पट्टी का विकास केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।

18. **प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2021–22 में कम से कम 200 नग प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, अर्जुन, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 300 पौधों का रोपण खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए।**

19. वृक्षारोपण का रख–रखाव आगामी 3 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।

20. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ्स अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई. आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

21. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपाय किया जाए। ध्वनि का स्तर उत्खनन क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय 70 DB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए। तीव्र ध्वनि वाले क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को इयरप्लग/मफ आदि प्रदान किए जाएं एवं समय–समय पर चिकित्सकीय जाँच एवं आवश्यकता अनुसार उनका उपचार भी कराया जाए।

22. सक्षम प्राधिकारी / डी.जी.एम.एस. से अनुमति उपरांत सुरक्षित एवं नियंत्रित विधि से ब्लास्टिंग किया जाए। पत्थर के छोटे–छोटे टुकड़ों (फ्लाई रॉक्स) को उड़ने से रोकने हेतु पर्याप्त एवं सक्षम व्यवस्था किया जाए। वेट ड्रिलिंग अथवा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था आधारित ड्रिलिंग किया जाए, जिससे डस्ट का उत्सर्जन नियंत्रण में रहे।

23. उत्खनन प्रक्रिया भू–जल स्तर के उपर असंतृप्त प्रभाग में की जाएगी एवं उत्खनन प्रकिया भू–जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।

24. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं पर कम से कम दुष्प्रभाव हो।

25. परियोजना प्रस्तावक द्वारा गौण खनिज का उत्खनन छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए। माईन एक्ट 1952 के प्रावधानों का पालन किया जाए।

26. कार्य स्थल पर यदि केम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे श्रमिकों के आवास हेतु उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप मे हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात् हटाया जा सके।

27. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।

28. श्रमिकों का समय–समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराना आवश्यक है।

29. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना, जिसमें उत्खनन, खनिज की मात्रा एवं अपशिष्ट सम्मिलित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए, छत्तीसगढ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

30. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।

31. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा मे परिवर्तन अथवा विर्निदिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा मे किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्स्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

32. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस–पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन एस. ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट www.seiaacg.org पर भी किया जा सकता है।

33. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अम्बिकापुर, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।

34. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय–समय पर प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।

35. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर /केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए।

36. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत् बनाये गये नियमों, परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

37. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत् निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

38. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला–व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।

39. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरूद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी. **अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.**

ENVIRONMENTAL CLEARANCE CONDITIONS FOR EXPANSION OF M/S R R ISPAT (A UNIT OF GODAWARI POWER AND ISPAT LIMITED) FOR EXPANSION OF EXISTING ROLLING MILL FROM CAPACITY – 2,14,000 TPA TO 3,00,000 TPA (THROUGH REHEATING FURNACE)

I. Statutory Compliance:

i. This environment clearence is being granted to the industry without prejudice to the proceeding pending (if any) in the Hon'ble Court. This environment clearence in no way to be taken as measure of proof that industry has not violated any laws at any time in past. Hence, what-ever decision taken by Hon'ble Court shall be binding on the industry.

ii. Project proponent shall obtain Consent to Establish / Operate under the provisions of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 and the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 from the Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB).

iii. Project proponent shall obtain all necessary permission from the Central Ground Water Authority, in case of drawl of ground water / from the competent authority concerned in case of drawl of surface water required for the project.

iv. The project proponent shall obtain authorization under the Hazardous and Other Waste Management Rules, 2016 as amended from time to time.

II. Air Quality Monitoring and Preservation

i. Project proponent shall install 24x7 continuous emission monitoring system at process stacks to monitor stack emission with respect to standards prescribed in Environment (Protection) Rules 1986 vide G.S.R 277(E) dated 31st March 2012 (applicable to IF/EAF) as amended from time to time; and connected to SPCB and CPCB online servers and calibrate these system from time to time according to equipment supplier specification through labs recognized under Environment (Protection) Act, 1986 or NABL accredited laboratories.

ii. Project proponent shall monitor fugitive emissions in the plant premises at least once in every quarter through laboratories recognized under Environment (Protection) Act, 1986 or NABL accredited laboratories.

iii. Project proponent shall make provision for carryout Ambient Air Quality monitoring for common / criterion parameters relevant to the main pollutant released (e.g. PM_{10} and $PM_{2.5}$ in reference to PM emission, and SO_2 and NO_x in reference to SO_2 and NO_x emissions) within and outside the plant area (at least at four locations one within and three outside the plant area at an angle of 120° each), covering upwind and downwind directions.

iv. Project proponent shall provide adequate air pollution control arrangements at all point and non point sources. Collecting hoods with bag filters of adequate capacity and high efficiency shall be installed with minimum 30 meter stack height to ensure particulate matter emission less than 25 mg/Nm^3 all the time. Collecting hoods with bag filters of adequate capacity and high efficiency shall be installed in rolling mill with minimum 30 meter stack height to ensure particulate matter emission less than 25 mg/Nm^3 all the time. The project proponent shall provide leakage detection and mechanized bag cleaning facilities for better maintenance of bags. Project proponent shall install suitable & effective air pollution control equipments at all transfer points, junction points etc. also. All the conveying system, transfer point, junction point etc. shall be covered. Adequate provision shall be made for sprinkling of water at strategic locations to ensure dust does not get air borne. For controlling fugitive dust, regular sprinkling of water in vulnerable areas of the plant shall be ensured. All air pollution control systems shall be kept in good running condition all the time and failure (if any), shall be immediately rectified without delay; otherwise, similar alternate arrangement shall be made. In the event of any failure of any pollution control system adopted by the Project proponent, the respective production unit shall not be restarted until the control measures are rectified to

achieve the desired efficiency. As per proposal submitted emission of pollutants from any point source shall not exceed the following limit: -

Particulate Matter	25 mg/Nm^3 (Twenty five Milligram per Normal Cubic Meter)

Project proponent shall provide proper space provision for further retrofitting of air pollution control systems in case of further stringency of particulate matter emission limit. The height of any other stack(s) shall not be less than 30 meters.

v. Project proponent shall submit monthly summary report of continuous stack emission and air quality monitoring and results of manual stack monitoring and manual monitoring of air quality / fugitive emissions to Integrated Regional Office of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur, Zonal office of CPCB and Regional Office of Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) along with six- monthly monitoring report.

vi. Sufficient number of mobile or stationary vacuum cleaners shall be provided to clean plant roads, shop floors, roofs, regularly.

vii. Recycle and reuse iron ore fines and such other fines collected in the pollution control devices and vacuum cleaning devices in the process.

viii. Project proponent shall use mechanically covered leak proof trucks / dumpers vehicles for transportation of raw materials.

ix. At entry and exit point of plant, wheel wash system shall be provided to control wheel generated dust.

x. Provision for monitoring of vehicles by installation of closed circuit cameras (CCTv) at suitable locations i.e. entry gate, weigh bridge, internal parking area etc. shall also be made to ensure the incoming and outgoing vehicles are mechanically covered.

xi. Project proponent shall provide covered sheds for raw materials like scrap and sponge iron etc.

III. Water Quality Monitoring and Preservation

i. Project proponent shall provide adequate facility for proper treatment of industrial effluent and domestic effluent. Sewage Treatment arrangement shall be provided for treatment of domestic effluent to meet the prescribed standards. Project proponent shall ensure the treated effluent quality within standard prescribed by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India under G.S.R 277(E) dated 31st March 2012 (applicable to IF/EAF) as amended from time to time. No effluent shall be discharged out of plant premises under any circumstances. Any liquid effluent what so ever generated shall not be discharged into the river or any surface water bodies under any circumstances, and it shall be reused wholly in the process / plantation within plant area. Adhere to 'Zero Liquid Discharge'.

ii. Project proponent shall monitor regularly ground water quality at least twice a year (pre and post monsoon) at sufficient numbers of piezometers / sampling wells in the plant and adjacent areas through labs recognized under Environment (Protection) Act, 1986 and NABL accredited laboratories.

iii. Project proponent shall submit monthly summary report of effluent monitoring and results of manual effluent testing and manual monitoring of ground water quality to Integrated Regional Office of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur, Zonal office of CPCB and Regional Office of Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) along with six-monthly monitoring report.

iv. Garland drains and collection pits shall be provided for each stock pile to arrest the run-off in the event of heavy rains and to check the water pollution due to surface run off.

v. Project proponent shall practice rainwater harvesting to maximum possible extent. Rain water harvesting within the premises shall be complete within 2 months.

vi. The project proponent shall make efforts to minimize water consumption in the plant by segregation of used water, practicing cascade use and by recycling treated water.

IV. Noise Monitoring and Prevention

i. Noise level survey shall be carried as per the prescribed guidelines and report in this regard shall be submitted to Integrated Regional Office of Ministry of

Environment, Forest and Climate Change, Raipur as a part of six-monthly compliance report.

ii. The ambient noise levels should conform to the standards prescribed under Environment (Protection) Rules, 1986 viz. 75 dB (A) during day time and 70 dB (A) during night time.

V. Energy Conservation Measures

i. Provide solar power generation on roof tops of buildings, for solar light system for all common areas, street lights, parking around project area and maintain the same regularly.

ii. Project proponent shall ensure use of LED lights in their offices and residential areas.

VI. Waste Management

i. Project proponent shall take effective steps for safe disposal of solid wastes and sludge. Mill scale shall be sold to ferro alloys manufacturing units or casting units. Tar shall be sold to authorized recyclers / re-processors for proper disposal through incineration. Cinders shall be given to bricks manufacturing units. STP sludge shall be used as manure for plantation purpose.

ii. Used refractories shall be recycled as far as possible.

iii. The waste oil, grease and other hazardous waste shall be disposed of as per the Hazardous & Other Waste (Management & Transboundary Movement) Rules, 2016.

iv. Project proponent shall utilize fly ash bricks / blocks etc. in all construction activities.

v. Kitchen waste (if any) shall be composted or converted to biogas for further use.

VII. Green Belt

i. Green belt shall be developed in an area not less than 40% (1.76 hectare which is 33% of the total plant area & 1.618 hectare which is allotted by CSIDC) of the total plant area with a native tree species in accordance with CPCB guidelines. Greenbelt shall inter alia cover the periphery of the plant. As far as possible maximum area of open spaces shall be utilized for plantation purposes. Project proponent shall ensure that remaining 3,530 Nos plantation will be done within 3 month.

ii. Project proponent shall prepare GHG emissions inventory for the plant and shall submit the programme for reduction of the same including carbon sequestration including plantation.

VIII. Public hearing and Human health Issues

i. Implementation of the action plan on the issues raised during the public hearing shall be ensured. The project proponent shall undertake all the tasks / measures as per the action plan submitted with budgetary provisions during the public hearing. Land oustees shall be compensated as per the norms laid down in the R&R policy of the company/State Government/Central Government, as applicable.

ii. Emergency preparedness plan based on the Hazard Identification and Risk Assessment (HIRA) and Disaster Management Plan shall be implemented.

iii. Project proponent shall carry out heat stress analysis for the workmen who work in high temperature work zone and provide Personal Protection Equipment (PPE) as per the norms of Factory Act.

iv. Provision shall be made for the housing of construction labourwithin the site with all necessary infrastructure and facilities such as fuel for cooking, mobile toilets, mobile STP, safe drinking water, medical health care, creche etc. The housing may be in the form of temporary structures to be removed after the completion of the project.

v. Occupational health surveillance of the workers shall be done on a regular basis and records maintained as per the Factories Act.

IX. Corporate Environment Responsibility

i. Project proponent shall undertake the following Corporate Environment Responsibility under environment management plan as per proposal submitted within 06 months:-

Additional Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	**CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)**
700	2%	14	Following activities at 2 Nearby Government Schools, Municipal corporation Birgaon & Urla Police Station	
			Rain Water Harvesting System	3.50
			Pond Digging	1.50
			Potable Drinking Water Facility	0.50
			Plantation with Fencing	15.50
			Total	**21.00**

ii. The company shall have a well laid down environmental policy duly approve by the Board of Directors. The environmental policy should prescribe for standard operating procedures to have proper checks and balances and to bring into focus any infringements / deviation / violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions. The company shall have defined system of reporting infringements / deviation / violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions and / shareholders / stake holders. The copy of the board resolution in this regard shall be submitted to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi / SEIAA, Chhattisgarh as a part of six-monthly report.

iii. A separate Environmental Cell both at the project and company head quarter level, with qualified personnel shall be set up under the control of Senior Executive, who will directly to the head of the organization.

iv. Action plan for implementing EMP and environmental conditions along with responsibility matrix of the company shall be prepared and shall be duly approved by competent authority. The year wise funds earmarked for environmental protection measures shall be kept in separate account and not to be diverted for any other purpose. Year wise progress of implementation of action plan shall be reported to the Integrated Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur / SEIAA, Chhattisgarh along with the Six Monthly Compliance Report.

v. Self environmental audit shall be conducted annually. Every three years third party environmental audit shall be carried out.

vi. All the recommendations made in the Charter on Corporate Responsibility for Environment Protection (CREP) for the plants (if any) shall be implemented.

X. Miscellaneous

i. Wildlife Management plan approved by PCCF (wildlife) and chief wildlife warden shall be implemented.

ii. No additional land shall be acquired for this project.

iii. Local persons shall be given employment during development and operation of the plant.

iv. Project proponent shall make public the environmental clearance granted for their project along with the environmental conditions and safeguards at their cost by prominently advertising it at least in two local newspapers of the District or State, of which one shall be in the vernacular language within seven days and in addition this shall also be displayed in the project proponent's website permanently.

v. The copies of the environmental clearance shall be submitted by the project proponents to the Heads of Local Bodies, Panchayats and Municipal Bodies in addition to the relevant offices of the Government who in turn has to display the same for 30 days from the date of receipt.

vi. Project proponent shall upload the status of compliance of the stipulated environment clearance conditions, including results of monitored data on their website and update the same on half-yearly basis.

vii. The project proponent shall monitor the criteria pollutants level namely; PM_{10}, SO_2, NO_x (ambient levels as well as stack emissions) or critical sectoral parameters (if any), indicated for the projects and display the same at a convenient location for disclosure to the public and put on the website of the company.

viii. Project proponent shall submit six-monthly reports on the status of the compliance of the stipulated environmental conditions on the website of the ministry of Environment, Forest and Climate Change at environment clearance portal.

ix. Project proponent shall submit the environmental statement for each financial year in Form-V to Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) as prescribed under the Environment (Protection) Rules, 1986, as amended subsequently and put on the website of the company. The project proponent shall inform the Integrated Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur as well as SEIAA, Chhattisgarh the date of financial closure and final approval of the project by the concerned authorities, commencing the land development work and start of production operation by the project.

x. Project authorities must strictly adhere to the stipulations made by the Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) and the State Government.

xi. The project proponent shall abide by all the commitments and recommendations made in the EIA / EMP report and also that during their presentation to the State Expert Appraisal Committee.

xii. No further expansion or modifications in the plant shall be carried out without prior approval of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi / SEIAA, Chhattisgarh.

xiii. Concealing factual data or submission of false / fabricated data may result in revocation of this environmental clearance and attract action under the provisions of Environment (Protection) Act, 1986.

xiv. SEIAA, Chhattisgarh may revoke or suspend the clearance, if implementation of any of the above conditions is not satisfactory.

xv. SEIAA, Chhattisgarh reserves the right to stipulate additional conditions if found necessary. The Company in a time bound manner shall implement these conditions.

xvi. The Integrated Regional Office Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur shall monitor compliance of the stipulated conditions. The project authorities should extend full cooperation to the officer (s) of the Regional Office by furnishing the requisite data / information / monitoring reports.

xvii. The above conditions shall be enforced, inter-alia under the provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, the Environment (Protection) Act, 1986, Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 and the Public Liability Insurance Act, 1991 along with their amendments and Rules and any other orders passed by the Hon'ble Supreme Court of India / High Courts and any other Court of Law relating to the subject matter.

xviii. Any appeal against this EC shall lie with the National Green Tribunal, if preferred, within a period of 30 days as prescribed under Section 16 of the National Green Tribunal Act, 2010.

xix. Environment clearance will be valid as per the provision of EIA Notification, 2006 (as Amended).

Member Secretary, SEAC **Chairman, SEAC**

ENVIRONMENTAL CLEARANCE CONDITIONS OF M/S EXECUTIVE ENGINEER, WATER RESOURCE DEPARTMENT (KOLBIRRA IRRIGATION PROJECT) FOR CULTURABLE COMMAND AREA CAPACITY – 5005 HECTARE, PROPOSED RIVER VALLEY PROJECT OF WATER CAPACITY- 9.23 MILLION LITER PER DAY

I. Statutory compliance:

i. The project proponent shall obtain forest clearance under the provisions of Forest (Conservation) Act, 1986, in case of the diversion of forest land for non-forest purpose involved in the project.

ii. The project proponent shall obtain clearance from the National Board for Wildlife, if applicable.

iii. The project proponent shall prepare a Site-Specific Conservation Plan & Wildlife Management Plan and approved by the Chief Wildlife Warden (if required). The recommendations of the approved Site-Specific Conservation Plan & Wildlife Management Plan shall be implemented in consultation with the State Forest Department. The implementation report shall be furnished along with the six-monthly compliance report. (incase of the presence of schedule-I species in the study area).

iv. The project proponent shall obtain Consent to Establish and Consent to Operate under the provisions of Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 and the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 from the Chhattisgarh Environment Conservation Board.

v. NOC shall be obtained from National Commission of Seismic Design Parameters (NCSDS) (if required).

II. Air quality monitoring and preservation

i. Regular monitoring of various environmental parameters viz., Water Quality, Ambient Air Quality and Noise levels as per the CPCB guidelines at designated locations shall be carried out on monthly basis and a detailed database of the same shall be prepared and recorded. This shall be used as a baseline data for post construction EIA I Monitoring purposes.

ii. Appropriate Air Pollution Control (APC) system shall be provided for all the dust generating points including fugitive dust from all vulnerable sources, so as to comply prescribed standards.

iii. Equipment design shall be chosen for least suspension of the dust/sand into atmosphere. The construction activities shall be carried out during day time only.

iv. Necessary control measures such as water sprinkling arrangements, etc. be taken up to arrest fugitive dust at all the construction sites.

III. Water quality monitoring and preservation

i. Conjunctive use of surface water to be planned in the project to check water logging as well as to increase crops productivity. The field drains shall be connected with natural drainage system.

ii. Minimum Environmental flow is being maintained from the Dam site to maintain the ecological balance towards downstream of the river.

iii. Remodelling of existing natural drains (link drains) and connecting them with irrigated land through constructed field drains, collector drains, etc. are to be ensured on priority basis ..

iv. Before impounding of the water, Cofferdams (if any) for both at the upstream and downstream are to be decommissioned as per EIA/EMP report so that once the

project is commissioned; cofferdam should not create any adverse impact on water environment including the rock mass and muck used for the Cofferdam.

v. As the reservoir will be acting as balancing reservoir and there would be fluctuation of water level during peaking period, efforts be made to reduce impact on aquatic life including impacts during spawning period both at the upstream and downstream of the project.

vi. Water depth sensors shall be installed at suitable locations to monitor e-flow. Hourly data to be collected and converted to discharge data. The Gauge and Discharge data in the form of Excel Sheet be submitted to the Integrated Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur on monthly basis.

vii. Mixed irrigation shall be practised and necessary awareness be given to all the farmers and trained in the use of such systems. Proper crops selection shall be carried out for making irrigation facility more effective.

viii. On Farm Development (OFD) works like landscaping, land levelling, drainage facilities, field irrigation channels and farm roads, etc. should be taken up in phased manner prior to the start of irrigation in the entire command area. The Command Area Development Plan should be strictly implemented as proposed in the EIA/EMP report

IV. Noise monitoring and prevention

i. All the equipment likely to generate high noise shall be appropriately enclosed or inbuilt noise enclosures/ acoustic laggings and silencers be provided so as to meet the ambient noise standards.

ii. All rotationg items shall be well lubricated and provided with enclousers as far as possible to reduce noise transmission.

iii. The ambient noise levels should conform to the standards prescribed under E(P)A Rules, 1986 viz. 75 dB(A) during day time and 70 dB(A) during night time.

V. Catchment Area Treatment Plan

i. Catchment Area Treatment (CAT) Plan as proposed in the EIA/EMP report shall be implemented in consultation with the State Forest Department and shall be implemented in synchronization with the construction of the project.

VI. Waste management

i. Muck disposal be carried out only in the approved and earmarked sites. The dumping sites shall be located sufficiently away from the HFL of the river. Efforts be made to reuse the muck for construction and other filling purposes and balanced be disposed of at the designated disposal sites. Once the muck disposal sites are inactive, proper treatment measures like both engineering and biological measures be carried out so that sites are stabilized quickly.

ii. Solid waste management should be planned in details. Land filling of plastic waste shall be avoided and instead be used for various purposes as envisaged in the EIA/EMP reports. Efforts be made to avoid one time use of plastics.

VII. Green Belt, EMP Cost, Fisheries and Wildlife Management

i. The species selected is such way that it can counter the effects of various pollutants released as a part of fugitive emmsion as well as point sources, such as excavation, site during construction and specially pump house site during operation phase. The plant species will be as per EIA, and MoEF&CC/CPCB guidelines. The green belt shall be developed with in the project area at the following places viz. along the pheriphery of project boundary roads around the facility site as far as possible.

ii. Detailed information on species composition particular to fish species from previous study/literature be inventorized and proper management plan shall be prepared for insitu conservation in the streams, tributaries of river and the main river itself for which adequate budget provision be made and followed strictly.

iii. Wildlife Conservation Plan (if required) prepared for both core and buffer zones shall be implemented in consultation with the local State Forest Department.

iv. To enrich the habitat of the project site, plantation shall be raised as envisaged in the EIA/EMP report Plantation to be developed along the periphery of the reservoir in multi-layers with local indigenous species in consultation with the local State Forest Department.

v. Compensatory afforestation programme shall be implemented as per the plan approved.

vi. Fish ladder/pass as envisaged in the EIA/EMP report shall be provided for migration of fishes. Regular monitoring of this facility be carried out to ensure its effectiveness.

VIII. Human health issues

i. Resettlement & Rehabilitation plan (if any) be implemented in consultation with the State Government.

ii. Budget provisions made for the community and social development plan including community welfare schemes shall be implemented in toto.

iii. Preventive measures viz. fuming and spraying of mosquito control shall be done in and around the labour colonies, affected villages, stagnatedpools, etc. Provisions be made to not to create any stagnated pools to avoid creation of breeding grounds of the vector borne diseases.

iv. Provision shall be made for the housing of construction Labour within the site with all necessary infrastructure and facilities such as fuel for cooking, mobile toilets, mobile STP, safe drinking water, medical health care, creche etc. The housing may be in the form of temporary structures to be removed after the completion of the project.

v. Labourforce to be engaged for construction works shall be examined throughly and adequately treated before issuing them work permit. Medical facilities shall be provided at the construction sites.

vi. Early Warning Telemetric system shall be installed in the upper catchment area of the project for advance intimation of flood forecast.

vii. Emergency preparedness plan be made for any eventuality of the dam failure and shall be implemented as per the Dam Break Analysis.

IX. Corporate Environment Responsibility

i. The project proponent shall undertake the following Corporate Environment Responsibility under environment management plan as per proposal submitted within 06 months:-

<table>
<tr><th rowspan="2">Capital Investment (in Lakh Rupees)</th><th rowspan="2">Percentage of Capital Investment to be Spent</th><th rowspan="2">Amount for CER Activities (In Lakh Rupees)</th><th colspan="2">Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)</th></tr>
<tr><th>Particulars</th><th>CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)</th></tr>
<tr><td rowspan="2">16425</td><td rowspan="2">1.5%</td><td rowspan="2">246.37</td><td>Development of eco park in bharridand</td><td>110.0</td></tr>
<tr><td colspan="2">Following activities at Nearby 5 Government Schools & 1 Girls Hostel</td></tr>
</table>

			Catchment Area Treatment Plan	30.0
			Rain Water Harvesting System	10.0
			Potable Drinking Water Facility	20.0
			Solar Lighting System	20.0
			Plantation with Fencing	10.0
			Awareness program	8.0
			Construction of Check Dams, Gully Plugging etc	40.0
			Total	**248.0**

ii. A separate Environmental Cell both at the project and head quarter level, with qualified personnel shall be set up under the control of Senior Executive, who will directly to the head of the organization.

iii. Action plan for implementing EMP and environmental conditions along with responsibility matrix of the department shall be prepared and shall be duly approved by competent authority. The year wise funds earmarked for environmental protection measures shall be kept in separate account and not to be diverted for any other purpose. Year wise progress of implementation of action plan shall be reported to the Integrated Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur / SEIAA, Chhattisgarh along with the Six Monthly Compliance Report.

iv. Self environmental audit shall be conducted annually. Every three years third party environmental audit shall be carried out.

X. Miscellaneous

i. The project proponent shall make public the environmental clearance granted for their project along with the environmental conditions and safeguards at their cost by prominently advertising it at least in two local newspapers of the District or State, of which one shall be in the vernacular language within seven days and in addition this shall also be displayed in the website permanently.

ii. Local persons shall be given employment during development and operation of the plant.

iii. The copies of the environmental clearance shall be submitted by the project proponents to the Heads of local bodies, Panchayats and Municipal Bodies in addition to the relevant offices of the Government who in turn has to display the same for 30 days from the date of receipt.

iv. The project proponent shall upload the status of compliance of the stipulated environment clearance conditions, including results of monitored data on their website and update the same on half-yearly basis.

v. The project proponent shall submit six-monthly reports on the status of the compliance of the stipulated environmental conditions on the website of the ministry of Environment, Forest and Climate Change at environment clearance portal and SEIAA, CG.

vi. The project proponent shall submit the environmental statement for each financial year in Form-V to the Chhattisgarh Environment Cosnervation Board as prescribed under the Environment (Protection) Rules, 1986, as amended subsequently and put on the website of the department.

vii. The project proponent shall inform the Integrated Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur as well as the Ministry, New Delhi, the date of financial closure and final approval of the project by the concerned authorities, commencing the land development work and start of production operation by the project.

viii. The project authorities must strictly adhere to the stipulations made by the State Pollution Control Board and the State Government.

ix. The project proponent shall abide by all the commitments and recommendations made in the EIA/EMP report and also that during their presentation to the State Level Expert Appraisal Committee.

x. No further expansion or modifications in the project shall be carried out without prior approval of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEF&CC) / SEIAA, CG.

xi. Concealing factual data or submission of false/fabricated data may result in revocation of this environmental clearance and attract action under the provisions of Environment (Protection) Act, 1986.

xii. The Ministry may revoke or suspend the clearance, if implementation of any of the above conditions is not satisfactory.

xiii. The Ministry reserves the right to stipulate additional conditions if found necessary.

xiv. The Integrated Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur shall monitor compliance of the stipulated conditions. The project authorities should extend full cooperation to the officer (s) of the Regional Office by furnishing the requisite data I information/monitoring reports.

xv. The above conditions shall be enforced, inter-alia under the provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, the Environment (Protection) Act, I 986, Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 and the Public Liability Insurance Act, 1991along with their amendments and Rules and any other orders passed by the Hon'ble Supreme Court of India / High Courts and any other Court of Law relating to the subject matter.

xvi. Any appeal against this EC shall lie with the National Green Tribunal, if preferred, within a period of 30 days as prescribed under Section 16 of the National Green Tribunal Act, 2010.

Member Secretary, SEAC **Chairman, SEAC**

ENVIRONMENTAL CLEARANCE CONDITIONS OF M/S NKJ BOIFUEL PRIVATE LIMITED FOR NEW MOLASSES BASED DISTLLERY CAPACITY – 80 KILO LITER PER DAY (ANHYDROUS ALCOHOL / RECTIFIED SPIRIT / EXTRA NEUTRAL ALCOHOL)

I. Statutory Compliance:

i. Environmental clearance accorded is for molasses based distillery capacity 80 KLPD only and no grain based distillery unit shall be operated without prior permission.

ii. The project proponent shall obtain clearance from the National Board for Wildlife, if applicable.

iii. The project proponent shall obtain Consent to Establish and Consent to Operate under the provisions of Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 and the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 from the Chhattisgarh Environment Conservation Board.

iv. The project proponent shall obtain authorization under the Hazardous and other Waste Management Rules, 2016 as amended from time to time.

v. The Company shall strictly comply with the rules and guidelines under Manufacture, Storage and Import of Hazardous Chemicals (MSIHC) Rules, 1989 as amended time to time. All transportation of Hazardous Chemicals shall be as per the Motor Vehicle Act (MVA), 1989.

vi. Transportation of molasses and sugar syrup from M/s Bhoramdev Sahakari Shakkar Utpadak Karkhana shall through pipeline and remaining molasses shall be transported through leakage proof trucks from nearby sugar industries.

II. Air Quality Monitoring and Preservation

i. The project proponent shall install 24x7 Continuous Emission Monitoring System at process stacks to monitor stack emission with respect to standards prescribed in Environment (Protection) Rules 1986 vide G.S.R 277(E) dated 31st March 2012 (applicable to IF/EAF) as amended from time to time; and connected to CECB and CPCB online servers and calibrate these system from time to time according to equipment supplier specification through labs recognized under Environment (Protection) Act, 1986 or NABL accredited laboratories.

ii. The project proponent shall install online Continuous Ambient Air Quality Monitoring System for common/criterion parameters relevant to the main pollutants released (e.g. PM_{10} and $PM_{2.5}$ in reference to PM emission, and SO_2 and NO_x in reference to SO_2 and NO_x emissions) within and outside the plant area at least at four locations (one within and three outside the plant area at an angle of 120° each), covering upwind and downwind directions. These systems shall be connected to CECB and CPCB online servers and calibrate these system from time to time.

iii. The project proponent shall submit monthly summary report of continuous stack emission and ambient air quality monitoring to Integrated Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur, Zonal Office of CPCB and Regional Office of CECB along with six monthly monitoring reports.

iv. The National Ambient Air Quality Emission Standards issued by the Ministry vide G.S.R. No. 826(E) dated 16th November, 2009 shall be complied with.

v. Sulphur content should not exceed 0.5% in the coal for use in coal fired boilers to control particulate emissions within permissible limits (as applicable). The gaseous emissions shall be dispersed through stack of adequate height as per CPCB/CECB guidelines.

vi. The project proponent shall provide adequate air pollution control arrangements at all point and non point sources. Electro static precipitator of adequate capacity and

high efficiency shall be installed in boiler with minimum 57 meter stack height to ensure particulate matter emission less than 50 mg/Nm^3 all the time. Carbon dioxide scrubber shall be installed in fermentation unit. Project proponent shall install suitable & effective air pollution control equipments at all transfer points, junction points etc. also. All the conveying system, transfer point, junction point etc. shall be covered. Adequate provision shall be made for sprinkling of water at strategic locations to ensure dust does not get air borne. For controlling fugitive dust, regular sprinkling of water in vulnerable areas of the plant shall be ensured. All air pollution control systems shall be kept in good running condition all the time and failure (if any), shall be immediately rectified without delay; otherwise, similar alternate arrangement shall be made. In the event of any failure of any pollution control system adopted by the project proponent, the respective production unit shall not be restarted until the control measures are rectified to achieve the desired efficiency.

vii. Fly ash generated from boiler and raw material shall be transported through covered trucks.

viii. The DG sets shall be equipped with suitable pollution control devices and the adequate stack height so that the emissions are in conformity with the extant regulations and the guidelines in this regard.

ix. Storage of raw materials, coal, bagasse etc. shall be either stored in silos or in covered areas to prevent dust pollution and other fugitive emissions.

III. Water Quality Monitoring and Preservation

i. For online continuous monitoring of effluent, the unit shall install web camera with night vision capability and flow meters in the channel/drain carrying effluent within the premises and connected to CECB and CPCB online servers.

ii. Zero Liquid Discharge shall be ensured and no waste/treated water shall be discharged outside the premises.

iii. Process effluent/any waste water shall not be allowed to mix with storm water. The storm water from the premises shall be collected and discharged through a separate conveyance system.

iv. The quality of treated effluent shall conform to the standards prescribed under the Environment (Protection) Rules, 1986, or as specified by the Chhattisgarh Environment Conservation Board while granting Consent under the Air/Water Act, whichever is more stringent.

v. Total fresh water requirement shall not exceed the proposed quantity or as specified by the Committee. Prior permission shall be obtained from the concerned regulatory authority/CGWA in this regard.

vi. Raw spent wash generation from molasses based distillery shall not exceed 08 liter per liter of alcohol produce. The concentrated spent wash generated from Multi-effect Evaporator shall be burnt in incinerator boiler. Spent lees and process condensate shall be treated in effluent treatment plant (equilization tank, neutrilization tank, primary clarification, anerobic treatment, aerobic treatment, secondary clarification, activated carbon filter, ultra-filtration, sodium hypochlorite for disinfection). Treated water shall be recycled in the process. Domestic waste water shall be treated in Sewage Treatment Plant and the treated effluent shall be used in plantation and dust suppression purposes after proper dis-infection.

vii. The Company shall harvest rainwater from the roof tops of the buildings and storm water drains etc. to recharge the ground water and utilize the same for different industrial operations within the plant.

IV. Noise Monitoring and Prevention

i. Acoustic enclosure shall be provided to DG set for controlling the noise pollution.

ii. The overall noise levels in and around the plant area shall be kept well within the standards by providing noise control measures including acoustic hoods, silencers, enclosures etc. on all sources of noise generation.

iii. The ambient noise levels should conform to the standards prescribed under E(P)A Rules, 1986 viz. 75 dB(A) during day time and 70 dB(A) during night time.

V. Energy Conservation Measures

i. Provide solar power generation on roof tops of buildings, for solar light system for all common areas, street lights, parking around project area and maintain the same regularly.

ii. The energy sources for lighting purposes shall preferably be LED based.

VI. Waste Management

i. Hazardous chemicals shall be stored in tanks, tank farms, drums, carboys etc. Flame arresters shall be provided on tank farm and the solvent transfer through pumps.

ii. The company shall undertake waste minimization measures as below:-

a) Metering and control of quantities of active ingredients to minimize waste.

b) Reuse of by-products from the process as raw materials or as raw material substitutes in other processes.

c) Use of automated filling to minimize spillage.

d) Use of close feed system into reactors.

e) Venting equipment through vapour recovery system.

f) Use of high pressure hoses for equipment clearing to reduce wastewater generation

VII. Green Belt

i. Green belt shall be developed in an area of at-least 9.698 acre (40%) of the plant area 24 acre with a native tree species in accordance with CPCB guidelines. The greenbelt shall inter alia cover the entire periphery of the plant.

VIII. Safety, Public hearing and Human health issues

i. Emergency preparedness plan based on the Hazard identification and Risk Assessment (HIRA) and Disaster Management Plan shall be implemented.

ii. The project proponent shall provide Personal Protection Equipment (PPE) as per the norms of Factory Act.

iii. Training shall be imparted to all employees on safety and health aspects of chemicals handling. Pre-employment and routine periodical medical examinations for all employees shall be undertaken on regular basis. Training to all employees on handling of chemicals shall be imparted.

iv. Provision shall be made for the housing of construction labour within the site with all necessary infrastructure and facilities such as fuel for cooking, mobile toilets, mobile STP, safe drinking water, medical health care, creche etc. The housing may be in the form of temporary structures to be removed after the completion of the project.

v. Occupational health surveillance of the workers shall be done on a regular basis and records maintained as per the Factories Act.

vi. There shall be adequate space inside the plant premises earmarked for parking of vehicles for raw materials and finished products, and no parking to be allowed outside on public places.

IX. Corporate Environment Responsibility

i. The project proponent shall comply with the provisions contained in this Ministry's OM vide F.No. 22-65/2017-IA.III dated I" May 2018, as applicable, regarding Corporate Environment Responsibility. The detailed CER (Corporate Environmental Responsibility) proposal shall be submit within 3 months.

ii. The project proponent shall have a well laid down environmental policy duly approve by the Board of Directors. The environmental policy should prescribe for standard operating procedures to have proper checks and balances and to bring into focus any infringements / deviation / violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions. The company shall have defined system of reporting infringements / deviation / violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions and / shareholders / stake holders. The copy of the board resolution in this regard shall be submitted to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi / SEIAA, Chhattisgarh as a part of six-monthly report.

iii. A separate Environmental Cell both at the project and company head quarter level, with qualified personnel shall be set up under the control of Senior Executive, who will directly report to the head of the organization.

iv. Action plan for implementing EMP and environmental conditions along with responsibility matrix of the company shall be prepared and shall be duly approved by competent authority. The year wise funds earmarked for environmental protection measures shall be kept in separate account and not to be diverted for any other purpose. Year wise progress of implementation of action plan shall be reported to the Integrated Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur / SEIAA, Chhattisgarh along with the Six Monthly Compliance Report.

v. Self environmental audit shall be conducted annually. Every three years third party environmental audit shall be carried out.

vi. All the recommendations made in the Charter on Corporate Responsibility for Environment Protection (CREP) for the plants (if any) shall be implemented.

X. Miscellaneous

i. The project proponent shall make public the environmental clearance granted for their project along with the environmental conditions and safeguards at their cost by prominently advertising it at least in two local newspapers of the District or State, of which one shall be in the vernacular language within seven days and in addition this shall also be displayed in the project proponent's website permanently.

ii. The copies of the environmental clearance shall be submitted by the project proponents to the Heads of local bodies, Panchayats and Municipal Bodies in addition to the relevant offices of the Government who in turn has to display the same for 30 days from the date of receipt.

iii. The project proponent shall upload the status of compliance of the stipulated environment clearance conditions, including results of monitored data on their website and update the same on half-yearly basis.

iv. The project proponent shall monitor the criteria pollutants level namely; PM_{10}, $PM_{2.5}$, SO_2, NOx (ambient levels as well as stack emissions) or critical sectoral parameters, indicated for the projects and display the same at a convenient location for disclosure to the public and put on the website of the company.

v. The project proponent shall submit six-monthly reports on the status of the compliance of the stipulated environmental conditions on the website of the ministry of Environment, Forest and Climate Change at environment clearance portal.

vi. The project proponent shall submit the environmental statement for each financial year in Form-V to the Chhattisgarh Environment Conservation Board as prescribed under the Environment (Protection) Rules, 1986, as amended subsequently and put on the website of the company.

vii. The project proponent shall inform the Integrated Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur as well as the Ministry, New Delhi, the date of financial closure and final approval of the project by the

concerned authorities, commencing the land development work and start of production operation by the project.

viii. The project authorities must strictly adhere to the stipulations made by the Chhattisgarh Environment Conservation Board and the State Government.

ix. The project proponent shall abide by all the commitments and recommendations made in the ETA/EMP report, commitment made during Public Hearing and also that during their presentation to the State Level Expert Appraisal Committee.

x. No further expansion or modifications in the plant shall be carried out without prior approval of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEF&CC) / SEIAA, CG.

xi. Concealing factual data or submission of false/fabricated data may result in revocation of this environmental clearance and attract action under the provisions of Environment (Protection) Act, 1986.

xii. The MoEF&CC / SEIAA, CG may revoke or suspend the clearance, if implementation of any of the above conditions is not satisfactory.

xiii. The MoEF&CC / SEIAA, CG reserves the right to stipulate additional conditions if found necessary. The Company in a time bound manner shall implement these conditions.

xiv. The Integrated Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur shall monitor compliance of the stipulated conditions. The project authorities should extend full cooperation to the officer (s) of the Regional Office by furnishing the requisite data I information/monitoring reports.

xv. The above conditions shall be enforced, inter-alia under the provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention & Control of PolJution) Act, 1981, the Environment (Protection) Act, 1986, Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 and the Public Liability Insurance Act, 1991 along with their amendments and Rules and any other orders passed by the Hon'ble Supreme Court of India/High Courts and any other Court of Law relating to the subject matter.

xvi. Any appeal against this EC shall lie with the National Green Tribunal, if preferred, within a period of 30 days as prescribed under Section 16 of the National Green Tribunal Act, 2010.

Member Secretary, SEAC **Chairman, SEAC**